IFFDC

Preserving Nature . Nurturing Lives

33rd ANNUAL REPORT 2025 - 2026

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेन्ट कोआपरेटिव लिमिटेड

INDIAN FARM FORESTRY DEVELOPMENT COOPERATIVE LIMITED

श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष, इफको एवं श्रीमती गीता बेन संघाणी का आई.एफ.एफ.डी.सी. के अध्यक्ष श्री गुरु प्रसाद त्रिपाठी एवं प्रबंध निदेशक श्रीमती माधवी एम. विप्रदास द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रदर्शनी भ्रमण के दौरान स्वागत

श्री के.जे. पटेल, प्रबंध निदेशक, इफको का आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रबंध निदेशक श्रीमती माधवी एम. विप्रदास द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रदर्शनी भ्रमण के दौरान स्वागत

विषय सूची
Contents

2 आई.एफ.एफ.डी.सी. एक दृष्टि में
IFFDC at a Glance

4 विजन, मिशन एवं उद्देश्य
Vision, Mission and Objectives

6 निदेशक मण्डल
Board of Directors

7 पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्य कार्यकारी/प्रबंध निदेशक
Ex-Chairmen, Ex-Chief Executives/Managing Director

8 आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड - हमारे बारे में
IFFDC Limited-About us

12 हमारा दृष्टिकोण
Our Approach

14 परियोजनाओं का विवरण
Details of Projects

16 निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

20 क्लाईमेट एक्शन
Climate Action

20 सामाजिक वानिकी विकास
Social Forestry Development

32 जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन)
Watershed Management (Ecological Resilience)

36 कृषक उत्पादक संगठन संवर्द्धन परियोजना
Promotion of Farmer Producers Organisation (FPO) Project

40 समन्वित ग्रामीण आजीविका विकास
Integrated Rural Livelihood Development

44 सब्जी फसलों में नैनो उर्वरकों के प्रोत्साहन पर पायलट परियोजना
Pilot Project on Promotion of Nano Fertilisers in Vegetable Crops

46 सी.एस.आर. पहल
C.S.R. Initiative

46 केन्द्र सरकार द्वारा समर्थित परियोजनायें
Projects supported by Central Government

48 नवीन परियोजनायें
New Projects Mobilised

50 सार्वभौमिक अवधान
Cross Cutting Interventions

50 सामुदायिक संस्थायें
Community Institutions

52 जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण
Gender Mainstreaming and Women Empowerment

56 क्षमता निर्माण
Capacity Building

60 बीज एवं अन्य कृषि आदान
Seed and Other Agri-Inputs

60 बीज
Seed

66 उर्वरक एवं कृषि रसायन
Fertilisers & Agro-Chemicals

70 मानव संसाधन विकास
Human Resource Development

72 प्रचार-प्रसार गतिविधियाँ
Publicity Activities

72 पुरस्कार तथा सम्मान
Awards and Recognitions

74 आभार
Acknowledgements

76 आपका आभार
We are thankful to .....

76 लेखा परीक्षक एवं बैंकर
Auditors & Bankers

79 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
Independent Auditors' Report

82 तुलन पत्र
Balance Sheet

83 लाभ हानि लेखा
Profit & Loss Account

84 वित्तीय कथनों पर टिप्पणियाँ
Notes on Financial Statements

100 नकदी प्रवाह का विवरण
Cash Flow Statement

आई.एफ.एफ.डी.सी.
एक दृष्टि में

पंजीयन
अक्टूबर 22, 1993 को बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1984 (तत्पश्चात् एम.एस.सी.एस. अधिनियम, 2002) के अंतर्गत

कार्यक्षेत्र
संपूर्ण भारतवर्ष

सदस्य समितियाँ
172
प्राथमिक वानिकी समितियाँ – **151**
सदस्य – **16,538** (**34%** महिला सदस्य)

सामाजिक वानिकी, जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन ट्रेडिंग
बंजर भूमि पर वृक्षारोपण (संचयी क्षेत्र)
29,421 हैक्टेयर
कुल विद्यमान वृक्ष
109 लाख

आजीविका विकास
आजीविका उत्थान सुनिश्चितीकरण
5.7 लाख
परिवार से अधिक

कृषक उत्पादक संगठन संवर्द्धन
कृषक उत्पादक संगठन
88 (72,739 सदस्य)

कुल संवर्द्धित सामुदायिक संस्थाऐं
2,886
(1,25,145 सदस्य)

जलग्रहण प्रबंधन
उपचारित क्षेत्र
19,568 हैक्टेयर

जल संसाधन विकास
277 चैक डैम
1233 तालाब
1,334 कुँए
326 एल.डी.पी.ई. टैंक

स्वयं सहायता समूहों का गठन
गठित स्वयं सहायता समूह
1,925 (सदस्यता 19,685)
(94% महिला सदस्य)

प्रमाणित बीज उत्पादन एवं विपणन
12 राज्यों में
20 फसलों की 116 प्रजातियों का उत्पादन एवं विपणन

प्रमाणित बीज उत्पादन एवं विपणन
3.68
लाख क्विंटल

कृषि आदान विपणन

इफको नैनो तरल उर्वरक
56.67 लाख बोतल
फास्फेट एवं पोटाश युक्त उर्वरक
7.12 लाख मैट्रिक टन
नाइट्रोजन युक्त उर्वरक
9.65 लाख मैट्रिक टन

सागरिका दानेदार
0.11 लाख मैट्रिक टन
सागरिका तरल
3.36 लाख लीटर
जैव उर्वरक
1.28 लाख लीटर
जल विलेय एवं स्पेसिएलिटी उर्वरक
0.33 लाख मैट्रिक टन

IFFDC
At a Glance

Registration
On 22nd October, 1993 under Multi-State Cooperative Societies Act, 1984 (subsequently under MSCS (Amendment) Act, 2023)

Area of Operation
The Whole Indian Union

Member Cooperatives
172
Primary Forestry Cooperatives - 151
Members-16,538
(34% Women Members)

Social Forestry, Climate Change & Carbon Trading
Wasteland Afforested (Cum. Area)
29,421 ha
Total Existing Trees
109 Lakh

Livelihood Development
Ensuring Livelihood Improvement
More than
5.7 lakh families

Promotion of Farmer Producers Organisation
Farmers Producer Organisation (FPO)
88 (72,739 members)

Total Community Institutions Developed
2,886
(1,25,145 members)

Watershed Management
Area treated
19,568 ha

Water Resource Development
277 Checkdams,
1,233 Ponds
1,334 Wells,
326 LDPE Tanks

Formation of SHGs
Self Help Groups Formed
1,925 (Membership 19,685)
(94% women members)

Certified Seed Production & Marketing
Seed Production & Marketing of 116 varieties of 20 crops in 12 States

Certified Seed Production & Marketing
3.68 Lakh qtl.

Agri-inputs Marketing

IFFCO Nano Liquid Fertilisers
56.67 Lakh Bottles
Phosphatic and Potassic Fertilisers
7.12 Lakh MT
Nitrogenous Fertilisers
9.65 Lakh MT

Sagarika Granular
0.11 Lakh MT
Sagarika Liquid
3.36 Lakh Litres
Bio-Fertilisers
1.28 Lakh Litres
Water Soluble & Speciality Fertilisers
0.33 Lakh MT

विज़न

चिरन्तर सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से गरीबों की क्षमताओं में वृद्धि करके उनकी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सहायता करना एवं उन्हें एक ऐसा वातावरण प्रदान करना जिससे उन्हें नए अवसरों की प्राप्ति हो ताकि वे अपने मूलाधार संसाधनों की वृद्धि एवं विकास कर, एक सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें।

मिशन

क्लाईमेट एक्शन (जलवायु परिवर्तन में कमी, अनुकूलन व सहनशीलता विकसित करना) हेतु संगठित प्रयासों से प्राकृतिक संसाधनों के चिरन्तर प्रबन्धन द्वारा लोगों के सामाजिक – आर्थिक स्तर का उत्थान।

उद्देश्य

- एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और कृषि पद्धतियों के माध्यम से क्लाईमेट एक्शन एवं कार्बन क्रेडिट सृजन।
- पारिस्थितिकीय संतुलन एवं चिरंतर ग्रामीण आजीविका संसाधनों के लिए बंजर भूमि का विकास।
- सी.एस.आर. के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, कृषि उत्पादन, पशुधन विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, कौशल विकास व रोजगार सृजन, खेलकूद, संस्थागत विकास एवं पर्यावरण सुधार की गतिविधियों का क्रियान्वयन
- स्वयं व सदस्य समितियों, दोंनों की ओर से आवश्यकता अनुसार बीज, कृषि आदानों, कृषि औजारों/मशीनों व अन्य सहायक वस्तुओं का उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण व विपणन संबंधी कार्य करना।
- सदस्यों/सामुदायिक संस्थानों को वित्तीय, तकनीकी, विस्तार एवं विपणन सेवायें प्रदान करना।

VISION

To assist the poor in enhancing capabilities for attaining their aspirations; to create through sustainable participatory community institutions, an enabling environment for the poor to access new opportunities and develop & enhance a resource base essential for leading a dignified life.

MISSION

To enhance the socio-economic status of peoples by enabling collective action for Sustainable Natural Resources Management for Climate Action (mitigation, adaptation and resilience development).

OBJECTIVES

- Climate Action & Carbon Credits Generation through Integrated Natural Resources Management and Farming Systems Approach.
- Wasteland Development for ecological balance and engendering sustainable rural livelihood resources.
- Undertaking CSR initiatives for Community Health and Sanitation, Safe Drinking Water, Agriculture Production, Livestock Development, Women Empowerment, Education, Skill Development & Employment Generation, Sports, Institutional Development and Environment Up-gradation.
- Undertaking the production, processing, distribution and marketing of seed and other need based Agricultural Inputs, Agricultural Implements / Machinery and other allied articles both on its own and/or on behalf of its member societies.
- Providing Financial, Technical, Extension and Marketing services to members / community institutions.

निदेशक मंडल
Board of Directors

अध्यक्ष / Chairman
गुरु प्रसाद त्रिपाठी
G.P. Tripathi

निदेशक / Director
प्रहलाद सिंह
Prahlad Singh

निदेशक / Director
डा. योगेंद्र कुमार
Dr. Yogendra Kumar

निदेशक / Director
रोहित गुप्ता
Rohit Gupta

निदेशक / Director
डाडम चंद जाट
Dadam Chand Jat

निदेशक / Director
राजपती सिंह
Rajpati Singh

निदेशक / Director
अंकित परिहार
Ankit Parihar

निदेशक / Director
गटू बाई अहीर
Gatu Bai Aheer

निदेशक / Director
नाना लाल जाट
Nana Lal Jat

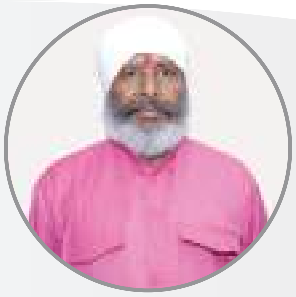

निदेशक / Director
राजकुमार अठिया
Rajkumar Athiya

निदेशक / Director
इंद्रपाल सिंह
Indrapal Singh

निदेशक / Director
मनीष दिलीपभाई संघाणी
Manish Dileepbhai Sanghani

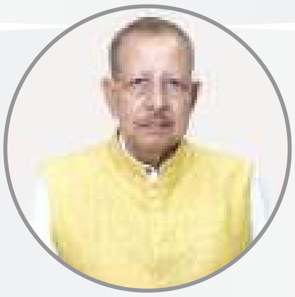

निदेशक / Director
अविनाश चंद्र अवस्थी
Avinash Chandra Awasthi

प्रबंध निदेशक / Managing Director
माधवी एम. विप्रदास
Madhavi M. Vipradas

पूर्व अध्यक्ष
Ex-Chairmen

डा. वी. कुमार
Dr. V. Kumar
(अक्टूबर 22, 1993–फरवरी 11, 2003)
(October 22, 1993-February 11, 2003)

दयाकृष्ण भट्ट
D.K. Bhatt
(फरवरी 12, 2003–जून 25, 2009)
(February 12, 2003-June 25, 2009)

गुरु प्रसाद त्रिपाठी
Guru Prasad Tripathi
(जून 26, 2009–जून 21, 2019)
(June 26, 2009-June 21, 2019)

उमेश त्रिपाठी
Umesh Tripathi
(जून 22, 2019–मार्च 25, 2022)
(June 22, 2019-March 25, 2022)

प्रहलाद सिंह
Prahlad Singh
(मार्च 25, 2022–जून 20, 2024)
(March 25, 2022-June 20, 2024)

पूर्व मुख्य कार्यकारी/प्रबंध निदेशक
Ex-Chief Executives/Managing Director

स्व. डा. ओ.पी. गौड़
Late Dr. O.P. Gaur
(अक्टूबर 22, 1993–अगस्त 31, 2000)
(October 22, 1993-August 31, 2000)

स्व. अशोक आलम्बेन
Late Ashok Alambain
(सितम्बर 01, 2000–सितम्बर 02, 2002)
(September 01, 2000-September 02, 2002)

स्व. डा. पी.एस. मरवाहा
Late Dr. P.S. Marwaha
(सितम्बर 03, 2002–सितम्बर 02, 2008)
(September 03, 2002-September 02, 2008)

प्रवीण अग्रवाल
Praveen Agarwal
(सितम्बर 03, 2008–अक्टूबर 13, 2008)
(September 03, 2008-October 13, 2008)

डा. के.जी. वानखेड़े
Dr. K.G. Wankhede
(अक्टूबर 14, 2008–अगस्त 31, 2015)
(October 14, 2008-August 31, 2015)

एस.पी. सिंह
S.P. Singh
(सितंबर 1, 2015–जनवरी 31, 2025)
(September 1, 2015-January 31, 2025)

आई.एफ.एफ.डी.सी. लिमिटेड

हमारे बारे में

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड (आई.एफ.एफ.डी.सी.) वर्ष 1993 में अस्तित्व में आई, जबकि इसका कार्य वर्ष 1986–87 में ही प्रारम्भ हो गया था। यह कार्य इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) की शुरुआती पहलों के तहत शुरू हुआ था, जिसने आई.एफ.एफ.डी.सी. को संवर्द्धित किया था। इन पहलों में इको–रेस्टोरेशन और प्रक्षेत्र वानिकी के जरिए बंजर भूमि का विकास शामिल था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में चल रहे इन कार्यक्रमों को बाद में इफको ने आई.एफ.एफ.डी.सी. को सौंप दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इन कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सके और जहाँ भी संभव हो, उन्हें देश में ग्रामीण आजीविका विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ जोड़ा जा सके।

जिन समुदायों के साथ आई.एफ.एफ.डी.सी. कार्य करता है, उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील रहते हुए, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने समय के साथ अपने कार्यक्षेत्र (पोर्टफोलियो) में कई गुना विस्तार किया है। अपनी मुख्य गतिविधियों, प्रक्षेत्र वानिकी और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों के अलावा, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने आत्मनिर्भर और समतावादी समुदायों के निर्माण की तात्कालिकता को पहचानते हुए, अपना ध्यान अन्य संबंधित गतिविधियों पर भी केंद्रित किया है। इन गतिविधियों में एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन, जलवायु अनुकूलन, पोषण और आर्थिक सुरक्षा, आजीविका संवर्धन, सी.एस.आर. पहल, महिला सशक्तिकरण, सामुदायिक संस्था निर्माण, जिसमें किसान उत्पादक संगठन भी शामिल हैं, कौशल विकास और आय सृजन, बीज उत्पादन और कृषि–आदानों की आपूर्ति आदि शामिल हैं। इसकी परियोजना कार्यान्वयन पद्धति पूरी तरह से सहभागी प्रकृति की है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह समुदायों की लगातार उभरती और बदलती जरूरतों को पूरा कर सके।

एक दशक से भी अधिक समय में, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपने भौगोलिक कार्यक्षेत्र का भी विस्तार किया है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और जम्मू–कश्मीर राज्यों में अपने कार्यों को लगातार जारी रखा है। 21 राज्यों, जो देश के सभी कृषि–जलवायु क्षेत्रों को कवर करते हैं, में अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति के साथ, इसने अब तक कुल मिलाकर 520 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है। साथ ही साथ, किसानों को उनकी फसल उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण कृषि–आदान की आपूर्ति हेतु, उन्हें गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के क्रम में बीज उत्पादन और विपणन कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है।

श्री गुरु प्रसाद त्रिपाठी, अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा 32वीं वार्षिक आम सभा में अध्यक्षीय संबोधन

IFFDC Ltd.

About Us

Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited (IFFDC) came into existence formally in 1993. Its work had, however, begun much earlier in 1986-87 with the early initiatives in the fields of of eco-restoration and wasteland development through farm forestry of Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO), which has promoted IFFDC. These programmes in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan were subsequently handed over by IFFCO to the IFFDC for being scaled up and wherever possible, for also being integrated with rural livelihood development and poverty alleviation programmes in the country.

Sensitive to the needs of the communities that it works with, IFFDC has over the time diversified its portfolio manifold. In addition to its signature Farm Forestry and Climate Change activities, recognising the urgency of engendering selfsustained and egalitarian communities, it has magnified its focus to include other interrelated activities such as Integrated Watershed Management, Climate Proofing, Nutritional and Economic Security, Livelihoods Enhancement, CSR initiatives, Women Empowerment, Community Institution Building including Farmer Producer Organisations, Skill Development & Income Generation, Seed Production and Agri-Input Supply etc. Its project implementation approach is universally participatory in nature and predesigned to address the ever emerging and evolving community needs.

Over more than a decade, IFFDC has also expanded its territorial landscape and initiated sustained operations in the States of Uttarakhand, Himachal Pradesh, Haryana, Delhi, Punjab, Gujarat, Chhattisgarh, Maharashtra, Odisha, Jharkhand, Bihar, West Bengal, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Jammu & Kashmir. With its remarkable presence in 21 States that cover all the country's agro-climatic zones, it has so far implemented various rural development projects worth cumulatively more than Rs. 520 crores. In addition to supplying farmers with quality agri-inputs for increasing their crop production & productivity, it is simultaneously undertaking a Seed Production and Marketing Programme to provide them with quality seeds.

Smt. Madhavi M. Vipradas, Managing Director, IFFDC presenting Agenda Notes during 32nd Annual General Meeting

वैधानिक स्थिति

संस्था का पंजीयन बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम (एम.एस.सी.एस.) 1984 (तत्पश्चात् एम.एस.सी.एस. अधिनियम 2002) के अंतर्गत, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 22 अक्टूबर 1993 को किया गया। पंजीयन संख्या "MSCS/CR/37/93" है।

सदस्यता

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), राज्य सहकारी संघ, प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ एवं प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ आई.एफ.एफ.डी.सी. की सदस्य हैं। 31 मार्च 2026 तक 172 सहकारी समितियाँ इसकी सदस्य हैं।

शेयर पूँजी

100 करोड़ रुपये की अधिकृत शेयर पूँजी के सापेक्ष, 31.03.2026 तक अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूँजी 13.37 करोड़ रुपये है, जो निम्नानुसार हैः

प्रत्येक शेयर का मूल्य (₹)	शेयर धारक	शेयरों की संख्या
50,000	इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड	2,507
	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	8
10,000	उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड	1
	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड	1
1,000	प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ लिमिटेड एवं प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ लि.	7,930

गवर्नेंस

भारत के ग्रामीण समुदाय के एकीकृत विकास के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के चलते, आई.एफ.एफ.डी.सी. की शासन संरचना को विशेष रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि, वह सहकारी मूल्यों और सिद्धांतों के उच्चतम मानकों को दर्शाए, और यह 'बहु–राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम और नियम, 2002' के प्रावधानों के अनुरूप है। इसका आंतरिक प्रबंधन और कार्य इसके उप–नियमों द्वारा निर्देशित होते हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. में उच्चतम मानकों वाली पेशेवर प्रणाली और प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं, जिन्हें पारदर्शिता, नियमित निगरानी के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक भौतिक ऑडिट, समवर्ती ऑडिट और वैधानिक ऑडिट के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे पर्याप्त समीक्षा संभव हो पाती है। इसकी नीतियाँ और कार्यप्रणालियाँ न केवल वर्तमान वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, बल्कि ये अपने सदस्यों/हितधारकों के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती हैं।

निदेशक मंडल

आई.एफ.एफ.डी.सी. के निदेशक मंडल में विविध पृष्ठभूमि से आए 15 सदस्य शामिल हैं। इनमें जमीनी स्तर से चुने गए सहकारी सदस्य, साथ ही मनोनीत और सहयोजित सदस्य शामिल हैं, जो उन संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इसके शेयरधारकों की जरूरतों और हितों को पूरा करते हैं। निदेशक मंडल में दो सीटें चुनी हुई महिला निदेशकों के लिए आरक्षित हैं, ताकि वे महिलाओं के वर्ग का प्रतिनिधित्व कर सकें और एक सीट अनुसूचित जाति/जनजाति के निदेशक के लिए आरक्षित है, ताकि वे वंचित समुदाय का प्रतिनिधित्व कर सकें।

अपने क्रियान्वयन स्तर पर, आई.एफ.एफ.डी.सी. कुशल प्रबंधकों के माध्यम से कार्य करती है, जिनके पास सामाजिक और ग्रामीण विकास, कृषि, इंजीनियरिंग, सहकारिता, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, विपणन और सामान्य प्रबंधन जैसे विविध क्षेत्रों में व्यापक अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता है।

Legal Status

IFFDC was registered on 22nd October, 1993 by the Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India as a Multi-State Cooperative Society under the Multi-State Cooperative Societies (MSCS) Act, 1984 (subsequently under the MSCS Act 2002) with Registration No. "MSCS/CR/37/93".

Membership

Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd. (IFFCO), National Co-operative Development Corporation (NCDC), State Cooperative Federations, Primary Farm Forestry Co-operative Societies (PFFCS) and Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS) are members of IFFDC. As on March 31, 2026, 172 Cooperative Societies are its members.

Share Capital

Against an authorised share capital of Rs. 100 crores, IFFDC's subscribed and paid-up capital as on 31.03.2026 is Rs. 13.37 crore illustrated as under:

Value of Each Share (₹)	Shareholders	No. of Shares
50,000	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited	2,507
	National Cooperative Development Corporation	8
10,000	Uttar Pradesh Sahakari Gram Vikas Bank Ltd.	1
	Madhya Pradesh State Cooperative Marketing Federation Ltd.	1
1,000	Primary Farm Forestry Cooperative Societies Ltd. and Primary Livelihood Development Cooperative Societies Ltd.	7,930

Governance

Stemming from its strong stated commitment to the integrated development of India's rural community, IFFDC's governance structure has been purposively designed to reflect the highest standards of Cooperative Values and Principles and is in conformity with the provisions of the Multi State Cooperative Societies Act & Rules, 2002. Its internal management and functions are guided by its Bye-laws.

IFFDC has professional systems and processes of the highest standards in place that are designed for transparency, internal control through regular monitoring, internal physical audit, concurrent audit and statutory audit that enables adequate review. Its policies and practices are not only consistent with current statutory requirements, but also reflect its commitment to ensure the best interests of its members / stakeholders.

Board of Directors

IFFDC has 15 members from diverse backgrounds on its Board of Directors. These include grassroots based elected co-operators as well as nominated and co-opted members, representing institutions that cater to the need and interests of its shareholders. Two seats on the Board are reserved for elected women Directors to represent the constituency of women and one seat for a Schedule Caste/Tribes Director to represent the disadvantaged community.

On its operational front, IFFDC functions through skilled managers, who have wide experience & technical expertise in diverse fields related to social and rural development, agriculture, engineering, cooperation, finance, information technology, marketing and general management.

हमारा दृष्टिकोण

आई.एफ.एफ.डी.सी. का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और समुदायों का विकास और जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देना है, ताकि वे एक ओर बदलते जलवायु के प्रति लचीलापन विकसित कर सकें और दूसरी ओर ग्रामीण समुदायों के लिए टिकाऊ, लैंगिक रूप से संवेदनशील आजीविका के विकल्पों को बढ़ा सकें। इसका यह दृढ़ विश्वास है कि यह लक्ष्य सबसे अच्छे तरीके से केवल उन्हीं समुदायों की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किया जा सकता है जिनके बीच यह काम करता है, इसी विश्वास ने इसके समग्र सहभागी दृष्टिकोण को जन्म दिया है, जो क्षमता निर्माण पर दिए जाने वाले जोर से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, और यह जोर इसके अनेक कार्यक्षेत्रों (पोर्टफोलियो) में अंतर्निहित है। समुदायों को एकजुट रखने के लिए, और महत्वपूर्ण रूप से, अपनी पहलों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए, अन्य बातों के साथ–साथ, सहकारी मार्ग का अनुसरण करते हुए 'संस्था निर्माण' इसके कार्यक्रमों का एक प्रमुख और अभिन्न आधार रहा है।

तदानुसार, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी रणनीतियाँ इस प्रकार तैयार की गई है कि, वह तेजी से बढ़ती विकास आवश्यकताओं और उनसे जुड़ी अनिवार्यताओं से उत्पन्न होने वाले संबंधित और परिणामी मुद्दों से निपट सकें। पिछले तीन दशकों के इसके संचित अनुभव के विशाल भंडार ने, इसके लिए एक विशिष्ट स्थान बनाने में मदद की है, जिससे यह इसे जलवायु कार्यवाही और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अद्वितीय संस्था बन गई है।

प्रारंभिक तौर पर, 'प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी संस्था' के रूप में शुरुआत करते हुए, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को संबोधित करने के उद्देश्य से आई.एफ.एफ.डी.सी. ने समय के साथ अपने कार्यक्षेत्रों का विस्तार किया है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिसने इसकी स्थापना के समय से ही वैश्विक समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और इसमें कई अन्य कार्यक्षेत्रों को भी शामिल किया है। इनमें से अधिकांश कार्यक्षेत्र इसके प्राथमिक एजेंडे, यानी ग्रामीण विकास, से ही उभरे हैं, जिनका इसके दूसरे प्राथमिक एजेंडे, यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने, पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

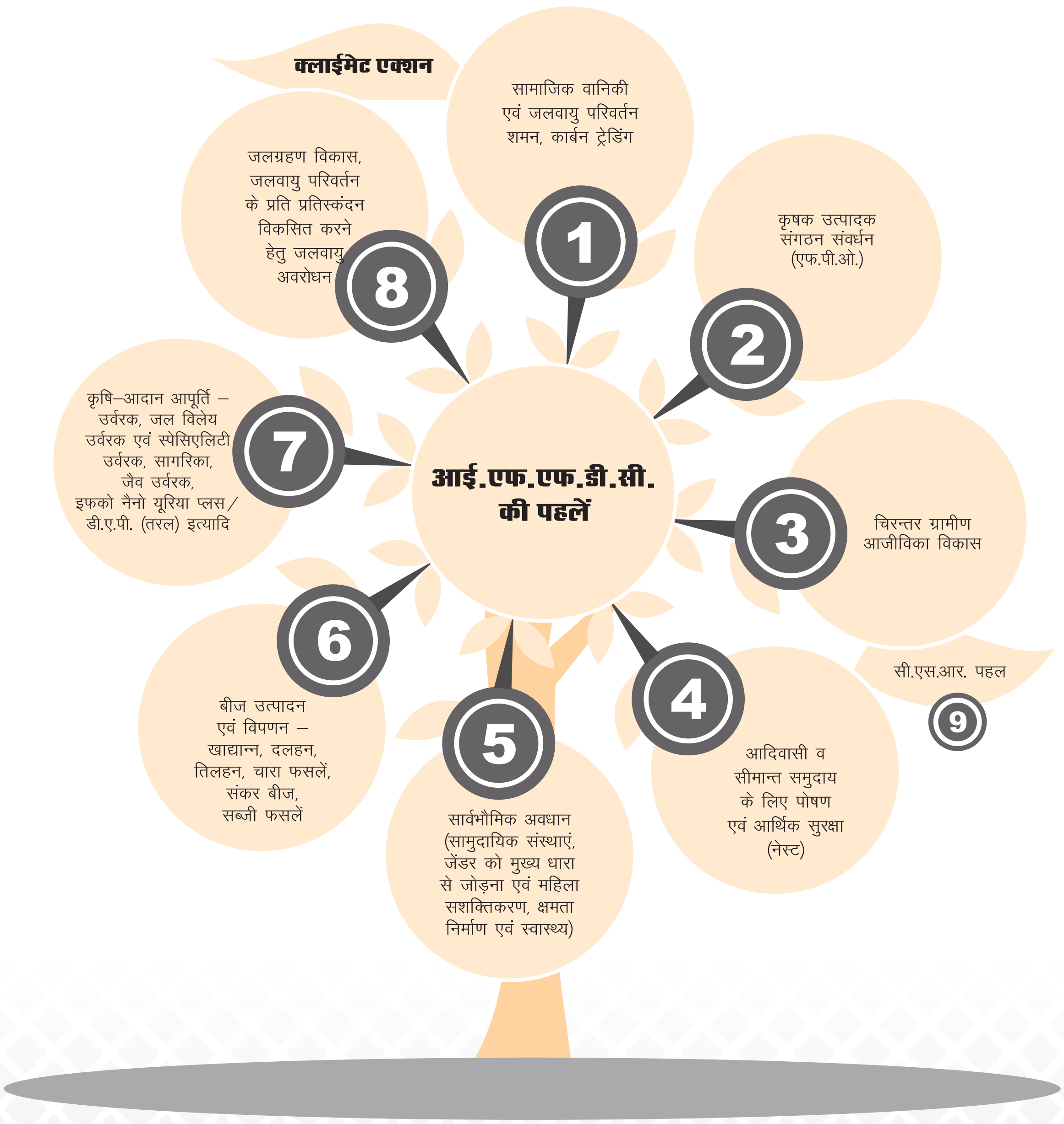

Our Approach

IFFDC's aim is to trigger climate action and development in rural areas and communities, enabling them on one hand to develop resilience to changing climates and on the other to enhance sustainable, gender sensitive livelihood options for rural communities. Its conviction that this can be best achieved only with the active involvement of the communities that it works amongst, has engendered its overall participatory approach inextricably linked with emphasis on capacity building that is in-built in its numerous portfolios. For holding communities together, and importantly, to ensure among other things, long term sustainability of its interventions, Institution Building, following the cooperative route, has been a major and an integral plank of its programmes.

IFFDC has accordingly framed its strategies to deal with concomitant and corollary issues arising out of the fast- growing development needs and their aligned imperatives. Its wealth of accumulated experience of the past three decades has in turn helped to create for it a distinct niche, making it an institution sui generis, in the climate action and rural development arena.

Starting out primarily as a Farm Forestry Cooperative that would address the issue of Climate Change, which had at the time of its genesis, captured the attention of the global community, IFFDC has over time expanded its areas of concern to include several portfolios. Most of these have emerged out of its likewise primary agenda of rural development having direct or indirect bearing on its also primary agenda of addressal of Climate Change. These are described below:

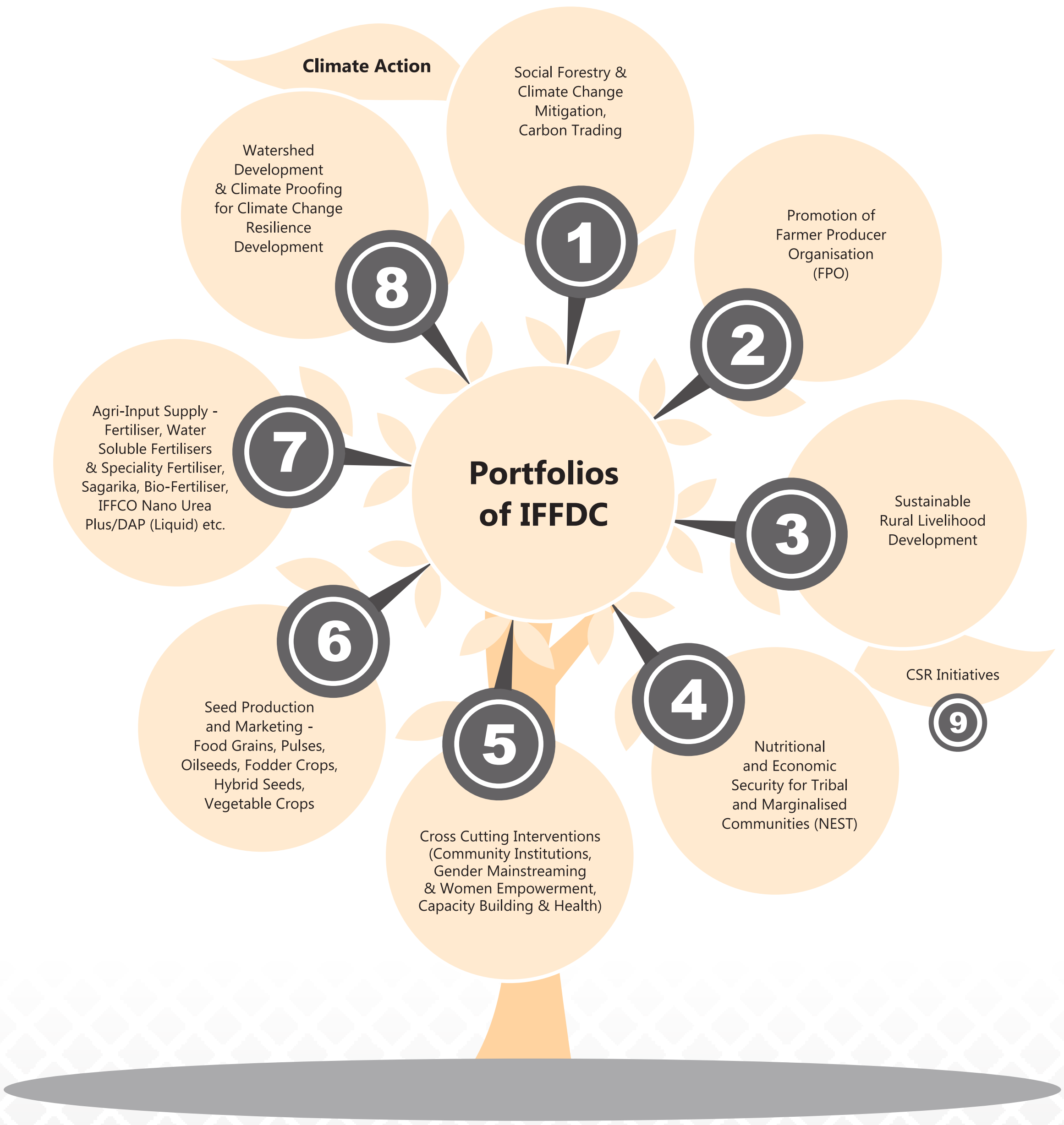

परियोजनाओं का विवरण

(अ) इफको द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. सामाजिक वानिकी परियोजनाएं (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तराखण्ड)
2. ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना (आर.एल.डी.पी.)
   (अ) ओडिशा
   (ब) पश्चिम बंगाल
   (स) झारखण्ड़
3. हरित पट्टी विकास परियोजना – इफको पारादीप इकाई (ओडिशा)
4. नैनो उर्वरक संवर्द्धन पायलेट परियोजना, कटक (ओडिशा)

(ब) नाबार्ड द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. जलग्रहण विकास परियोजनायें
   (अ) अमरीती, ब्लॉक मझगवाँ, जिला सतना (मध्य प्रदेश)
   (ब) सुरखी–घाना, ब्लॉक सुरखी, जिला सागर (मध्य प्रदेश)
   (स) कमलाडीह, ब्लॉक नरसिंगपुर, जिला कटक (ओडिशा)
   (द) अमजर, ब्लाँक ओखलकाण्ड़ा, जिला नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(स) केन्द्र सरकार द्वारा सहायतित परियोजनाएं

1. **क्रियान्वयन एजेंसी–एन.सी.डी.सी.:** भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम–10,000 कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्द्धन परियोजना के अंतर्गत चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड एवं गुजरात राज्यों में 25 कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्द्धन
2. **क्रियान्वयन एजेंसी–नाबार्ड:** भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम – 10,000 कृषक उत्पादक संगठन संवर्द्धन परियोजना के अंतर्गत छः राज्यों अर्थात् हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों में 24 कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्द्धन
3. **परियोजना मॉनीटरिंग इकाई (पी.एम.यू.):** सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन तक विस्तारित करना।

(द) नई परियोजनाओं की शुरुआत

1. जलगहण विकास परियोजना – उचाहरा, करकेली ब्लॉक, जिला उमरिया (मध्य प्रदेश) नाबार्ड के सहयोग से
2. जीका सहायतित उत्तराखण्ड एकीकरण बागवानी विकास परियोजना
3. मुनस्यारी राजमा में जी.आई टैग पश्चात् अवधान परियोजना, पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड)
4. शहद कृषक उत्पादक संगठन का गठन एवं संवर्द्धन, चम्पावत (उत्तराखण्ड)

DETAILS OF PROJECTS

(A) IFFCO Supported Projects

1. Social Forestry Projects (Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand)
2. Rural Livelihood Development Projects (RLDP)
   (a) Odisha
   (b) West Bengal
   (c) Jharkhand
3. Green Belt Development Project – IFFCO Paradeep Unit (Odisha)
4. Nano Fertilisers Promotion Pilot Project, Cuttack (Odisha)

(B) NABARD Supported Projects

1. Watershed Development Projects
   (a) Amriti, Block Majhgawan, Distt. Satna (Madhya Pradesh)
   (b) Surkhi-Ghana, Block Surkhi, Distt. Sagar (Madhya Pradesh)
   (c) Kamladiha, Block Narsinghpur, District Cuttack (Odisha)
   (d) Amjar, Block Okhalkhand, District Nainital (Uttarakhand)

(C) Projects Supported by Central Government

1. **Implementing Agency - NCDC:** Promotion of 25 FPOs in four states i.e. Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand and Gujarat under Central Sector Scheme of Government of India for Promotion of 10,000 Farmers Producer Organisation.
2. **Implementing Agency - NABARD :** Promotion of 24 FPOs in six states i.e. Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Madhya Pradesh and Maharashtra under Central Sector Scheme of the Government of India for Promotion of 10,000 Farmers Producer Organisations.
3. **Project Monitoring Unit (PMU)** for enhancing the Social Media reach of Initiatives of the Ministry of Cooperation, Government of India.

(D) New Projects Mobilised

1. Watershed Development Project, Uchehara in Karkeli block of District, Umariya (M.P.) funded by NABARD.
2. JICA Supported Uttarakhand Integrated Horticulture Development Project
3. Post GI Interventions in Munsyari Rajma, Pithoragarh (Uttarakhand)
4. Formation & Promotion of Honey Farmer Producer Organisation, Dist Champawat (Uttarakhand)

निदेशकों की रिपोर्ट

माननीय सहकार बन्धुओं,

इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड (आई.एफ.एफ.डी.सी.) की वर्ष 2025–26 की 33वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अध्यक्ष एवं निदेशक मंडल अत्यंत हर्ष और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। यह वर्ष एक बार पुनः संस्था की गौरवपूर्ण उपलब्धियों तथा उनके दूरगामी परिवर्तनकारी प्रभावों का साक्षी रहा है। अतः आज की कार्यसूची का प्रारंभ इन उपलब्धियों के संक्षिप्त उल्लेख से करना उपयुक्त होगा।

इस वर्ष भी संस्था ने स्वयं अपने पूर्व कीर्तिमानों को पीछे छोड़ते हुए 21.11 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक कर–पूर्व लाभ अर्जित किया है तथा 2,888 करोड़ रुपये का कारोबार प्राप्त किया है। किसानों के लिए 3.84 लाख क्विंटल गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, संकर एवं सब्जी बीजों के विपणन प्रारंभ करके, लगभग 3.68 लाख क्विंटल बीजों का विपणन तथा इफको उर्वरकों की 17.04 लाख मीट्रिक टन बिक्री आदि उल्लेखनीय उपलब्धियाँ रहीं। इन सभी सराहनीय उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए भी संस्था ने अपने मूल उद्देश्यों जैसे कृषि वानिकी, जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण तथा अन्य जन–केंद्रित पहलों आदि पर अपना विशेष ध्यान बनाए रखा।

हमें गर्व है कि, हमारी संस्था अपने प्रकार की एक अनूठी संस्था है, जो देश के सहकारी क्षेत्र में वृक्षारोपण से प्राप्त कार्बन क्रेडिट को अंतरराष्ट्रीय बाजार में विक्रय करने वाली पहली और एकमात्र संस्था है। इन कार्बन क्रेडिट्स की बिक्री से प्राप्त लाभ को उन 11 सदस्य सहकारी समितियों एवं 120 किसानों के साथ साझा किया गया, जिनकी भूमि पर वृक्षारोपण विकसित किए गए थे। इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए हम सभी सदस्य समितियों, किसानों तथा आई.एफ.एफ.डी.सी. की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देते हैं। यह अभिनव पहल निश्चित रूप से अधिक किसानों, सहकारी संस्थाओं तथा आई.एफ.एफ.डी.सी. के कर्मचारियों को वर्तमान एवं भावी वृक्षारोपण कार्यक्रमों को और अधिक उत्साह के साथ अपनाने, संरक्षित करने एवं विकसित करने के लिए प्रेरित करेगी।

हम विशेष रूप से इन अद्वितीय परिणामों का उल्लेख करना चाहेंगे, जो चुनौतीपूर्ण एवं अत्यंत आवश्यक क्षेत्रों में हमारी सुविचारित कार्यनीति का प्रत्यक्ष परिणाम हैं। आप सभी जानते हैं कि, आई.एफ.एफ.डी.सी. जलवायु कार्यवाही के प्रति समर्पित है तथा ग्रामीण समुदायों को गरीबी की सीमाओं से बाहर निकालकर उन्हें सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। आवश्यक तकनीक, कौशल एवं क्षमताओं से उन्हें सुसज्जित कर हम उन्हें एक उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर करने का प्रयास करते हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. की उपलब्धियों को राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने तथा उसकी गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हमने वर्ष भर अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आई.सी.ए.) तथा अन्य प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहकारी मंचों में सक्रिय भागीदारी की। इन प्रयासों ने हमारी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

जलवायु परिवर्तन शमन के उद्देश्य से डूँगरिया वानिकी समिति, जिला सागर (म.प्र.) में बंजर भूमि पर विकसित सघन वन

Director's Report

Honourable Co-operators,

It is with immense delight and pride that we, the Chairman and the Board of Directors of Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd. (IFFDC) place before you the 33rd Annual Report of our Society for the year 2025-26. Yet another year of glorious achievements by the Society with its transformational effects for all to see and it is indeed appropriate to initiate the day's agenda by dwelling on these briefly at the outset.

The Society has this year once again surpassed itself, achieving its highest ever Profit before Tax of Rs. 21.11 crores accompanied by its turnover of Rs. 2,888 crores. Among its noteworthy achievements, IFFDC achieved a quality seed production of 3.84 lakh quintal for farmers and forayed into marketing of hybrid and vegetable seeds, marketing about 3.68 lakh quintal of seeds and selling 17.04 Lakh MT of IFFCO fertiliser. All these laudable successes have been achieved without relinquishing its primary focus on its core objectives of Farm Forestry, Climate Change, Women Empowerment and other people centric initiatives.

We can proudly share that our Society is an organization sui generis, being the first and the only organisation in the country's cooperative sector to obtain and sell carbon credits generated by plantations in the international market. The profits from sale of these carbon credits have also been creditably shared with the 11 member cooperatives and 120 farmers on whose lands the plantations had been developed. We congratulate and celebrate all the member societies, farmers and the entire IFFDC team for this outstanding achievement! This unique initiative will certainly entice more farmers, cooperatives and employees of IFFDC to undertake, maintain and cherish existing and future plantations with greater zeal.

We would like to especially highlight these sui generis outcomes, which are entirely the result of our well thought out action in a much needed and difficult landscapes. You all are aware that IFFDC is devoted to climate action and working with rural communities to break the ceilings of poverty and to empower them. By endowing them with needed technology, skills and enhancing their capabilities, we strive to guide these communities out of the darkness they are surrounded by, into the light of a brighter future.

To project IFFDC's achievements and generate national and global awareness about its activities, we have during this year, actively participated in premier national and international forums such as the "International Cooperative Alliance (ICA)" and other cooperative platforms. These efforts have significantly contributed to our achievements.

The members of the Board discussing Agenda Items during the Board Meeting

गत वर्ष की कुछ अन्य उपलब्धियाँ भी उल्लेखनीय हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारी बीज उत्पादन योजना का विस्तार रहा, जिसके माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले विविध प्रकार के बीज, जिनमें संकर एवं सब्जी बीज भी शामिल हैं, उपलब्ध कराए गए। यह विस्तार निश्चित रूप से कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होगा।

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने इफको द्वारा स्वदेशी तकनीकी से विकसित विश्व के प्रथम नैनो उर्वरकों–"इफको नैनो यूरिया प्लस (तरल), इफको नैनो डीएपी (तरल), इफको नैनो जिंक एवं इफको नैनो कॉपर" के प्रचार–प्रसार एवं इनकी किसानों को आपूर्ति करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने इन उत्पादों की कुल 56.67 लाख बोतलों का सफलतापूर्वक विपणन किया। उर्वरक उपयोग दक्षता बढ़ाने की दिशा में यह आईएफएफडीसी की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है, जिसके दूरगामी प्रभाव होंगे और जिसे भविष्य में और अधिक गति प्रदान की जाएगी।

जैसा कि आप जानते हैं, आई.एफ.एफ.डी.सी. कई वर्षों से नाबार्ड के सहयोग से जलग्रहण विकास की परियोजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर रही है तथा इस क्षेत्र में उल्लेखनीय विशेषज्ञता अर्जित कर चुकी है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नाबार्ड ने एक बार पुनः मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में नई एकीकृत जलग्रहण विकास परियोजना के क्षमता निर्माण चरण (सी.बी.पी.) का कार्य आई.एफ.एफ.डी.सी. को सौंपा है। यह दायित्व हमारी क्षमता, प्रतिबद्धता एवं सतत विकास के प्रति हमारे समर्पण में नाबार्ड के गहन विश्वास का प्रतीक है तथा हमारे लिए गर्व एवं सम्मान का विषय है।

अंत में, मैं सभी हितधारकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनके निरंतर सहयोग एवं योगदान ने हमारी संस्था की प्रगति और उपलब्धियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मैं हमारी संस्था के समर्पित कर्मचारियों के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और इसे यहाँ रिकॉर्ड पर दर्ज करता हूँ। उनकी अटूट निष्ठा, परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प ने ही हमारी सफलता को संभव बनाया है। विभिन्न वित्तपोषण एजेंसियों एवं सरकारी संस्थानों से परियोजनाएँ प्राप्त करने तथा उनके उत्कृष्ट क्रियान्वयन के प्रति उनकी सतत प्रतिबद्धता ने ग्रामीण समृद्धि के हमारे उद्देश्य को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इस अवसर पर मैं विशेष रूप से, आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रबंध निदेशक श्रीमती माधवी एम. विप्रदास तथा उनकी टीम की समर्पित सेवाओं का उल्लेख करना चाहूँगा, जिन्होंने इस वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्राप्त करने में प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य किया है। मैं इस विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आप सभी के निरंतर सहयोग एवं समर्थन से हम अपनी इस उत्कृष्ट सहकारी संस्था के माध्यम से एक उज्ज्वल, सुंदर, समृद्ध एवं समतामूलक ग्रामीण भारत के निर्माण के अपने संकल्प को अवश्य साकार करेंगे।

अब मैं संस्था की विभिन्न गतिविधियों की पोर्टफोलियोवार प्रगति का उल्लेख करूँगा।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के निदेशक श्री रोहित गुप्ता एवं श्री प्रहलाद सिंह का सहकार टैक्सी कोआपरेटिव लिमिटेड (भारत टैक्सी) में क्रमशः उपाध्यक्ष एवं निदेशक के पद पर निर्वाचित होने पर निदेशक मण्डल द्वारा अभिनंदन

Some other accomplishments from the past year are worth mentioning here. A major milestone was the expansion of our Seed Production Programme, providing farmers with a diverse range of high-quality seed, including hybrid and vegetable seed. This expansion will undoubtedly enhance productivity and positively impact food security.

IFFDC has also played a pivotal role in the promotion and distribution to our farmers of the world's first innovation by IFFCO of nano fertilizers, manufactured with indigenous technology, "IFFCO Nano Urea Plus (Liquid), IFFCO Nano DAP (Liquid), IFFCO Nano Zinc and IFFCO Nano Copper". We successfully marketed 56.67 lakh bottles of IFFCO Nano Urea Plus (Liquid), IFFCO Nano DAP (Liquid), IFFCO Nano Zinc and IFFCO Nano Copper. This is without doubt an outstanding achievement of IFFDC with far reaching implications in terms of fertiliser use efficiency, an achievement to be accelerated.

As you know, IFFDC has been for several years executing Watershed Development Projects drawing upon assistance from NABARD and has today a considerable expertise in this area of work. I am delighted to inform you that NABARD has once again commissioned the capacity building phase (CBP) of the new Integrated Watershed Development Project in District Umariya (Madhya Pradesh) to IFFDC. This responsibility given us, evidencing the preeminent trust placed by NABARD in our capability and commitment to sustainable development, is indeed a matter of pride and an honour.

In conclusion, I once again extend my sincere appreciation to all stakeholders for their unwavering support and contribution, all of which have been instrumental in driving our Society's progress and achievements.

Finally, on behalf of us All, I acknowledge and place here on record, our sincere gratitude to the dedicated staff of our Society for the laurels it has achieved thus far. It is their unwavering commitment and perseverance that has enabled our success in all ways. Their untiring pursuit to secure projects from various funding agencies and the government, and implement so wonderfully, has helped engender the rural prosperity that has been our primary intent and we have all along relentlessly sought. I thank them heartily.

In this regard, I would like to make especial mention of the devoted services of Smt. Madhavi M Vipradas, Managing Director, IFFDC and her team, who have been the major driving force to obtain this year's remarkable achievements. I will conclude by expressing my confidence that in step together with all of you, and your ever present unstinting support at all times, we shall achieve our vision of a bright, beautiful, prosperous and egalitarian rural world through this outstanding cooperative of ours.

I will now mention portfolio-wise progress of the society.

Shri Guru Prasad Tripathi, Chairman, IFFDC visiting Seed Processing Unit, Durjanpur, Hisar (Haryana)

क्लाईमेट एक्शन (सतत् विकास लक्ष्य-13, 15, 1, 2 & 3)

विश्व के सभी देशों द्वारा कार्यवाही करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 17 सत्त विकास के लक्ष्य निर्धारित किये गये। यह सचमुच अत्यंत संतोष का विषय कि, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपने विभिन्न सामाजिक वानिकी विकास कार्यक्रम, समन्वित जलग्रहण प्रबंधन व जलवायु–अनुकूलन की गतिविधियों के माध्यम से 5 सत्त विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.)–13 "क्लाईमेट एक्शन", एस.डी.जी.–15 "भूमि पर जीवन", एस.डी.जी.–1 "गरीबी नहीं", एस.डी.जी.–2 "शून्य भुखमरी" एवं एस.डी.जी.–3 "अच्छा स्वास्थ्य कल्याण" की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

1. सामाजिक वानिकी विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. का मुख्य कार्यक्रम प्रक्षेत्र वानिकी विकास है जिसका उद्देश्य है किसानों की व्यक्तिगत, ग्राम पंचायत तथा राजकीय राजस्व बंजर व सीमांत भूमियों पर सहभागी वानिकी विकास के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के व्यापक रूप से ज्ञात प्रतिकूल प्रभाव को कम करना।

शुरुआत में, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने वृक्षारोपण हेतु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तराखण्ड राज्यों में कई दशकों से वृहद् स्तर पर खाली पड़ी हुई बंजर भूमि जो वृक्षारोपण हेतु उपयोगी हो, की पहचान की। यह बंजर भूमि, राजस्थान में ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में निजी कृषकों तथा मध्य प्रदेश में राजस्व के स्वामित्व वाली है। विकसित 29,421 हैक्टेयर सामुदायिक वानिकी के प्रबंधन हेतु 151 प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.) विकसित की गयी हैं और उनका क्षमता निर्माण किया गया। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा किये जा रहे प्रयासों में लगातार गुणात्मक व मात्रात्मक वृद्धि के लिए इन वानिकी सहकारी समितियों के अंतर्गत वानिकी उन्नयन पर "अनुसंधान व विकास" का कार्य भी किया जा रहा है।

संबंधित ग्रामीण समुदायों को प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों (पी.एफ.एफ.सी.एस.) के माध्यम से संगठित किया गया है। ये समितियां, सहभागी वनों का चिरंतर प्रबन्धन करने में मुख्य सामुदायिक संस्था के रूप में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा इन पी.एफ.एफ.सी.एस. को आवश्यक तकनीकी, वित्तीय, क्षमता निर्माण, संबंध विकसित करने, विपणन एवं स्त्रोत जुटाने से संबंधित आदानों के लिए सहायता की जा रही है। इसके अवधानों के फलस्वरूप, 500 से अधिक गांवों में न सिर्फ हरीतिमा विकसित हुई है बल्कि, बंजर भूमि भी पुनःरक्षित हुई है। वर्तमान में, विद्यमान वनों से आर्थिक लाभ केवल चयनित छटाई, घास एवं लघु वनोपज आदि तक सीमित है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा की गई कार्बन क्रेडिट की अनूठी पहल से, समुदाय के लिए हरित राजस्व व सृजन, अन्य पर्यावरणीय सेवाओं के माध्यम से और अधिक बढ़ाया जा रहा है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. के समग्र दृष्टिकोण का ध्यान, अन्य संबंधित गतिविधियों जैसे अवैध कटाई व अतिक्रमण एवं आग से बचाव, हितधारकों के आर्थिक लाभ के लिए बेहतर वनोपज प्रदान करने, इन वनों के माध्यम से उत्पन्न कार्बन क्रेडिट के व्यवसाय जैसे

वानिकी समिति सिंदेसर कलां, जिला राजसमंद (राजस्थान) में कृषि वानिकी अंतर्गत मिलिया कम्पोजिटा का वृक्षारोपण

Climate Action (Sustainable Development Goal - 13, 15, 1, 2 & 3)

The United Nations General Assembly has defined 17 Sustainable Development Goals (SDGs) needing action by the nations of the World. It is indeed a matter of great satisfaction that IFFDC has made a significant contribution towards 5 goals, Sustainable Development Goal 13 (SDG-13) "Climate Action", SDG-15 "Life on Land", SDG-1 "No Poverty", SDG-2 "Zero Hunger" and SDG-3 "Good Health & Well Being" through its multiple Social Forestry Development Programmes, Integrated Watershed Management, Climate Proofing activities etc.

1. Social Forestry Development

IFFDC's flagship Farm Forestry programme is aimed at mitigating the wellknown deleterious climate change effects by developing participatory forestry on waste and marginalised lands belonging to individual farmers, village Panchayats and the Government.

Accordingly, as an initial step, IFFDC identified large tracts of wasteland, which had been lying almost barren for decades. These acquired wastelands in the states of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttarakhand are Panchayat lands in Rajasthan, individual lands in Uttar Pradesh & Uttarakhand and Revenue land in Madhya Pradesh. The concerned communities are then organised by IFFDC into Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS), designed as the key community institutions to manage and maintain the developed participatory forests, on a sustainable basis. 151 Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) have been set up and their capacities built up for management of the community forests developed on 29,421 Hectares.

IFFDC supports the PFFCS with the necessary technical and financial inputs, as well as capacity building, networking, marketing and resource mobilisation inputs. As a result of its interventions, green cover in more than 500 villages has not only been substantively improved, but degraded lands therein have also been restored. Economic returns from existing forests are presently sourced from restricted and selective pruning of the created forests, Grasses and Minor Forest Produce (MFP) etc. IFFDCs unique initiative of Carbon Credits Trading has further enhanced green revenue for the community along with other environmental services/benefits .

IFFDCs integrated approach has also meant due attention to related activities such as control of illegal felling, prevention of encroachment and forest fires, accelerating forest yield for improved economic returns to the

Dense and bio-diverse forest developed by IFFDC on ravine lands in Kandrawan PFFCS Uttar Pradesh

अन्य वैकल्पिक अवसरों तथा इस भूमि के उपयोग अधिकारों को पुनः परिभाषित करने आदि पर भी केन्द्रित है। वानिकी समितियों को चिरन्तरता हेतु आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के क्रम में शीघ्र बढ़वार वाली व्यावसायिक उन्नत एवं दीर्घावधि वाली स्वदेशी पौध प्रजातियों के रोपण व कृषि आदानों के व्यवसाय करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इफको की सहायता और वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के तकनीकी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की समितियों में नीम (अजाडीरेक्टा इंडिका) के 153 जीनोटाइप्स के चार शोध परीक्षण किए गए हैं। स्वदेशी प्रजातियों का सघन व अल्पावधि में वन विकसित करने हेतु उत्तर प्रदेश की कनकसिंहपुर वानिकी समिति में 'मियावाकी पद्धति' (एक जापानी तकनीकी) अपनायी गयी।

संयुक्त राष्ट्र के कुल 17 सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) में से, यह परियोजना, 5 एस.डी.जी. प्राप्ति में सहयोग कर रही है। विकसित हो रहे वन, वायुमंडलीय कार्बन को अवशोषित कर रहे हैं जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायता मिल रही है जिससे एस.डी.जी.–13 "क्लाईमेट एक्शन" को संबोधित किया जा रहा है। जल भराव वाले क्षेत्र में विकसित जंगल क्षेत्र अब पक्षियों के अभ्यारण्य के रूप में विकसित हो गया है। विकसित वनों में वन्य जीवन और कई नई पौधों की प्रजातियाँ और घासें उभर रही हैं जिससे एस.डी.जी.–15 "भूमि पर जीवन" को संबोधित करने में योगदान मिल रहा है। इससे एस.डी.जी.–1 "कोई गरीबी नहीं" में भी योगदान मिल रहा है क्योंकि, वृक्षारोपण गतिविधियाँ ग्रामीण समुदाय के लिए रोजगार सृजित करती हैं जो उनके परिवारों के लिए आय का साधन बना है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा कृषि उद्यानिकी प्रणाली के तहत् फल वृक्षों का भी रोपण किया जा रहा है, जिससे परियोजना क्षेत्र में पोषक भोजन की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, जिससे एस.डी.जी. नंबर – 2 "शून्य भूख" और एस.डी.जी. नंबर –3 "अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण" को संबोधित किया जा रहा है।

परियोजना विवरण

राज्य	जिला	कुल क्षेत्र (हेक्ट.)	कुल विद्यमान वृक्ष (लाख)
उत्तर प्रदेश	सुलतानपुर, रायबरेली, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, लखनऊ, अमेठी, उन्नाव	12,951	51.39
उत्तराखण्ड	नैनीताल, चम्पावत	207	0.87
राजस्थान	उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद	9,713	20.85
मध्य प्रदेश	सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी	6,550	35.44
	योग	**29,421**	**108.55**

आई.एफ.एफ.डी.सी. के निदेशक मण्डल के सदस्यों एवं प्रबंध निदेशक द्वारा रख्यावल वानिकी समिति (राजस्थान) का भ्रमण

stakeholders, making available commercial options such as trading of carbon credits generated by the carbon sequestration rendered by these forests and defining the usufruct rights of these lands, etc. The PFFCS are being motivated to undertake plantation of improved fast growing as well as indigenous long gestation plant species and to undertake the business of Agri-inputs supply for economic self-sufficiency and sustainability.

Research and development work on Forestry improvement, an important input for continued qualitative and quantitative enhancement of ongoing efforts, is also being undertaken by these PFFCS. Four research trials of 153 Genotypes of Neem (Azadirachta indica) have been undertaken in the PFFCS of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh with the help of IFFCO and under the technical guidance of Forest Research Institute, Dehradun. The 'Miyawaki' method (a Japanese Technique) for developing fast and dense forests of indigenous species has also been adopted in Kanaksinghpur PFFCS of Uttar Pradesh.

Out of the total 17 Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations, this project addresses 5 SDGs. The developed forests sequestrate atmospheric carbon, which helps in mitigating climate change, addressing SDG-13 "Climate Action". The forest developed in waterlogged areas has now been developed into a bird sanctuary. Wild life and many new plant species and grasses have emerged in these forests, which are contributing to SDG - 15 "Life on Land". These developments also contribute to the SDG-1 "No Poverty" as the plantation activities generate employment for the rural community, in turn generating income for their families. IFFDC also supports fruit plantation under its Agri-horti system, which noticeably increases nutritive food availability in the project area addressing thereby the SDG-2, "Zero Hunger" and SDG-3, "Good Health & Well Being".

PROJECT DETAILS

State	District	Total Covered Area (ha)	Total Existing Trees (Lakh)
Uttar Pradesh	Sultanpur, Raebareli, Prayagraj, Kaushambi Pratapgarh, Lucknow, Amethi, Unnao	12,951	51.39
Uttarakhand	Nainital, Champawat	207	0.87
Rajasthan	Udaipur, Chittorgarh, Rajsamand	9,713	20.85
Madhya Pradesh	Sagar, Chhatarpur, Tikamgarh, Niwari	6,550	35.44
	Total	**29,421**	**108.55**

Block plantation of fast growing species i.e. Burma Neem and Maharukh on farmer's field in Uttar Pradesh

सामाजिक वानिकी में नये अवधान

(अ) कृषि वानिकी प्रणाली विकास

भारतीय वनों से लगभग 3000 लाख लोगों को अपनी आजीविका चलाने में मदद मिलती है तथा ये जलवायु परिवर्तन शमन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं। भारत सरकार ने यू.एन.एफ.सी.सी.सी. को वर्ष 2030 तक वानिकी क्षेत्र से 250–300 करोड़ टन कार्बन का स्वैच्छिक रूप से अतिरिक्त अवशोषण करने के निश्चय का वादा किया। यदि भारत के सभी खुले वनों को संरक्षित कर लिया जाये तो भी मात्र 9 लाख टन अतिरिक्त कार्बन का अवशोषण किया जा सकता है। शेष कार्बन की मात्रा को वन क्षेत्रों से बाहर वृक्ष उगाकर ही अवशोषित किया जा सकता है। वन क्षेत्र के बाहर वृक्ष उगाने के लिए कृषि वानिकी भी एक अच्छा विकल्प है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि, कृषि वानिकी विकास को बढ़ावा दिया जाये। इसलिए भारत सरकार की एन.डी.सी. प्रतिबद्धता के संदर्भ में, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने किसानों के खेतों पर कृषि वानिकी विकसित करने के लिए एक नई पहल की है। यह न केवल जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है बल्कि, किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में भी मदद करता है। इस प्रकार, एन.डी.सी. प्रतिबद्धता में योगदान करने के साथ–साथ कृषि वानिकी, भारत सरकार के मिशन "किसानों की आय को दुगुनी करना" में भी मदद करता है।

कृषि वानिकी के अंतर्गत रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ व्यावसायिक उपयोग, शीघ्र बढ़ने वाली तथा जल्दी परिपक्व होने वाली हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु चयनित पौध प्रजातियाँ मिलिया कम्पोजिटा (बर्मा नीम), महारुख (एलैंथस एक्सेल्सा) तथा यूकेलिप्टस आदि हैं। वर्ष के दौरान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश राज्यों में 71 किसानों के खेतों पर कुल 0.70 लाख पौधे लगाये गये।

(ब) कृषि उद्यानिकी प्रणाली विकास

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 से पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" (एन.एच.एम.) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा भारत सरकार के एन.एच.एम. एवं "सतत् विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) नं. 1" "गरीबी नहीं" व (एस.डी.जी) नं. 2 "शून्य भुखमरी" में सहयोग करने के लिए अपने विद्यमान घटक सामाजिक वानिकी व जलवायु परिवर्तन में कृषि–उद्यानिकी को सहयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अतिरिक्त आय सृजन कराना है और उनके परिवारों के लिए पोषण का स्त्रोत उपलब्ध कराना है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा किसानों की कृषि योग्य भूमि पर परंपरागत फसलों के साथ तात्कालिक लाभ देने वाली फलदार प्रजातियों के रोपण के लिए उदारतापूर्वक वित्तीय व तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष के दौरान, आम, नीबू व अमरूद के लगभग 844 पौधे लगाए गए। कृषि–उद्यानिकी कार्यक्रम को अपनाने से प्राप्त उत्साहजनक परिणामों ने आसपास के किसानों पर स्पष्ट रूप से प्रेरणादायक प्रभाव डाला है और अधिक किसानों को इस प्रणाली को अपनाने के लिए आकर्षित किया है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. की महिला निदेशक एवं प्रबंध निदेशक द्वारा राजस्थान के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों का अवलोकन

New Initiatives in Social Forestry

(a) Agro-forestry System Development

Indian Forests are helping in improving the livelihoods of about 3000 lakh people and are important for mitigating Climate Change. A voluntary reduction of 2.5-3 billion tonnes of additional CO2 e by 2030 has been committed to UNFCCC by the Government of India from its forestry sector . Even were all of India's open forests to be taken up for restoration, only about 0.9 million tonnes of CO2e worth additional carbon sink would expectedly be created. The balance will need to be sourced from Trees outside Forests (ToF), for achieving which, Agro-forestry is indeed one of the best options. Therefore, it becomes imperative to focus on the potential of ToF. It is in this context of India's Nationally Determined Contribution (NDC) commitment that IFFDC has diversified into the new initiative of developing agro-forestry on farmer fields. This work helps in not only mitigating Climate Change but also in additional farmer income generation, thereby contributing to the Government of India mission of "Doubling Farmer's Income".

The plant species selected and planted under agro-forestry are commercial, fast growing and early maturing varieties including Melia composita (Burma Neem), Maharukh (Ailanthus excelsa) and Eucalyptus Clone etc. During the year, 0.70 lakh saplings have been planted on the fields of 71 farmers in Uttar Pradesh.

(b) Agri-Horti System Development

The Government of India "National Horticulture Mission" (NHM) aimed at ensuring nutritional security and income generation for farmers, has been operational since 2004. Towards fulfilling the objectives of the SDGs No. 1 and No. 2, "No Poverty" and "Zero Hunger", IFFDC has carefully grafted the component of Agri-Horti system development to its existing Social Forestry and Climate Change portfolio, thereby also contributing to the objectives of NHM.

IFFDC has also been generously providing financial and technical support to farmers for fruit species plantation on their arable lands along with traditionally grown crops. During the year, about 844 saplings of Mango, Lemon and Guava were planted to give quick returns to farmers. The encouraging results evidenced by the adoption of Agri-Horti programmes has had a visible demonstration effect on farmers in the adjacent areas and attracted more farmers to this system.

Boundary plantation of clone Eucalyptus under Agro-forestry System in Ramshahpur PFFCS, Uttar Pradesh

(स) कार्बन क्रेडिट के लिए कदम

वनीकरण और पुनःवनीकरण कार्बन डाइ–ऑक्साइड (CO_2) को अवशोषित करता है जिससे वायुमण्डल में CO_2 की सांद्रता कम होती है। CO_2 की इस सांद्रता में कमी का उपयोग मुख्य रूप से विकसित देशों में उद्योगों द्वारा CO_2 के उत्सर्जन को ऑफसेट करने के लिए किया जा सकता है। वातावरण से CO_2 में इस तरह की कमी को स्वैच्छिक उत्सर्जन में कमी (VER) के रूप में माना जाता है और विकसित देशों में विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में इसकी काफी मांग है ताकि वे उत्सर्जन में कमी लाने संबंधी अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सकें।

ग्रामीण समुदायों के लिए अपने आउटपुट का मुद्रीकरण करने और आय बढ़ाने के साथ–साथ वानिकी में निरंतर और त्वरित कार्यवाही को प्रोत्साहित करने के लिए नए आयाम सृजित करने हेतु "कार्बन फाइनेंस" के क्रम में आईएफएफडीसी ने उत्तर प्रदेश की 11 समितियों में वर्ष 2008 से 2013 के दौरान विकसित 189 हैक्टेयर वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए एक कार्बन क्रेडिट परियोजना वेरा रजिस्ट्री, वाशिंगटन डीसी के साथ पंजीकृत की। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के लिए परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, परियोजना का प्रमाणीकरण और सत्यापन अंकेक्षण कराने तथा कार्बन क्रेडिट की बिक्री में सहयोग करने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. ने मैसर्स इमरजेंट वेंचर इंडिया प्रा. लि. (EVI) को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है जिनकी तकनीकी सलाह से वानिकी स्थलों की जीपीएस मैपिंग, वीसीएस प्रमाणीकरण ऑडिट एवं परियोजना का सत्यापन ऑडिट का कार्य पूर्ण किया गया।

कार्बन क्रेडिट परियोजना को अप्रैल 2023 में वैरा के साथ पंजीकृत किया गया जिससे माह मई 2023 में वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2022 की प्रथम तिमाही तक की अवधि के सत्यापित कार्बन मानक (वी.सी.एस.) मे तहत् 78000 कार्बन क्रेडिट जारी किए गए। जिसमें से 49,498 कार्बन क्रेडिट की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री की गयी, जिससे 7.75 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। जिसमें से 1.50 करोड़ रुपये संबंधित 11 वानिकी सहकारी समितियों को और 3 करोड़ रुपये 120 किसानों को जिनकी भूमि पर यह अधिकृत वृक्षारोपण किया गया था उनको दिए गए। इस परियोजना का द्वितीय सत्यापन अंकेक्षण जुलाई 2022 से जून 2025 तक की अवधि के लिए भी पूर्ण कर लिया गया है।

कार्बन क्रेडिट के राजस्व को साझा करने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी., वानिकी समितियाँ और भू–स्वामी सदस्य किसानों के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया। समझौते के तहत्, सत्यापन और सत्यापन ऑडिट शुल्क, जी.पी.एस. मैपिंग, वेरा शुल्क आदि सहित कार्बन क्रेडिट परियोजना के विकास पर होने वाले खर्चों में कटौती के बाद, क्रेडिट की बिक्री से उत्पन्न शुद्ध राजस्व में से 25 प्रतिशत वानिकी समितियों, जहाँ वृक्षारोपण किया गया, 50 प्रतिशत संबंधित भू–स्वामी सदस्य किसानों तथा 25 प्रतिशत आई.एफ.एफ.डी.सी. को साझा किया। इस परियोजना से तीनों हितधारकों के लिए वर्ष 2008 से 2038 तक 30 वर्षों के लिए कार्बन क्रेडिट का राजस्व प्राप्त होगा।

आईएफएफडीसी की उक्त कार्बन क्रेडिट की पायलट परियोजना की सफलता संस्था के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई है, जिससे संस्था के प्रयासों को और बल मिला है। आईएफएफडीसी ने एक दूसरी परियोजना तैयार कर वेरा रजिस्ट्री, वाशिंगटन

मेढावा वानिकी समिति, जिला प्रतापगढ़ (उ.प्र.) में समिति सदस्यों के लिए 'कार्बन क्रेडिट' परियोजनांतर्गत वृक्षारोपण क्षेत्र का भौगोलिक मानचित्रण पर प्रशिक्षण

(C) Steps for Carbon Credits

Afforestation & Reforestation absorbs Carbon Di-oxide (CO_2) and thus reduces the CO_2 in the atmosphere. This reduction of CO_2 can be used for off-setting the emission of CO_2 mainly by industries in developed countries. Such reduction of CO_2 from the atmosphere can be traded as Voluntary Emission Reduction (VER) and is in demand in developed countries particularly in the United States of America and Europe to meet their international commitments of emission reduction.

Recognizing the transformative potential of "Carbon Finance" to unlock new avenues for forest-dwelling and rural communities to monetise their outputs and enhance incomes, as also incentivise continuous and accelerated action in forestry, IFFDC took the innovative step of registering a carbon credit project with VERRA Registry, Washington DC covering 189 ha plantation area developed during 2008 to 2013 in 11 PFFCS of Uttar Pradesh. To facilitate the carbon credit trading mechanism, M/s Emergent Venture India Pvt. Ltd. (EVI) were appointed as consultants for the preparation of the project proposal, development and facilitation of validation, verification of Afforestation/Reforestation Project and sale of carbon credits. The GPS Mapping of the forestry sites, VCS validation audit work and verification audit of the project completed.

Carbon credit project was registered in April 2023 with VERRA which has resulting in 78000 carbon credits under Verified Carbon Standard (VCS) being issued in the month of May, 2023 for the period from 2008 to first quarter of 2022. Of these, 49,498 carbon credits have so far been sold on the international market, resulting in a revenue of Rs 7.75 crore. Of the total revenue generated, so far Rs 1.50 crore has been shared among 11 forestry cooperatives and Rs 3 crore shared among 120 farmers on whose fields the accredited plantation was done. The Second Verification Audit of this project in the period of July 2022 to June 2025 has also been completed.

Tri-party agreements on sharing the revenue from carbon credits, after deduction of the expenses on development of the carbon credit project including validation & verification audit fee, GPS Mapping. VERRA Fee etc. were signed between IFFDC, Forestry Cooperatives and land owner member farmers. Out of the net revenue so generated, the Agreement specifies that 25% be shared with the concerned Forestry Cooperative Societies, 50% with the Land owner member farmers and 25% be the share of IFFDC. This project will generate carbon credit revenue for all the three stakeholders for 30 years from 2008 to 2038.

This path breaking success of IFFDC's Carbon Credit pilot project has established an inspiring milestone, further bolstering its endeavours and morale. IFFDC has since diligently devised and officially enlisted a

Carbon Credit Project's Verification Audit by Accredited Auditors at Urermau PFFCS, Uttar Pradesh

डी.सी. के साथ आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध कर दी है। इस दूसरी कार्बन क्रेडिट परियोजना का सत्यापन ऑडिट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

प्रगति

- 209 हैक्टेयर (उत्तर प्रदेश में 117 हैक्टेयर, उत्तराखण्ड में 20 हैक्टेयर, मध्य प्रदेश में 36 हैक्टेयर और राजस्थान में 36 हैक्टेयर) में वृक्षारोपण किया गया है। विभिन्न समितियों द्वारा 2.24 लाख पौधे (उत्तर प्रदेश में 1.28 लाख, उत्तराखण्ड में 0.20 लाख, मध्य प्रदेश में 0.37 लाख और राजस्थान में 0.39 लाख) लगाए गए हैं। प्रमुख प्रजातियाँ मिलिया (बर्मा नीम), यूकेलिप्टस क्लोन, सागौन, शीशम, महारुख, तेजपत्ता व रीठा आदि है। देश में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु इफको को नीम के 10.74 लाख पौधों की आपूर्ति की गई। वर्ष के दौरान, 500 कार्बन क्रेडिट राष्ट्रीय बाजार में बेचे गये।
- विभिन्न समितियों की 105 वार्षिक आम सभायें व कार्यकारिणी कमेटी की 680 बैठकें आयोजित की गयीं। स्वयं सहायता समूहों की 3,215 बैठकें और सचिवों की 44 बैठकें आयोजित की गयीं। 114 वानिकी समितियों ने ऑडिट कार्य पूर्ण किया।
- 05 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया जिसमें 250 रोगियों की जाँच कर निःशुल्क औषधियाँ प्रदान की गईं व 05 पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जिसमे 212 पशुओं की जाँच व उपचार किया गया। 10 राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवस जैसे पर्यावरण दिवस, महिला दिवस आदि मनाये गये।
- समूहो के ''उचित संचालन व प्रबंधन'' पर 03 प्रशिक्षण आयोजित किया गया। स्वयं सहायता समूहों के सदस्यो ने महसूस किया की इन प्रशिक्षणों ने उन्हें अपनी भूमिकाओं व जिम्मेदारियों को एक कुशल तरीके से निभाने में मदद की है।
- मलिकमऊ समिति (उ.प्र.) में कौशल विकास हेतु, 6 माह की अवधि के लिए 01 सिलाई प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जिसमें 20 महिलाओं ने विभिन्न प्रकार की पोशकों की सिलाई करने में अपने कौशल को विकसित किया। इसी प्रकार सुखी डांग, जिला चम्पावत में ''मधुमक्खी पालन की नवीनतम तकनीक'' पर उत्तराखण्ड के 16 समिति सचिवों और सदस्यों के लिए एक एक्सपोजर भ्रमण का आयोजन किया गया। जिसमें सदस्यों ने ''मधुमक्खी पालन की नवीनतम तकनीकी आयामों'' की सीख प्राप्त की।
- वानिकी और अन्य सामाजिक पहलुओं पर जानकारी बढ़ाने के लिए, मध्य प्रदेश के 23 समितियों के अध्यक्षों के लिए राजस्थान की वानिकी समितियों का एक एक्पोजर भ्रमण कम प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसी तरह, राजस्थान के 55 समितियों के अध्यक्षों के लिए को कृषि विज्ञान केन्द्र, लूणकरणसर (बीकानेर) और अन्य स्थानों का एक्सपोजर भ्रमण का आयोजन किया गया। जिसमें अध्यक्षों ने फसलों को सूखे से बचाव की नवीन कृषि–तकनीक को सीखा। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश की 45 समितियों के अध्यक्षों को फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय में एक्सपोजर भ्रमण कराया गया। जिसमें अध्यक्षों ने बागवानी की नई तकनीकी जैसे कि ग्राफ्टेड पौधे तैयार करना और नर्सरी प्रबन्धन आदि के बारे मे सीखा।

कुम्हरावाँ वानिकी समिति, जिला लखनऊ (उ.प्र.) में 'कार्बन क्रेडिट' परियोजना का सत्यापन अंकेक्षण

second project with the VERRA Registry in Washington DC, the validation Audit of which has since been completed.

PROGRESS

- Plantation on 209 ha area (117 ha in Uttar Pradesh, 20 ha in Uttarakhand, 36 ha in Madhya Pradesh and 36 ha in Rajasthan) has been raised with 2.24 lakh saplings (1.28 lakh in Uttar Pradesh, 0.20 lakh in Uttarakhand, 0.37 lakh in Madhya Pradesh, 0.39 lakh in Rajasthan) in different PFFCS. Major species include Melia composita (Burma Neem), Eucalyptus Clone, Teak, Shisham, Maharukh, Tejpatta and Reetha etc. 10.74 lakh saplings of Neem have been supplied for plantation in different regions of the country. During the year, 500 Carbon Credits were sold in National market.
- 105 Annual General Body Meetings and 680 Executive Committee Meetings of different PFFCS have been organised. Additionally, 3,215 meetings of SHG and 44 Meetings of PFFCS Secretaries were organised. Audit work of 114 PFFCS has been completed.
- 05 Health camps were organised, in which 250 patients were examined and free medicines were provided. 05 Veterinary camps were organised, in which 212 Cattle were treated. Important internationally/nationally observed days such as Environment Day, Women Day etc. were celebrated.
- For capacity building of newly formed SHGs, 03 training programmes on The Proper Functioning & Management of SHG were organised. The Group Members felt that the training has helped in understanding and performing their roles and responsibilities in an efficient manner.
- For Skill Development, a 6 months duration training on tailoring has been imparted to SHG members in Mailkmau, PFFCS (U.P.), as a result of which, 20 women members have developed their skills in stitching of various garments. In another useful programme, 16 Secretaries and members of PFFCS in Uttarakhand have been upskilled regarding the latest technical aspects of Honey Bee Keeping by organising an exposure visit to Sukhi Daang in district Champawat.
- For upgrading knowledge about Forestry and other social aspects, an Exposure cum Study visit was organised for 23 PFFCS Chairmen in the state of Madhya Pradesh. Likewise, 55 PFFCS Chairmen of Rajasthan were taken on an Exposure visit to KVK Lunkaransar (Bikaner) and other places and introduced to innovative agro technology for drought proofing crop production. 45 PFFCS Chairmen of Uttar Pradesh visited the Faizabad Agriculture University where they were initiated into the new horticulture technology of preparing Grafted Plants and Nursery Management etc.

Girth and Height Measurement of Trees in Sample Plot of Carbon Credit Project at Udaipura PFFCS, Madhya Pradesh

(द) ग्रीन बेल्ट विकास

इफको द्वारा अपनी पारादीप इकाई में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों की अनुपालना व जलवायु परिवर्तन शमन में योगदान के क्रम में वृक्ष आच्छादन वृद्धि हेतु ग्रीन बेल्ट विकास चरण–2 का कार्य आई.एफ.एफ.डी.सी. को सौंपा गया। पारादीप संयंत्र में इस कार्य हेतु प्रदत्त क्षेत्र जलमग्न है अतः मिट्टी के टीले बनाकर मैंग्रोव व अन्य उपयुक्त प्रजातियों के पौधे इन टीलों पर लगाये गये।

- नीम, करंज, कैजुरिना, कोनोकॉरपस, (मैंग्रोव प्रजाति) और अकेसिया के कुल 28,100 पौधे लगाये गए और रखरखाव की गतिविधियाँ जैसे स्टेकिंग, निराई–गुड़ाई और सिंचाई आदि भी की गई। जलभराव वाले 25 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण की वृद्धि संतोषजनक है।
- रखरखाव कार्य जैसे सिंचाई, निराई–गुड़ाई, थाला–निर्माण आदि नियमित रूप से किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप पौधों की 99 प्रतिशत जीवितता सुनिश्चित की गई है।

प्रक्षेत्र वानिकी परियोजना के परिणाम

प्रक्षेत्र वानिकी परियोजना का उद्देश्य बंजर, समस्याग्रस्त और जलभराव वाली भूमि पर बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को कम करना है। इस परियोजना ने ग्रामीण समुदायों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, क्योंकि इसने बंजर भूमि को सतत् एवं बहुउद्देशीय वनों में परिवर्तित किया है। यह परियोजना पर्यावरणीय पुनर्स्थापन को ग्रामीण समुदायों के सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण विशेष रूप से हाशिये पर स्थित किसानों और महिलाओं को लक्षित करते हुए एकीकृत करती है। परियोजना के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं:

- वानिकी समितियाँ पर्यावरण उन्नयन के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य कर रही हैं और समुदाय की ईंधन लकड़ी, चारा तथा कृषि–आदानों जैसी आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं।
- समस्याग्रस्त भूमि (जैसे लवणीय, खारी, बीहड़ और जलभराव वाले क्षेत्र) अब पुनर्स्थापित होकर खेती योग्य भूमि में परिवर्तित हो गई हैं और आज उत्पादक संपत्तियों के रूप में सिद्ध हो रही हैं।
- प्रक्षेत्र वानिकी ने परियोजना क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन, पारिस्थितिक पुनर्स्थापना और जैव विविधता संरक्षण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- कार्बन क्रेडिट परियोजना सदस्य किसानों के लिए सतत् आय का साधन बन रही है।
- प्रक्षेत्र वानिकी कार्यक्रम से विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं, जिससे विशेष रूप से महिलाओं को लाभ मिला है।
- रिवॉल्विंग फंड समिति तथा स्वयं–सहायता समूह सदस्यों को विभिन्न सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता प्रदान कर रहा है, जिससे सतत् और सम्मानजनक आजीविका उत्पन्न हो रही है। संचालित सूक्ष्म उद्यम किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हैं।

इफको पारादीप इकाई प्रमुख श्री पी.के. महापात्रा एवं आई.एफ.एफ.डी.सी. प्रबंध निदेशक श्रीमती माधवी एम. विप्रदास द्वारा ग्रीन बेल्ट विकास परियोजना के द्वितीय चरण का शुभारंभ

(d) Green Belt Development

IFFCO has awarded a Green Belt Development Project Phase - 2 to IFFDC for increasing tree cover in the IFFCO Paradeep Plant area aimed at compliance to the norms of Pollution Control Board and contributing towards combating climate change. The project area in the Paradeep plant is waterlogged, therefore, the heaps were constructed and plantation of Mangrove and other suitable species was taken up on heaps.

- Total 28,100 saplings of Neem, Karanj, Casurina, Conocarpus (mangrove species) and Acacia have been planted and maintenance activities i.e. Staking, Hoeing, Weeding and Irrigation etc. have also been undertaken. The growth of plantation in the 25 hectare waterlogged area is satisfactory
- Maintenance works i.e. irrigation, hoeing weeding, Basin making etc. are being done. Consequently, 99% survival of the plants has been achieved.

OUTCOMES OF FARM FORESTRY PROJECTS

The Farm Forestry Project focuses on mitigating climate change through large-scale afforestation of barren, problematic and waterlogged lands and it has significantly impacted rural communities by converting wasteland into sustainable multipurpose forests. The project integrates ecological restoration with socio-economic empowerment of rural communities, specifically targeting marginalised farmers and women. The major outcomes are as follows:

- PFFCS are serving as nodal agencies for environment up-gradation and catering to the fuel wood, fodder as well as other community needs of such as the supply of Agri-inputs.
- Problematic lands (Sodic, Saline, Ravine and Waterlogged, etc) have been restored and transformed into cultivable lands and thus productive assets.
- Ecological balance, eco-restoration and bio-diversity conservation of project tracts are major benefits of afforestation of these tracts.
- The Carbon Credit Project is generating sustainable income for member farmers.
- Farm Forestry Programme has engendered additional employment opportunities through various farm forestry activities for local communities, women being especially benefitted.
- Revolving Fund is enabling PFFCS as well as SHG members to establish various micro-enterprises, generating thereby sustainable and dignified livelihoods. The operationalised micro-enterprises are helping to achieve the aim of doubling Farmer's income.

Green Belt developed by IFFDC on Waterlogged land at IFFCO Paradeep Plant (Odisha)

2. जलग्रहण प्रबंधन (पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन)

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने काफी समय पूर्व ही अपने जलवायु परिवर्तन शमन के महत्व को समझ लिया और इन्हें अनिवार्यता क्लाईमेट एक्शन कार्यक्रम में अन्य विषयक अवधानों जैसे जल संसाधन विकास, मृदा–जल संरक्षण, क्लाईमेट प्रूफिंग, आजीविका आदि को समाहित करने के महत्व को अपना लिया था।

आई.एफ.एफ.डी.सी. को विशेषतः प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण समुदायों की जेंडर केंद्रित आजीविका उत्थान के लिए जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का व्यापक अनुभव है, जिसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया में उपयोग होने से संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्य सं. 13 "क्लाईमेट एक्शन" तथा सतत् विकास लक्ष्य सं. 15 "जमीन पर जीवन" में योगदान होता है।

सहभागिता के प्रति अभिरुचि के चलते, सहभागी तरीके से जलग्रहण विकास की परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं चिरंतरता प्रदान करने हेतु जमीनी स्तर पर ग्राम जलग्रहण कमेटी तथा जल उपयोग कमेटियां जैसी सामुदायिक संस्थायें विकसित की गयीं। जल एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में समुदाय के लिए पारिस्थितिकीय प्रतिस्कंदन निर्माण हेतु इस गतिविधि में भू–उपयोग योजना एवं विकास तथा अन्य आजीविका अर्जन से संबंधित गतिविधियों के एक व्यापक समूह को क्रमबद्ध तरीके से समाहित किया गया है।

जलग्रहण विकास का मुख्य उद्देश्य, भूमि व जल संसाधनों को संरक्षित व पुनर्स्थापित करना जिससे, जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिस्कंदन विकसित हो तथा इन क्षेत्रों में जल संकट एक और समस्या है जहाँ समुदाय में जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता विकसित करना ताकि खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस हेतु, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जल संसाधनों के क्षरण को पुनर्स्थापित करने के लिए अन्य संस्थाओं तथा प्रत्यक्ष तौर पर नाबार्ड से एवं विभिन्न सरकारी संस्थाओं से अभिमुखीकरण कर संसाधन जुटाए जा रहे हैं।

"रिज से वैली तक" उपचार की अवधारणा के साथ भूमि उपचार, जलवायु शमन, आजीविका सृजन तथा ग्रामीण समुदाय का क्षमता विकास करते हुए सतत् सामुदायिक संस्थाओं जैसे ग्राम जलग्रहण विकास समितियों (वी.डब्ल्यू.डी.सी.) विकसित करने पर बल दिया जाता है।

चूँकि महिलायें जलचक्र की अभिन्न अंग हैं अतः परियोजना चक्र के सभी स्तरों में जेन्डर समानता को सुनिश्चित किया जा रहा है। विभिन्न मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से कुल 19,568 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया गया है।

वर्षा जल संचयन हेतु कमलाडीह, जिला कटक (ओडिशा) में नाबार्ड–जलग्रहण विकास परियोजनांतर्गत निर्मित तालाब

2. Watershed Management (Ecological Resilience)

Early on in its Climate crusade, IFFDC recognised the importance of essentially integrating other thematic interventions like Water Resource Development, Soil Water Conservation, Climate Proofing, Livelihood etc. into this programme for its success.

IFFDC's experience of its watershed management programme for improving gender focused rural livelihoods of communities through natural resource management is in particular noteworthy. It bears repeating that this initiative contributes to the Sustainable Development Goals No. 13 "Climate Action" and SDG 15 “Life on Land” of the United Nations.

In line with its participatory predilection, Village Watershed Committees (VWC) and Water Users Committees (WUC) are developed at grass root level for implementing this programme using a participatory approach. Focusing on providing Water and Food Security, a comprehensive set of activities related to land use planning, development and other livelihood generation activities has been systematically integrated for building up the 'Ecosystem Resilience' of the community.

The purpose of watershed development is to build capabilities of the community to rehabilitate and conserve land and water resources, water being another increasingly threatened resource, in order to develop resilience towards climate change to ensure food and livelihood security. For this, IFFDC has joined hands with other agencies and is mobilising resources directly from NABARD and through convergence with various Government agencies and schemes for the restoration of depleting water resources.

The focus is on land treatment with "Ridge to Valley" treatment concept, climate proofing, livelihood generation and building capacities of the rural community by developing sustainable community institutions like Village Watershed Development Committees (VWDC).

Women being an important part of the water cycle, ensuring gender equity, at all stages of the project cycle is of paramount importance. A total area of 19,568 ha area has been treated by various soil & water conservation measures.

Anicut constructed under NABARD Watershed Development Project-Amriti, Distt. Satna (Madhya Pradesh)

परियोजना विवरण

सहायक संस्था	राज्य	जिला	उपचारित क्षेत्र (हेक्ट.)
नाबार्ड	छत्तीसगढ़	कवर्धा, बिलासपुर	2,609
	मध्य प्रदेश	सागर, छिंदवाड़ा, सतना	4,679
	राजस्थान	प्रतापगढ़, उदयपुर	1,652
	तेलंगाना	निजामाबाद	1,837
	ओडिशा	कटक	250
	उत्तराखण्ड	नैनीताल	10
राज्य सरकारें	म.प्र. (मनरेगा)	भोपाल, श्योपुर, छतरपुर	3,417
	म.प्र. (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	छतरपुर, रीवा	5,114
		कुल	**19,568**

प्रगति

- 400 हैक्ट. क्षेत्र को प्रभावी मृदा–जल संरक्षण हेतु 9,239 घन मी फार्म बंड, 202 घन मी स्टोन आउटलेट (एस.ओ.), 20 घन मी स्टैगर्ड कन्टूर ट्रैंच (एस.सी.टी.), 65 लूज बोल्डर संरचना (एल.बी.एस.), 1 संकन पौंड व 1 संयोजित गेबियन संरचना का निर्माण किया गया।
- वर्षा जल संचयन और संरक्षण उपायों के तहत, किसानों के खेतों में 23 फार्म पौंड व 2 रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया। इस एकत्रित पानी का उपयोग किसान अपनी फसलों की सिंचाई करने के लिए कर रहे हैं।
- जलग्रहण क्षेत्र में उप चरागाह क्षेत्र में, 3,459 वानिकी पौधे व 3,400 फलदार पौधे जैसे काजू, आलूबुखारा, नारियल व आम लगाकर वृक्षों का आवरण बढ़ाया गया है। इससे मिट्टी के कटाव को कम करने मे मदद मिल रही है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने मे भी सहायता मिल रही है साथ ही साथ इससे आय अर्जन में भी मदद मिलेगी।
- खेती योग्य जमीन में मिट्टी के कार्बन को बढाने के लिए, 10 किसानों को बायो डिकम्पोजर का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे खेतों मे पराली को सड़ाकर खाद में परिवर्तित किया गया व 5 किसानों को गोबर खाद के गड्ढों का निर्माण करने में सहायता की गई। साथ ही, मिट्टी की उर्वरता मे सुधार के क्रम में हरी खाद के लिए 10 किसानों को ढैंचा का 3 क्विंटल बीज प्रदान किया गया है, इससे मृदा कार्बन व मृदा उर्वरता में वृद्धि करने में मदद मिली है।
- किसानों को अपनी फसलों में रसायन रहित कीट नियंत्रण उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित करने और उन्हें शिक्षित करने हेतु, 30 कीट ट्रैप सोलर लाईट किसानों के खेतो मे लगायी गयी जिससे हानिकारक कीटों की संख्या को एक निश्चित सीमा से नीचे बनाए रखने मे मदद मिली।
- 03 स्वयं सहायता समूहों को आय अर्जन हेतु, एक आटा चक्की व 02 किराना दुकान की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गयी एवं आय अर्जन हेतु, 30 इकाई मुर्गीपालन के लक्ष्य के सापेक्ष, 30 गरीब परिवारों को मुर्गी पालन हेतु, 30 इकाईयाँ (प्रति इकाई 216 वनराजा नस्ल के चूजे), चारा, अनाज पात्र एवं जल–पात्र के साथ स्थापित की गयीं। इससे गरीब परिवारों की आय एवं आजीविका अर्जन हेतु एक वैकल्पिक स्त्रोत विकसित हुआ है।
- ''जैविक खेती'' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 15 किसानों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण से उन्हें जैविक खेती प्रारंभ करने हेतु प्रोत्साहन मिला जिससे उनके फसल उत्पादों की अच्छी कीमत मिलना सुनिश्चित हुआ है।

जलग्रहण विकास परियोजना के परिणाम

- परियोजना गांवों में भूजल स्तर और कुओं के जलस्तर में वृद्धि देखी गई है। किसान अब अपनी द्वितीय फसल भी सफलतापूर्वक ले पा रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ी है।
- जलग्रहण क्षेत्र में मृदा–अपरदन में कमी आई है तथा अतिरिक्त क्षेत्र को खेती के अंतर्गत लाया गया है, जिससे दोहरी फसल क्षेत्र व फसल सघनता में वृद्धि हुई है।
- भूमिहीन किसानों और महिलाओं को कौशल विकास तथा मृदा–नमी संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। परियोजना क्षेत्र के किसानों की 'क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर' संबंधी जानकारी में वृद्धि हुई है।
- मृदा उर्वरता और पारिस्थितिक पुनर्स्थापना में वृद्धि हुई है तथा उपचारित क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्ता का चारा उपलब्ध हुआ, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।
- यह परियोजना भारत सरकार के उद्देश्यों 'हर बूंद से अधिक फसल' तथा 'किसानों की आय दोगुनी करना' की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हुई है।

PROJECT DETAILS

Supporting Agency	State	District	Treated Area (ha)
NABARD	Chhattisgarh	Kawardha, Bilaspur	2,609
	Madhya Pradesh	Sagar, Chhindwara, Satna	4,679
	Rajasthan	Pratapgarh, Udaipur	1,652
	Telangana	Nizamabad	1,837
	Odisha	Cuttack	250
	Uttarakhand	Nainital	10
State Govt.	MP (MGNREGA)	Bhopal, Sheopur, Chhatarpur	3,417
	MP (IWMP)	Chhatarpur, Rewa	5,114
		Total	**19,568**

PROGRESS

- 400 ha area has been covered under these initiatives by constructing of 9,239 m3 Farm Bund (FB), 20 m3 Staggered Contour trench (SCT), 65 Loose Boulder Structure (LBS), 202 Stone Outlet (SO), 01 Sunken Pond and 01 Composite Gabion for Soil Water Conservation purpose.
- For harvesting and conserving rain-water, 23 Farm Ponds and 2 Recharge Pits were constructed on farmer fields. The farmers are utilizing the harvested water for irrigating their crops.
- The green cover in the watershed tracts has been increased by planting 3,459 saplings of forestry species and 3,400 saplings of fruit species i.e. Cashew Nut, Plum, Coconut and Mango on Sub-Pasture land. This is helping in the reduction of soil-erosion and mitigating climate change as well as it will help in income generation.
- To increase soil-carbon in arable land, 10 farmers were encouraged to use Bio-decomposer to decompose and convert the crop residues in the field into manure. 5 farmers were helped for the construction of Farm Yard Manure (FYM) Pits to prepare nutrient rich manure. Further, emphasis has also been laid on the cultivation of Dhaincha crop for green manure in 10 farmers' fields . These activities have helped in increasing carbon content in the soil and enhanced soil fertility.
- To demonstrate and educate farmers about the adoption of chemical free pest control measures on their crops, 30 Insect Trap Solar Lights were installed in their fields. This initiative has greatly helped in restricting the population of harmful insects to below threshold levels.
- Support for setting up of one Flour mill and 2 Grocery Shops has been provided to 3 SHG and 30 Poultry Units (216 Vanaraja breed Chicks in each unit) have been set up for 30 poor families accompanied by feed, feeder boxes and water boxes. This support by IFFDC has helped in offering an alternate livelihood source for them.
- Training on 'Organic Farming' has been organized in which 15 farmers participated. The training has initiated them into organic farming practices, which will enable them to secure better prices for their crop-produce.

OUTCOMES OF WATERSHED DEVELOPMENT PROJECTS

- Increase of ground-water and water tables of wells in the project villages has been observed. Farmers are able to harvest a second crop successfully, leading to increased returns.
- Soil-erosion in the watershed area has reduced and additional area has been brought under cultivation, as a result of which the double cropped area as well as cropping intensity has risen.
- Landless farmers and women have been provided employment opportunities in the watershed area through skill development and various soil-moisture conservation activities. There is greater awareness and knowledge of "Climate Smart Agriculture" among the farmers of the project area.
- Enhanced Soil fertility and eco-restoration in the treated area has resulted in the production of good quality fodder for cattle with a consequent improvement in the health of cattle of the area.
- The Project activities have helped in contributing to "More Crop from Each Drop" and "Doubling Farmers Income" objectives of the Govt. of India

किसान उत्पादक संगठन संवर्धन परियोजना

(सतत् विकास लक्ष्य सं. 1 "निर्धनता नहीं" तथा लक्ष्य सं. 8 "प्रतिष्ठित कार्य एवं आर्थिक उन्नति")

किसान किसान उत्पादक संगठन प्राथमिक उत्पादकों, जैसे किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों, ग्रामीण कारीगरों एवं शिल्पकारों द्वारा गठित एक वैधानिक संस्था है। यह एक उत्पादक कंपनी, सहकारी समिति अथवा कोई अन्य कानूनी इकाई हो सकती है, जो सामूहिक कार्यवाही करने के लिए प्रभावी तंत्र प्रदान करती है तथा उससे प्राप्त लाभ एवं सुविधाओं को अपने सदस्यों में परस्पर साझा करने की व्यवस्था करती है।

एफपीओ का मुख्य उद्देश्य अपने उत्पादक सदस्यों को ऐसी व्यावसायिक संस्था के माध्यम से बेहतर आय सुनिश्चित करना है, जिसका स्वामित्व, संचालन एवं नियंत्रण स्वयं उनके हाथों में हो। सामान्यतः छोटे उत्पादकों के पास न तो आवश्यक कृषि आदानों की पर्याप्त मात्रा होती है और न ही विपणन योग्य उत्पाद की इतनी मात्रा का उत्पादन होता है कि वे पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अतिरिक्त, अपने उत्पादों के विपणन के दौरान उन्हें अनेक बिचौलियों की लंबी श्रृंखला से गुजरना पड़ता है, जहाँ पारदर्शिता का अभाव रहता है। परिणामस्वरूप, अंतिम उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई कीमत का केवल एक छोटा हिस्सा ही उत्पादक तक पहुँच पाता है। अपने स्वयं के संगठन की स्थापना के माध्यम से आदानों एवं उत्पादों का सामूहिक संकलन करके प्राथमिक उत्पादक किसान पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं, जो सीमित व्यक्तिगत संसाधनों के कारण उनके लिए संभव नहीं हो पाता। सामूहिक रूप से कार्य करने पर उनकी मोलभाव करने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे वे उत्पादों के थोक खरीदारों तथा कृषि आदानों के बड़े आपूर्तिकर्ताओं के साथ बेहतर शर्तों पर लेन–देन कर सकते हैं।

एफपीओ के प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्य संख्या 1 "गरीबी उन्मूलन तथा लक्ष्य संख्या 8 "सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक वृद्धि की प्राप्ति में योगदान मिलता है, क्योंकि इससे किसानों के स्वयं के स्वामित्व वाले उद्योगों की स्थापना करके एफपीओ के सदस्य कृषकों की आय में वृद्धि करने हेतु बल मिलता है।

आईएफएफडीसी द्वारा, भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र योजना "10,000 किसान उत्पादक संगठनों के संवर्धन एवं गठन" के अंतर्गत, नाबार्ड एवं एनसीडीसी के वित्तीय सहयोग से सात राज्यों क्रमशः उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र में 49 एफपीओ के संवर्धन हेतु 10 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन परियोजनाओं की अवधि अप्रैल 2021 से मार्च 2026 तक पाँच वर्ष की है। वर्ष 2025–26 के दौरान हुई प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः

श्री मनीष दिलीपभाई संघाणी, निदेशक, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. संवर्द्धित अमरेली एफ.पी.ओ. में मूँगफली खरीद का शुभारंभ

Promotion of Farmer Producer Organisations (FPO) Project

(Sustainable Development Goal No. 1 “No Poverty” and Goal No. 8 "Decent Work and Economic Growth")

A Farmer Producer Organisation (FPO) is a legal entity formed by primary producers, viz. farmers, milk producers, fishermen, weavers, rural artisans, craftsmen. It can be a producer company, a cooperative society or any other legal entity, which provides a mechanism for collective action and for sharing profits/benefits arising there from among the members.

The main aim of a FPO is to ensure better incomes to its producer members from a business organisation that they own, run and control. Small producers universally lack the individual volumes both in terms of inputs needed by them, and their marketable produce, that would allow them to access the benefit of economies of scale. Besides, the long chain of intermediaries they encounter in their marketing, who most often work with a lack of transparency or complete non-transparency, leads to a scenario where the producer invariably receives only a small part of the value that the ultimate consumer pays. Through aggregation at all levels of inputs and outputs made possible by setting up their own organisation, the primary producers can avail the economies of scale, which their individual limited resources prevents them from doing. In unison, they also command better bargaining power vis-à-vis the bulk buyers of produce and bulk suppliers of inputs.

The promotion and nurturing of FPO contributes to the Sustainable Development Goal No. 1 “No Poverty” and Goal No. 8 "Decent Work and Economic Growth" as it helps in creating farmer owned enterprises and increasing incomes of the FPO members.

IFFDC is implementing 10 projects for Promotion of 49 FPO in seven States i.e. Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra with financial support from NABARD and NCDC under the Central Sector Scheme of the Govt. of India for Promotion of 10,000 Farmer Producer Organisations (FPO). The project duration is of five years from April 2021 to March 2026. The progress for the year 2025-26 is as below:

Hon'ble Chief Minister Haryana Shri Nayab Singh Saini presenting Credit Linkages Cheque of Nabkisan to Dada Paadri FPO, Jind

- आई.एफ.एफ.डी.सी. को आवंटित सभी 49 एफपीओ का गठन कर लिया गया है, जिनमें से 27 संबंधित राज्यों के सहकारी अधिनियम के तहत तथा 22 कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इन एफपीओ में कुल 36,218 किसान शेयरधारक हैं।
- एफपीओ लोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रहे हैं तथा भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने की सुव्यवस्थित व्यवस्था विकसित की गई है। एफपीओ की गतिविधियों व प्रगति पर चर्चा हेतु सदस्यों की 2,326 बैठकें आयोजित की गईं। इसी प्रकार, निदेशक मण्डल की 1,928 बैठकों का नियमित रूप से आयोजन किया गया, जिनमें व्यवसायिक योजना, कार्यान्वयन, संसाधन संचयन, भागीदारीपूर्ण अनुश्रवण तथा निर्णय लेने जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
- इन एफपीओ के निदेशक मण्डल एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए 164 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 140 एक्सपोजर भ्रमण का आयोजन कर उनकी क्षमता एवं कौशल विकसित की गयी। इनमें एफपीओ संचालन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, फंड मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, कृषि तकनीकों में नए विकास, तथा सरकारी योजनाओं के साथ कन्वर्जेन्स जैसे विषय का ज्ञान विकसित किया गया।
- विधिक प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न एग्री—बिजनेस संचालित करने हेतु सभी 49 एफपीओ ने पैन और जी.एस.टी. नंबर प्राप्त कर लिए हैं। इसी प्रकार, 30 एफपीओ को मंडी लाइसेंस, 47 एफपीओ को एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस तथा 44 एफपीओ को उर्वरक, बीज, कीटनाशक व अन्य कृषि—इनपुट की बिक्री हेतु लाइसेंस प्राप्त हुए हैं। उनकी उपज का ऑनलाइन विपणन भी किया जा रहा है, जिसके लिए 48 एफपीओ ई—नाम पोर्टल तथा 49 एफपीओ ओ.एन.डी.सी. पोर्टल पर पंजीकृत हैं।
- योजना के दिशा—निर्देशों के अनुसार प्रगति / लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर 47 एफपीओ को 461.71 लाख रुपये की इक्विटी ग्रांट, तथा 49 एफपीओ को 636.73 लाख रुपये एफपीओ प्रबंधन लागत के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार, इन एफपीओ को बढ़ावा देने और सहयोग प्रदान करने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. को 725.12 लाख रुपये की सी.बी.बी.ओ. प्रबंधन लागत की अनुदान राशि प्राप्त हुई है।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. के सहयोग से 43 एफपीओ ने नैनो फर्टिलाइजर, थोक उर्वरक, बीज, कीटनाशक, जैव उर्वरक आदि कृषि—इनपुट व्यवसाय शुरू किए और 15.71 करोड़ रुपये का टर्नओवर प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त, 39 एफपीओ ने कृषि—उपज व्यापार किया और 453.74 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल किया।

अपना सिरसा कृषक उत्पादक संगठन जिला सिरसा (हरियाणा) द्वारा किन्नू खरीद व्यवसाय

- All 49 FPOs allocated to IFFDC have been formed of which 27 are registered under respective State Cooperative Acts and 22 are under the Companies Act. 36,218 Farmers are the shareholders of these FPOs.
- The FPOs are functioning democratically and have well established participatory decision-making mechanisms in place. These FPOs have so far organised 2,326 meetings of their shareholders to discuss FPO activities and progress. Also 1,928 meetings of the Boards of Directors of FPOs have been organised on a regular basis for participatory business planning, execution of business plans, resource mobilisation, participatory monitoring and decision making etc.
- The skill and capacity of the Boards of Directors & Chief Executive Officers of these FPOs has been enhanced by executing 164 training programmes and organising 140 Exposure visits for them, to observe hands on and imbibe the knowhow of efficient functioning practices, business development, market development, fund management, record keeping, new advancement in agriculture technologies, convergence with government schemes etc. of live examples of other businesses akin to themselves.
- For undertaking various agri-businesses under a legal framework, all 49 FPOs have obtained PAN and GST numbers. Similarly, 30 FPOs have obtained Mandi Licenses, 47 FPOs have obtained FSSAI Licenses and 44 FPOs obtained licenses for sale of Fertilisers, Seeds, Pesticides and other agri-inputs. The online marketing of their produce is also being done and for that, 48 FPOs are registered on the National Agriculture Market (e-NAM) portal and 49 FPOs are on ONDC portal.
- Based on the progress/milestones achieved as per the guidelines of the scheme, 47 FPOs have received Equity Grants of Rs. 461.71 Lakh and 49 FPOs have received Rs. 636.73 Lakh as FPO Management Cost from the Govt of India under the scheme. Similarly, IFFDC has received a grant sum of Rs. 715.12 Lakh towards CBBO Management Cost for their promotion of and providing handholding support to these FPOs.
- With IFFDC support, 43 FPOs have undertaken the business of Agri-inputs i.e. Nano Fertilisers, Bulk Fertilisers, Seeds, Pesticides, Bio-fertilisers and achieved a turnover of Rs. 15.71 crore. Besides this, 39 FPOs have undertaken Agri-commodity trading and achieved a turnover of Rs. 453.74 Crore.

Exhibition Stall of Value Added Agri-produces by Himalaya F.P.O., Distt. Nainital at Cooperative Fair 2025

समन्वित ग्रामीण आजीविका विकास

देश में समावेशी विकास को मुख्य ध्येय रखकर की गयी बहुत सारी पहलों के उपरान्त भी भूमि, जल, उन्नत आदानों, तकनीकियों एवं सूक्ष्मवित्त जैसे उत्पादक आदानों तक समुदाय की सीमित पहुँच एवं इसके साथ–साथ जलवायु परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशीलता एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण से गरीबी है।

यह दोहराने योग्य है कि, आई.एफ.एफ.डी.सी. के ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण में, लोगों को केन्द्र बिन्दु में रखा जाता है तथा उनके लिए सम्पत्तियाँ, दक्षता, सहायक नीतियाँ, सशक्त संस्थाओं एवं विनियामक संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। जिससे, विकास को बढ़ावा मिलता है तथा अतिसंवेदनशील समुदाय को सुरक्षा प्राप्त होती है। ताकि, पुरुष एवं महिलाऐं साथ–साथ अपनी चिरन्तर आजीविका के लिए रोजगार एवं आय अर्जन के नये अवसरों तक अपनी पहुँच बना सकें।

इसके लिए, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा, इफको एवं अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर, गरीब व सीमांत समुदाय की आजीविका विकास के लिए उत्पादन वृद्धि, लागत में कमी, मूल्य वृद्धि, गैर कृषि आधारित आय सृजन, विपणन सहायता आदि जैसे विभिन्न उपाय किये गये।

परियोजना विवरण

परियोजना	राज्य	जिला
ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना	ओडिशा	गंजाम
ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना	पश्चिम बंगाल	झारग्राम
ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना	झारखण्ड	देवघर

इसमें, जलवायु स्मार्ट कृषि विकास पद्धति, जल संसाधन विकास, महिला सशक्तिकरण, क्षमता निर्माण, कौशल विकास आदि की उपलब्ध उपयुक्त तकनीकियाँ, जो कि, अभी तक किसानों के खेत तक नहीं पहुँची, के संवर्द्धन पर ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रक्रिया के संदर्भ में, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने आर्थिक स्तर को प्राप्त करने एवं प्रदर्शन प्रभावों के लिए 'किसानों को केन्द्रित' रखते हुए प्रशिक्षण, प्रसार, एक्सपोजर भ्रमण एवं क्लस्टर दृष्टिकोण को अपनाया है। ग्रामीण आजीविका विकास पर आधारित विभिन्न आयाम निम्न हैं:–

ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना–देवघर (झारखण्ड) अंतर्गत संवर्द्धित समूह सदस्यों के लिए सिलाई प्रशिक्षण

Integrated Rural Livelihood Development

Despite a multitude of initiatives aimed at inclusive growth in the country, poverty persists because of limited access to productive resources, such as land, water, improved inputs, technology and micro-finance, as well as vulnerability to climate change and natural calamities.

It bears repeating that IFFDC's rural livelihoods approach places people at the centre of development and focuses on building assets and skills, supportive policies, robust institutions and regulatory structures that both encourage growth and protect the most vulnerable, so that women and men together can access new opportunities for income generation and employment for their sustainable livelihoods.

Towards this end, IFFDC is undertaking several measures in collaboration with IFFCO for increasing productivity, reducing input costs, value addition, non-farm income generation, providing marketing support etc. for enhancing the livelihoods of the poor and marginalised communities under the following projects.

PROJECT DETAILS

Project	State	District
Rural Livelihood Development Project	Odisha	Ganjam
Rural Livelihood Development Project	West Bengal	Jhargram
Rural Livelihood Development Project	Jharkhand	Deoghar

The focus is on promotion of available appropriate technologies for Climate Smart Farming system development, Water resource development, Women empowerment, Capacity building, Skill development etc. that have not yet percolated to the farmerfields. To make a dent in this process, the IFFDC is adopting 'Farmer-Centric' processes through training, extension, exposure visits and cluster approach to achieve economies of scale and for having a demonstration effect. The need-based interventions for developing sustainable rural livelihoods undertaken in the project areas are as follows:

Introduction of Strawberry Cultivation for crop diversification and income generation under RLDP-Jhargram (West Bengal)

प्रगति

- परियोजना क्षेत्र में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए किसानों के खेतों पर आम, बेर, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, नींबू, कटहल, नारियल, सुपाड़ी, काजू आदि के 8,850 पौधे लगाए गए हैं। इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिला है और उनके परिवारों के लिए पौष्टिक भोजन की उपलब्धता भी बढ़ी है। इसी तरह 950 गरीब परिवारों को 1,925 एलईडी बल्ब प्रदान किए गए, जिनसे बिजली की लागत बचाने और कार्बन उत्सर्जन में कमी करने में मदद मिली है।
- परियोजना क्षेत्र के महिला स्वयं सहायता समूहों के क्षमता विकास के लिए उचित कार्यप्रणाली एवं समूह प्रबंधन, रिकॉर्ड संधारण आदि विषयों पर 12 प्रशिक्षण आयोजित किए गए। इससे स्वयं सहायता समूहों का संचालन सुचारु और प्रभावी हुआ।
- 195 महिला सदस्यों को बड़ी बनाने, कैटरिंग व्यवसाय, मिनी राईस मिल, गन्ने का रस बेचने और पेपर प्लेट बनाने जैसी आय–वर्धक गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया गया। साथ ही 105 गरीब परिवारों को मछली पालन, सूअर पालन और कुक्कुट पालन के लिए उन्नत नस्लें एवं तकनीकी जानकारी देकर सहायता की गई, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका के लिए वैकल्पिक आय स्रोत प्राप्त हुए।
- फसल सुधार और उत्पादकता बढ़ाने हेतु 1,080 किसानों को सब्जियों, दलहन एवं तिलहन की उच्च उपज वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराए गए। 1,100 किसानों ने इफको जल घुलनशील उर्वरक और जैव उर्वरकों जैसे नवीन पौध–पोषक उत्पादों को अपनाया। इसके अलावा, इफको नैनो यूरिया प्लस और इफको नैनो डीएपी (तरल) जैसे विश्व की प्रथम अन्वेषणों का प्रसार 1,721 किसानों को नैनो उर्वरक उपलब्ध कराकर किया गया। इनसे फसल उत्पादन में वृद्धि, लागत में कमी, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिली।
- परियोजना क्षेत्र में जल संसाधन विकसित करने के लिए 2 नहर/नाला, 4 तालाब, 17 फार्म पॉन्ड (हापा) और 4 कुओं का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया। 40 किसानों की 22 एकड़ भूमि में स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई जल उपयोग दक्षता बढ़ी। 32 किसानों की 14 एकड़ भूमि में पीवीसी पाइपलाइन लगाने से सिंचाई जल की बचत हुई। इन हस्तक्षेपों से 80 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचित क्षेत्र बढ़ा। आवश्यकतानुसार 4 बोरवेल एवं सोलर आधारित वाटर फिल्टर यूनिट लगाई गईं, जिससे 225 ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है।
- किसानों द्वारा मशीनीकृत कृषि को अपनाने में परियोजना ने पेट्रोल चालित वाटर पंप, स्प्रे मशीन तथा स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पावर पैडी थ्रेशर आदि उपलब्ध कराकर सहयोग किया इससे किसानों की आय बढ़ी और मेहनत कम हुई।

इफको–ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना–गंजाम (ओडिशा), देवघर (झारखण्ड) एवं झारग्राम (प.बं.) अंतर्गत स्वच्छ पेयजल एवं सिंचाई हेतु जल स्त्रोत विकास

PROGRESS

- For conserving environment and ecology in the project area, 8,850 saplings of Mango, Ber, Guava, Strawberry, Lemon, Jackfruit, Coconut, Beetal Nut, Cashew etc have been planted on farmer fields. This is contributing to both an additional source of income and increased nutritional food availability for their families. 950 poor families were also provided with 1,925 LED Bulbs, which are helping to save electricity cost and carbon emission reduction.
- The capacity of the SHG members in project areas has been upgraded through imparting 12 training programmes on Proper Functioning & Management of Groups, Record Keeping etc. It has helped the SHG in smooth and effective functioning.
- Handholding support has been provided to 195 Women members of SHG for undertaking income generation activities such as Badi Making, Catering Business, Rice Shelling, Sugar Cane Juice Selling and Paper Plate Making etc. Moreover, help was also extended to 105 poor families for setting up fish farming, pig and poultry rearing units by providing them with improved breeds and technical know-how. This has resulted in developing an alternate source of income for their sustainable livelihood.
- For crop improvement and productivity enhancement, 1,080 farmers were supported with High Yielding Variety (HYV) Seeds of Vegetable, Pulses and Oil Seed Crops. 1,100 farmers have adopted and used innovative crop nutrition products i.e. IFFCO Water Soluble fertilisers and Bio-fertilisers. Further, IFFDC has been actively promoting the world's first invention of nano fertiliser viz IFFCO Nano Urea Plus and IFFCO Nano DAP (Liquid) by providing Nano Fertilizers bottles to 1,721 farmers. This has helped in increasing crop yields, reducing production costs, improvement of soil health and conserving environment.
- Water resources have been developed in the project area by constructing/rejuvenating 02 Canal/Nala, 04 Ponds, 17 Farm Ponds (Hapa) and 4 Wells. Water Use Efficiency of irrigation water has increased with introduction of sprinkler systems in 22 acres of land of 40 farmers. Similarly, a saving of irrigation water has been achieved by installing PVC irrigation pipes in 14 acres of crop lands owned by 32 farmers. As a result of these interventions 80 hectares of additional area has been brought under irrigation . On need basis, 4 Bore-Wells with Solar based Water Filter Units have been installed, resulting in 225 rural families getting safe drinking water.
- Project interventions including providing farmers with Petrol Operated Water Pump Sets, Spray Machines and SHG members with Power Paddy Threshers etc have helped the adoption of mechanised farming by them. These new techniques and technology have helped in generating additional incomes and reducing drudgery

Drinking water resource development by renovating existing wells for tribal community under RLDP-Jhargram (West Bengal)

ग्रामीण आजीविका विकास परियोजनाओं के परिणाम

- आसपास के कुओं और ट्यूबवेल में जल उपलब्धता बढ़ने से किसान अब अपनी फसलों को 2 से 4 बार अधिक सिंचाई दे पा रहे हैं। पानी की उपलब्धता बढ़ने से भिंडी, खीरा, पत्ता गोभी, टमाटर, मटर, आलू, मिर्च, बैंगन आदि नई फसलें उगाई जाने लगी हैं।
- किसानों को सुनिश्चित जल संसाधन उपलब्ध होने से 80 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई होने लगी। इससे किसान अब द्वितीय फसल भी उगा रहे हैं और फसल क्षेत्र एवं फसल सघनता दोनों बढ़ी हैं।
- स्वयं सहायता समूह, परियोजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग होने से उनके माध्यम से समुदाय का संस्थानीकरण हुआ है और तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कौशल विकास करने के पश्चात् लघु उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- आय अर्जन करने वाली गतिविधियों और लघु उद्यमों से सदस्यों की आय बढ़ी है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
- जागरूकता बढ़ने से सामाजिक कुरीतियों में कमी आई है और समुदाय की आजीविका में सुधार हुआ है।
- किसानों ने अधिकांश उच्च उपज किस्में तथा नकदी फसलें उगाना प्रारंभ कर दिया है, जिससे उत्पादन एवं आय में वृद्धि से किसानों की आय दोगुनी होने और बेहतर आजीविका की दिशा में प्रगति हुई है।

सब्जी फसलों में नैनो उर्वरकों के प्रोत्साहन पर पायलट परियोजना, कटक (ओडिशा)

किसान सब्जियों की फसलों से ज्यादा पैदावार पाने के लिए सामान्यतः भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन धीरे–धीरे उत्पादकता कम होती जाती है और कुछ समय बाद, सब्जियों की खेती किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद नहीं रह जाती। रासायनिक उर्वरक सब्जियों की फसलों के लिए हानिकारक होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी की गुणवत्ता में भारी गिरावट आती है, पौधों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचता है और पानी के स्रोत दूषित हो जाते हैं। रासायनिक उर्वरकों के जहरीले तत्व सब्जियों में जमा हो सकते हैं और सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं।

सब्जियों की फसलों में भारी मात्रा में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को नैनो उर्वरकों जो कि नए, पर्यावरण के लिए सुरक्षित, जिनका कोई खास अवशेष प्रभाव नहीं होता और जो किफायती होते हैं, से बदलने के उद्देश्य से आई.एफ.एफ.डी.सी. ने इफको के सहयोग से ओडिशा के कटक जिले के 30 गांवों में "सब्जी फसलों में नैनो उर्वरकों के प्रोत्साहन" पर एक पायलेट परियोजना लागू की है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य किसानों में इफको नैनो उर्वरकों के उपयोग और अपनाने संबंधी ज्ञान का निर्माण करना है, ताकि बल्क रासायनिक उर्वरकों के खतरनाक प्रभाव को कम किया जा सके।

प्रगति

- 428 किसानों को इफको नैनो उर्वरकों के क्रिटिकल इनपुट पैकेज प्रदान किए गए और किसानों ने इन्हें पहली बार सब्जी खेती में प्रयोग किया। नैनो उर्वरकों के उपयोग विधियों पर 30 फसल प्रदर्शन किए गए। किसानों को प्रभाव दिखाने के लिए 05 किसान दिवस और 30 किसान बैठकों का आयोजन किया गया।
- जन जागरूकता हेतु, 02 फसल संगोष्ठियाँ आयोजित की गईं, जिनमें 228 किसानों ने भाग लिया। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सब्जी वाली फसलों में नैनो उर्वरकों के महत्व, उपयोग विधि और लाभों के बारे में विस्तार से बताया और नैनो उर्वरकों को लेकर किसानों के मन में मौजूद शंकाओं का भी समाधान किया।

परिणाम

- किसानों ने सब्जी फसलों में नैनो उर्वरकों और उनके उपयोग के व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त किया।
- पारंपरिक उर्वरक उपयोग की तुलना में औसत 8 से 10 प्रतिशत अधिक उपज अवलोकित की गई।
- बिना उत्पादन में कमी से समझौते पारंपरिक उर्वरकों (विशेषकर यूरिया) का उपयोग 20 से 25 प्रतिशत घटा।

OUTCOMES OF RURAL LIVELIHOOD DEVELOPMENT PROJECTS

- Due to increased water availability in the nearby wells and tube wells, farmers are now able to double or quadruple irrigation to their crops. New crops, Okra, Cucumber, Cabbage, Tomato, Peas, Potato, Chilly, Brinjal etc. have been introduced in the project area because of increased water availability.
- Assured water resources, have resulted in bringing 80 hectares additional area under irrigation. Farmers are now growing a second crop, due to which the cropped area and cropping intensity has also increased.
- As an integral part of the project process, Project communities of the project villages are institutionalised under Self Help Groups (SHG) by providing financial support for addressing immediate needs and setting up of Micro-enterprises after development of skills.
- Enhanced income of the members arising from various Income Generation activities and Micro-enterprises is leading towards their self-reliance.
- Awareness generation has helped in minimising social evils and improving livelihoods of the community.
- Farmers have started cultivating High Yield Varieties (HYV) and cash crops for more production and income, leading to doubling farmer's income and better livelihoods

Pilot Project on Promotion of Nano Fertilizers in Vegetable Crops, Cuttack (Odisha)

With usage of overdoses of bulk chemical fertilisers on vegetable crops to get higher yields, a common practice followed by many farmers ,productivity gradually tends to reduce and over a time of period, the cultivation of vegetable crops becomes uneconomical . Chemical fertilisers are harmful for vegetable crops, and cause severe degradation of soil quality, damage to plant health, and contamination of water sources. The toxins from chemical fertilisers often accumulate in vegetables , directly impacting human health.

In order to substitute the bulk chemical fertiliser use in vegetable crops with Nano fertilisers, which are innovative, environmentally safe, have insignificant residual effects and are cost effective, IFFDC has implemented a pilot project on Promotion of "Nano fertilisers in vegetable crops" in 30 villages of Cuttack District in Odisha with the support of IFFCO. The main objective of the project is knowledge building of farmers regarding the use and adoption of IFFCO Nano-fertilisers in vegetable cropping to minimize the hazardous impact of bulk chemical fertilizers.

PROGRESS

- 428 farmers were provided with Critical Input Packages (CIPs) of IFFCO Nano-fertilisers and used them for the first time in vegetable cultivation. 30 Crop Demonstrations were held on the methods of using Nano Fertilisers for different vegetable crops. The impacts of Nano fertiliser usage have been showcased to farmers by organizing 05 Field Days and 30 Farmer-Meetings in the project villages.
- For mass awareness generation, 02 Crop Seminars on methods of using Nano Fertilisers were organized in the project villages, in which 228 farmers participated. The farmers were also briefed by the visiting agriculture scientists about the importance and benefits of IFFCO NANO fertiliser use on vegetable crops and their doubts and queries on the subject were clarified

OUTCOMES

- Farmers gained practical knowledge of Nano fertilisers and their application methods on vegetable crops.
- Average yield increases of 8-10% compared to the yields from conventional fertiliser application were observed .
- Conventional fertiliser (especially urea) use is found to have reduced by near 20-25%without compromising yield.

सी.एस.आर. पहल

देश की 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' (सी.एस.आर.) नीति के अनुरूप, आज अधिकांश कॉर्पोरेट कंपनियाँ अपने मुख्य क्षेत्रों में सामाजिक और पर्यावरणीय विकास के लिए विभिन्न सी.एस.आर. गतिविधियाँ/परियोजनाएँ लागू कर रही हैं। परिणाम–उन्मुख नतीजों हेतु सी.एस.आर.–आधारित कार्यक्रमों को बनाने और लागू करने के लिए विशेष योग्यता, रणनीति, कौशल और क्षमताओं की आवश्यकता होती है। आई.एफ.एफ.डी.सी. के पास ऐसी विशेषताओं के साथ–साथ ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने का अनुभव भी है, और इसने कंपनियों/संस्थाओं को परिणाम–उन्मुख सी.एस.आर. प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता देना शुरू कर दिया है। आई.एफ.एफ.डी.सी. का अपना ग्रामीण आजीविका दृष्टिकोण लोगों को विकास के केंद्र में रखता है और संपत्ति तथा कौशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि महिलाएँ और पुरुष स्थायी आजीविका के लिए आय सृजन और रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकें। तदानुसार, कॉर्पोरेट कंपनियों के साथ उनकी सी.एस.आर. पहलों के तहत् किए जा रहे ये प्रयास, आई.एफ.एफ.डी.सी. की अपनी प्राथमिकताओं/गरीबी उन्मूलन और स्थायी ग्रामीण आजीविका विकास के भी अनुरूप हैं। वर्ष 2015 से 2024 की अवधि के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा निम्नलिखित सी.एस.आर. परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी की गई हैं:

इफको-टोकियो एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने इफको–टोकियो एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना (आई.आई.आर.डी.पी.) श्रृंखला के तहत् 09 परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी की हैं। ये परियोजनायें अब तक 7 राज्यों क्रमशः राजस्थान, ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के 32 गांवों में क्रियान्वित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के अंतर्गत आयोजित की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, आदिवासी और सुविधा–वंचित गाँवों में रहने वाले 5,000 से भी अधिक गरीब परिवारों (24,800 से अधिक लोगों) की आजीविका में सुधार हुआ है।

हरित पट्‌टी विकास परियोजना

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने हरियाणा और दिल्ली–एन.सी.टी. में सी.एस.आर. पहल के तहत् मैसर्स मित्सुई एंड कं. के साथ मिलकर हरित पट्टी विकास पर 4 सी.एस.आर. परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी की हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षों के आवरण को बढ़ाना है, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी योगदान मिल सके। विकसित की गई लगभग 11,000 वृक्षों की हरित पट्टी निश्चित रूप से कार्बन अवशोषण करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक सिद्ध हो रही है। इसके अतिरिक्त, इन क्षेत्रों में जैव विविधता में भी सुधार हुआ है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा परियोजना

मित्सुई कार्पोरेशन इंडिया प्रा. लि. (एम.सी.आई.) और मैटल वन कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एमओआई) की सी.एस.आर पहलों के तहत्, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली आबादी को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने वाली परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया है। अब तक 5,200 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ कार्ड जारी करके और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करके, 25,000 से अधिक ग्रामीण लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का लाभ पहुँचाया है।

केंद्र सरकार द्वारा समर्थित परियोजनाएँ

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की योजनाओं की सोशल मीडिया पहुँच बढ़ाने पर परियोजना

भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय (एम.ओ.सी.) द्वारा निर्दिष्ट किये गये कार्य के अनुसार आई.एफ.एफ.डी.सी. ने सहकारी हितधारको तक मंत्रालय की योजनाओं की सोशल मीडिया पहुँच बढ़ाने के लिए एक पूरी तरह से सुसज्जित "प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट" (पीएमयू) की स्थापना की। पीएमयू ने जनवरी 2024 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। यह भारत में सहकारी समितियों के विकास, विस्तार एवं उन्हें मजबूत बनाने के लिए एम.ओ.सी. की योजनाओं से संबंधित जानकारीपूर्ण एवं आकर्षक सामग्री तैयार करके उसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करता है। आरम्भ में पीएमयू को दो साल की अवधि के लिए स्थापित किया गया था। जिसे बाद में एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया। इस प्रकार, पीएमयू ने "सहकार से समृद्धि" के विजन के अन्तर्गत मंत्रालय की डिजिटल पहचान, नागरिको से जुड़ाव एवं कुल मिलाकर कम्युनिकेशन क्षमता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।

प्रगति

- सहकारिता मंत्रालय (एम.ओ.सी.) की आधिकारिक वेवसाइट को 1.75 करोड़ दर्शको ने देखा एवं एम.ओ.सी. यूट्यूब चैनल पर 2.64 लाख सब्सक्राइबर हो चुके है।
- एम.ओ.सी. के फेसबुक, वाट्सऐप, इंस्टाग्राम, ट्विटर (एक्स) पर फॉलोअर्स की संख्या क्रमशः 1,88,000, 8,300, 1,09,000, 49,100 हो चुकी है।
- पूरे देश में लगभग 1,82,000 से अधिक सहकारिता सदस्यों के लिए आईसीए कार्यक्रम देखने की व्यवस्था की गई। भारत टैक्सी के लॉन्च कार्यक्रम के वीडियो को एक लाख बार देखा गया।

CSR Initiatives

In sync with the country's "Corporate Social Responsibility" (CSR) Policy, most corporates today are are implementing various CSR activities/projects for social and environment development in their focus areas. Formulation and Implementation of CSR based programmes requires special aptitude, strategy, skills and capabilities for outcome-oriented results. IFFDC has the requisite attributes as well as the experience of implementing such programmes and has started facilitating companies/organizations for result oriented CSR commitments. IFFDC's own rural livelihoods approach places people at the centre of development and focuses on building assets and skills so that women and men can access new opportunities for income generation and employment for sustainable livelihoods. Accordingly, these efforts in partnership with Corporates under their CSR initiatives, are also aligned with IFFDCs own priorities of poverty alleviation and sustainable rural livelihood development. The following CSR Projects have been completed successfully by IFFDC during the period of the year 2015 to 2024:

IFFCO-TOKIO Integrated Rural Development Project (IIRDP)

IFFDC has successfully completed 09 projects in the IFFCO-TOKIO Integrated Rural Development Project (IIRDP) series, These have so far covered 32 villages of 7 States,. Rajasthan, Odisha, Assam, West Bengal, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Bihar. The livelihood of more than 5,000 poor families in tribal and underprivileged villages (More than 24,800 People) has been improved by various activies under these projects.

Green Belt Development Project

IFFDC has successfully completed 4 CSR projects on Green Belt Development with the CSR initiative of M/s Mitsui & Co. Ltd. in Haryana and Delhi NCT. The objective of these projects is to increase tree cover for environment improvement thereby also contributing toward combating climate change. The developed green cover of about 11,000 trees is certainly helping in carbon sequestration and mitigating climate change. Moreover, the biodiversity in these areas has improved.

Primary Health Care Service Project

With the CSR initiatives of Mitsubishi Corporation India Pvt Ltd (MCI) and Metal One Corporation India Pvt. Ltd. (MOI), IFFDC has successfully completed the project on Primary Healthcare services delivery to the populations in the rural areas of Kolhapur region of Maharashtra. More than 25,000 rural people have availed the primary health care services delivered through issuance of more than 5200 Electronic Health Cards (e-HC) and organised Health Camps.

Projects Supported by Central Government

Project on "Enhancing the Social Media reach of Initiatives of the Ministry of Cooperation, Government of India"

As assigned by the Ministry of Cooperation (MoC) Govt of India, IFFDC has set up a fully equipped "Project Monitoring Unit" (PMU) for enhancing Social Media outreach of the Ministry's initiatives amongst the Cooperative Stakeholders. The PMU started functioning since January 2024 by developing and posting informative and engaging contents on various social media platforms pertaining to the MoC schemes for growth, development and strengthening the cooperatives in India. Initially, the PMU was set-up for a two year period, which was further extended for another year. The PMU has played a critical role in enhancing the Ministry's digital visibility, citizen connect and overall communication efficiency under the vision of "Sahkar se Samriddhi".

PROGRESS

- The official website of the Ministry of Cooperation (MoC) has crossed 1.75 Crore viewers and reached 2.64 Lakh subscribers on MoC YouTube Channel.
- Followers on MoC Facebook, WhatsApp, Instagram and Twitter (X) currently number 1,88,000, 8300, 1,09,000 and 49,100 respectively.
- More than 1,82,000 cooperators all over the country were enabled to watch the ICA Event online. The Bharat Taxi Launching Event has received 1 Lakh views

नवीन परियोजनाएँ

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जाइका) सहायतित उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना (यू.के.आई.एच.डी.पी.)

जापान अंतर्राष्टीय सहयोग एजेंसी (जाइका) की वित्तीय सहायता से आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्तराखंड में एकीकृत बागवानी विकास परियोजना (यू.के.आई.एच.डी.पी.) क्रियान्वित की जा रही हैं। इस परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य के फलों एवं सब्जियों की मूल्य श्रंखला में सुधार करना हैं। यह परियोजना नैनीताल एवं पिथौरागढ़ जिलों के उन 4 एफ.पी.ओ. के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, जिन्हे आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा भारत सरकार की 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों के संवर्धन हेतु सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत प्रवर्तित किया गया था।

प्रगति

- किसानो को लामबंद करने एवं उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना के उद्देश्यो के प्रति जागरूक करने के लिए 52 कार्यक्रमो का आयोजन किया गया, जिसमें 1,560 किसानों ने भाग लिया। इसी प्रकार, किसानो के लिए फार्म नियोजन एवं प्रबंधन पर 04 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।
- फलों के उद्यान विकसित करने के लिए, सेव एवं कीवी के 20,600 पौधे रोपित किए गए एवं परियोजना के गांवों में 06 हेक्टेयर क्षेत्र में कीवी के पौधो को सहारा देने के लिए टी–बार संरचना वाले ट्रेलिस का निर्माण किया गया।
- परियोजना क्षेत्र में फसल की खेती में मशीनीकरण का संवर्धन हेतु, हिमालय एफ.पी.ओ, हल्द्वानी में कृषि मशीनरी का एक "कस्टम हायरिंग सेंटर" स्थापित किया गया है। इस केंन्द्र में 16 पावर टिलर, 165 स्प्रेयर, 10 बुशकटर, 16 पावर वीडर उपलब्ध है। यह केंन्द्र किसानो का समय बचाने एवं खेती–बाडी के काम में लगी महिलाओं के कठिन परिश्रम को कम करने में सहायक सिद्ध होगा।

परिणाम

- किसानो ने परियोजना की गतिविधियो में सक्रिय रुप से भाग लेना शुरू कर दिया है।
- परियोजना क्षेत्र में किसानों द्वारा मशीनीकृत कृषि को अपनाने के लिए आधुनिक कृषि मशीनरी एवं उपकरण भी उपलब्ध हैं।

जीका परियोजना अंतर्गत गंगोलीहाट जिला पिथौरागढ़ (उत्तराखण्ड) में कृषकों के सीढ़ीनुमा खेतों में टी–बार प्रणाली से कीवी पौधरोपण

New Projects Mobilised

Uttarakhand Integrated Horticulture Development Project (UKIHDP) supported by Japan International Cooperation Agency (JICA).

IFFDC is implementing the Uttarakhand Integrated Horticulture Development Project (UKIHP) with the financial support of Japan International Cooperation Agency (JICA). The project intends to improve the value chain of fruits and vegetables in the state of Uttarakhand. The project is being implemented through 04 FPO of Nainital and Pithoragarh Districts, which were promoted by IFFDC under the Central Sector Scheme of Govt. of India for promotion of 10,000 FPO.

PROGRESS

- 52 programmes for mobilizing farmers and Generating Awareness on UKIHDP objectives have been organized, in which 1,560 farmers participated. 4 training programmes for farmers on Farm Planning & Management have also been organized
- To develop fruit orchards, 20,600 saplings of Apple and Kiwi have been planted and a T-bar Structure Trellis for stacking has been constructed for the Kiwi plantation covering 06 hectares area in the project villages.
- A Custom hiring center of farm machinery equipped with 16 Power Tillers, 165 Sprayers, 10 Bush Cutters and 16 Power Weeders has been set-up at Himalaya FPO, Haldwani for promotion of mechanization of crop cultivation in the project area. It will be a helpful time saving intervention for the farmers of the area and will also reduce the drudgery afflicting women.

OUTCOMES

- The farmers have started active participation in the project activities.
- Accessibilty to modern farm machinery and equipment in the project area leads to time saving and efficient cultivation.

Setting-up of 'T-bar (Trellis) System' for Kiwi plantation on Farmer's field under JICA Project-Gangolihat, Distt. Pithoragarh (Uttarakhand)

सार्वभौमिक अवधान

ऐसे अवधान एवं गतिविधियाँ जो आई.एफ.एफ.डी.सी. की अधिकांश परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित की जा रही हैं उन्हें ''सार्वभौमिक अवधानों'' के तहत् रखा गया है, जो निम्नानुसार हैंः–

अ. सामुदायिक संस्थाएं

सार्वजनिक संम्पत्ति संसाधनों (सी.पी.आर.) के सफलतापूर्वक प्रबन्धन एवं परियोजना आधारित अवधानों की समाप्ति के उपरान्त भी, विकास की प्रक्रिया को जारी रखने हेतु, स्थायी तन्त्र विकसित करने के क्रम में सामूहिक कार्यवाही के लिए क्षमता निर्माण करना बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपनी विकासात्मक गतिविधियों एवं पद्धतियों व प्रक्रियाओं को संस्थागत रूप देने हेतु सामुदायिक संस्थाओं के संवर्द्धन की नीति को विवेकपूर्ण तरीके से अपनाया है। विकसित किये गये अभिनव समूह, सहकारिता की अवधारणा के आधार पर कार्यरत हैं। परन्तु, इनका नामकरण उनके उद्देश्य, जिसके लिए उन्हें विभिन्न परियोजना के अन्तर्गत गठित किया गया, के अनुसार किया गया है। इस प्रकार की सामुदायिक संस्थाऐं जैसे कि, प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ (पी.एफ.एफ.सी.एस.), प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ (पी.एल.डी.सी.एस.), कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.), आजीविका समितियाँ (एल.सी.), कृषक क्लब, वाड़ी समूह, स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.), ग्राम जलग्रहण विकास कमेटी (वी.डब्ल्यू.डी.सी.) आदि हैं।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. स्वयं एक सहकारी संस्था होने के नाते सहकारिता की ताकत से भलीभाँति परिचित है जो, स्थानीय स्तर की संस्थाओं को बनाये रखने, उनका विकास करने में तथा परियोजना आधारित अवधानों की समाप्ति के पश्चात् भी विकास की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है। सामुदायिक संस्थाएं संसाधनों के सामूहिक प्रबंधन के लिए संस्थागत तंत्र एवं अवसर प्रदान करती हैं।

विभिन्न परियोजनाओं के तहत विकसित एवं पोषित सामुदायिक संस्थायेंः

क्र.सं.	सामुदायिक संस्थायें	कुल संख्या	कुल सदस्य
1.	पी.एफ.एफ.सी.एस.	151	16,538
2.	पी.एल.डी.सी.एस.	14	1,752
3.	स्वयं सहायता समूह	1925	19,685
4.	किसान क्लब	258	2,599
5.	वाड़ी समूह/टुकड़ी	180	2,475
6.	जल उपभोक्ता समिति	190	2,518
7.	ग्राम जलग्रहण समिति	69	795
8.	कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.)	88	72,739
9.	आजीविका स्वायत्त सहकारी समिति (एल.सी.)	11	6,044
	कुल योग	**2,886**	**1,25,145**

- वर्ष के दौरान 126 सदस्यों को जोड़कर 14 नये स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) का गठन किया गया।

CROSS CUTTING INTERVENTIONS

Interventions and activities, which are common to most of the IFFDC projects have been placed under the thematic area "Cross Cutting Interventions" and are as under:-

A. Community Institutions

Building capacity for collective action is crucial for the successful management of Common Property Resources (CPR) and for providing suitable mechanisms for a sustained development process after the withdrawal of project-based interventions. IFFDC has consciously adopted the policy of promoting Community Institutions for institutionalising its development interventions and systems and processes. The promoted groups are accordingly appropriately designed and work mainly on cooperative principles but are named differently under different projects, appropriate to the purpose for which formed, viz: Primary Farm Forestry Cooperatives Societies (PFFCS), Primary Livelihood Development Cooperative Societies (PLDCS), Farmer Producer Organisations (FPO), Livelihood Collectives (LC), Farmer Clubs, Wadi Groups, Self Help Groups (SHG), Village Watershed Development Committees (VWDC) and so on.

PROGRESS

Being a Cooperative itself, IFFDC believes strongly in the strength of 'cooperative action' to create institutions at the local level and to provide support to the development process, helping them sustain after withdrawal of the project assistance. Community Institutions provide institutional mechanisms and opportunities for collective management of resources.

Community Institutions Developed and Nurtured under different Projects :

S.No.	Community Institutions	Total No.	Total Members
1.	PFFCS	151	16,538
2.	PLDCS	14	1,752
3.	SHG	1,925	19,685
4.	Farmer Clubs	258	2,599
5.	Wadi Groups/Tukdi	180	2,475
6.	Water User Committee	190	2,518
7.	Village Watershed Committee	69	795
8.	Farmers Producers Organisation (FPO)	88	72,739
9.	Self Reliant Livelihood Coop. Society (LC)	11	6,044
	Total	**2,886**	**1,25,145**

- During the year, 14 new Self-Help Groups (SHG) have been formed with 126 members.

ब. जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण

सभी परियोजनाओं के अन्तर्गत जेंडर को मुख्य धारा से जोडना एवं महिला सशक्तिकरण के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. का दृष्टिकोण विद्यमान गतिविधियों में केवल 'महिला घटक' को जोड़ना या 'जेंडर समानता घटक' ही नहीं है अपितु, महिला भागीदारी को बढ़ाने, उनमें अनुभव, ज्ञान व विकास के मुद्दों पर महिला एवं पुरुषों में रुचि पैदा करने से कहीं अधिक है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से असमान सामाजिक एवं संस्थागत संरचनाओं को महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए समान एवं न्यायसंगत संरचनाओं में परिवर्तित करने की दिशा में किए गये प्रयासों को सभी परियोजनाओं में सार्वभौमिक रूप से 'जेंडर को मुख्य धारा से जोड़ना एवं महिला सशक्तिकरण' के अन्तर्गत रखा गया है।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत 1,925 स्वयं सहायता समूहों का पोषण किया जा रहा है। जिनकी कुल सदस्यता 19,685 है, जिनमें 94 प्रतिशत महिला सदस्यों की भागीदारी है। इन समूहों ने अभी तक कुल 591.58 लाख की बचत करके सदस्यों ने आपस में 551.08 लाख का ऋण वितरित किया। स्थानीय बैंक भी इन समूहों को लघु उद्यमों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिनसे सदस्यों की चिरन्तर आजीविका सुनिश्चित हो रही है। इन समूहों को नियमित बैठक, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से पोषित किया जा रहा है।

परियोजना क्षेत्र में, महिलाओं में कौशल विकास व अतिरिक्त आय अर्जन के लिए हैंडलूम उत्पादों का निर्माण, बुनाई, बाँस के फर्नीचर/उत्पाद निर्माण, सेनेटरी नेपकिन निर्माण, अगरबत्ती निर्माण, मसाला प्रसंस्करण, दिया–बाती निर्माण, पेपर प्लेट निर्माण, सुपारी के पत्तों से प्लेट निर्माण, ब्यूटीशियन, लाख के सामान बनाना, चाँदुआ निर्माण, कृत्रिम आभूषण निर्माण, मधुबनी पैंटिंग, एल.ई.डी. बल्ब निर्माण, ब्लॉक प्रिंटिंग, आकोला प्रिंट, जूट के उत्पाद, झाडू निर्माण, कम्प्यूटर ऑपरेटर आवश्यकता आधारित लघु–उद्योग विकसित किये जा रहे हैं।

स्वयं सहायता समूहों के गठन के अलावा, अन्य सामुदायिक संगठनों जैसे–प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियाँ, प्राथमिक आजीविका विकास सहकारी समितियाँ, ग्राम जलग्रहण विकास कमेटी, आजीविका स्वायत्त सहकारी समितियाँ इत्यादि में भी महिलाओं की सदस्यता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिससे परस्पर संवाद और उच्च स्तर के संगठित समूहों में उनका समावेशन, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने एवं समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया सुदृढ़ होती है तथा उन्हें बड़े समूहों की कार्यप्रणाली से परिचित होने और उसका अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। वर्ष के दौरान महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने हेतु निम्न गतिविधियाँ आयोजित की गयीं।

वानिकी समिति– राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) अंतर्गत संचालित समूह की महिला सदस्यों द्वारा आय अर्जन हेतु झाड़ू निर्माण उद्यम

B. Gender Mainstreaming & Women Empowerment

IFFDC's approach to mainstreaming gender and women empowerment in all its projects is not about merely adding a gender or even a 'gender equality' component into an existing activity. It goes beyond increasing women's participation to building a sustained process for bringing the experience, knowledge, and interests of women and men on the development agenda. Its efforts for empowering women through transforming unequal social and institutional structures into equal and just structures for both men and women are an essential feature of all IFFDC interventions, and constitute the cross-cutting thematic area 'Gender Mainstreaming and Women Empowerment'.

PROGRESS

IFFDC is nurturing 1,925 SHG with a total membership of 19,685 of which 94% are women. The cumulative savings of these groups have reached Rs. 591.58 lakh. Loans drawn by members are around Rs. 551.08 lakh. The local banks are also providing financial assistance to them for initiating micro-enterprises for sustainable livelihood development. Nurturing is achieved by conducting regular Meetings and interactive sessions, as well as exposing group members to Skill Development and Capacity Building Programmes.

The process of developing skills on various need-based microenterprises is followed by the the women members being provided handholding support to undertake income generating activities such as Handloom items making, Weaving, Bamboo furniture/Products making, Sanitary Napkin manufacturing, Agarbatti making, Spices processing, Wick making, Paper Plates manufacturing, Areca-nut leaf plates manufacturing, Beautician, Lac Items making, Applique work, Artificial Ornaments making, Madhubani Painting, LED Bulbs making, Block Printing, Akola Print, Jute Products, Broom Making, Computer Operation etc. in the project areas.

Apart from Self Help Group formation, women membership is also encouraged in Community Based Organisations such as PFFCS, PLDCS, VWDC, LC etc.This interaction and absorption into higher level organised groups helps the process of their mainstreaming and integration and gives them a different degree of exposure to large group functioning. During the year, the following activities were undertaken for Gender mainstreaming.

Celebrating International Women Day by Self Help Groups Members under RLDP Jhargram (West Bengal)

जेंडर को मुख्य धारा में जोड़ने सम्बन्धी गतिविधियों का विवरणः

क्र.सं.	गतिविधियाँ	उपलब्धि (संख्या)
1.	स्वास्थ्य चिकित्सा व स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम (सं.)	402
2.	पीने का स्वच्छ जल सहयोग (परिवार सं.)	6,386
3.	धूम्ररहित चूल्हा निर्माण (परिवार सं.)	2,788
4.	महिला विकास गतिविधियाँ (सं.)	434
5.	शौचालय / स्नानघर निर्माण (परिवार सं.)	533
6.	महिला श्रम बचत गतिविधियाँ (सदस्य सं.)	2,331
7.	मधुमक्खी पालन इकाईयाँ – 5 बॉक्स प्रति इकाई (सदस्य सं.)	92
8.	आय अर्जन गतिविधियाँ (सदस्य सं.)	2,188

परिणाम

- स्वयं सहायता समूह तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा कर महिलाओं के सामरिक हितों के समाधान से उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद कर रहे हैं। स्वास्थ्य, कार्यात्मक साक्षरता, बच्चों की शिक्षा, बाल विवाह, अनियोजित परिवार, कम उम्र में गर्भधारण, सामाजिक शोषण तथा शराब, जुंआ, तम्बाकू आदि की लत जैसी सामाजिक बुराईयों से संबंधित समस्याओं पर ये समूह विचार–विमर्श करके इन समस्याओं का उपयुक्त समाधान कर रहे हैं।
- सौर ऊर्जा आधारित पेयजल फिल्टर इकाईयाँ, सौर स्ट्रीट लाईट, सौर होम लाईट, उन्नत कृषि औजार एवं मशीनरी महिलाओं के कठिन श्रम को कम करके जीवन को आसान बनाया है। इन गतिविधियों से समय में हुई बचत को महिलायें अपने स्वयं के विकास और आय अर्जन में लगा रही हैं।
- कौशल विकास से स्वयं सहायता समूहों को आय अर्जित हुई एवं इनमें सम्बद्धता, स्वामित्व और समुदाय के बीच अपनेपन की भावना पैदा हुई है।
- वर्तमान में सभी परियोजना गांवों की स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संस्थागत सहभागी योजना निर्माण और क्रियान्वयन में गरीब सीमान्त समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित हुई।
- महिला श्रम में कमी हेतु आयोजित की गयी गतिविधियों से उनकी मेहनत व समय में बचत हुई। इस बचत के समय को महिलाऐं स्वयं के विकास व आय अर्जन में उपयोग कर रही हैं।
- शौचालय / स्नानघर निर्माण से खुले में शौच व नहाने की प्रवृत्ति में कमी आयी है। लड़कियाँ व महिलाऐं अब स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं जिससे, उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है। निर्मित स्नानघरों को महिलाओं ने "इज्जत घर" का नाम दिया है जिससे इनकी अति आवश्यकता व उपयोगिता प्रदर्शित होती है।
- नयी तकनीकी जैसे बायो–डाईजेस्टर शौचालय के प्रयोग से मानव विष्टा पूर्ण तरह से विघटित हो जाती है, परिणामस्वरूप भू–जल की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। अन्ततोगत्वा, इससे भारत सरकार के कार्यक्रम ''स्वच्छ भारत अभियान'' में योगदान करने में सहायता मिलती है।
- आय अर्जन गतिविधियों से ग्रामीण क्षेत्र में चिरन्तर आजीविका सृजन में सहयोग हो रहा है तथा उद्यमी महिला सदस्यों की भूमिका उनके परिवार में और अधिक मजबूत हुई है।

Details of Gender mainstreaming related activities:

S. No.	Activities	Achievement (Nos.)
1.	Health Checkup & Sanitation Awareness Programme (No.)	402
2.	Safe Drinking Water (No. of Families)	6,386
3.	Distribution of Smokeless Chulha (No. of Families)	2,788
4.	Women Development Activities (No.)	434
5.	Toilets/Bathrooms Construction (No. of Families)	533
6.	Women Drudgery Reduction Activities (No. of Members)	2,331
7.	Bee-keeping Units - 5 Boxes per unit (No. of Members)	92
8.	Income Generation Activities (No. of Members)	2,188

OUTCOMES

- Self Help Groups (SHG) are addressing the fulfillment of women's immediate needs as well as their strategic interests and helping to bring them into the mainstream. SHG are also discussing member problems related to health, functional literacy, education of children, child marriage, unplanned family, early age pregnancy, social exploitation and social evils like addiction to alcohol, gambling, tobacco consumption etc. and are identifying suitable solutions for their problems.
- Solar based drinking water filter units, Solar Street Lights, Solar Home Lights, improved agriculture equipment and machinery are making life easy for women by reducing drudgery. The time saved through such interventions is being optimally used by women in activities for their own development & income generation.
- Skill Development of SHG members has generated incomes and created a sense of cohesiveness, ownership and belonging among them.
- SHG have been institutionalised in all project villages at present, which is ensuring that women and marginalised communities are actively involved in the participatory planning and implementation exercises.
- Open defecation and bathing have reduced as a result of the construction of toilets/bathrooms. The feeling of being safe has helped women in improving their self-esteem. The name "Izzatghar" used for the bathrooms by the women of these communities reflects the dignity they are endowed with as a result of these toilets and also their usefulness.
- The use of new technology in the toilet construction i.e. Bio-Digester Toilets have helped in the total decomposition of human waste, as a consequence of which the quality of ground water does not deteriorate, ultimately contributing significantly to the agenda of the Government of India's "Swachh Bharat Abhiyan".
- These Income generating activities have significantly helped introduce sustainable livelihoods in rural areas and the role and prestige of entrepreneur women in their families has increased.

स. क्षमता निर्माण

मूलतः एक संगठित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के कर्मियों एवं भागीदारों को व्यवस्थित ज्ञान, शिक्षा तथा अनुभव आधारित जानकारी प्रदान की जाती है, ताकि वे व्यवहारिक ज्ञान, कौशल और सकारात्मक दृष्टिकोंण अर्जित कर सकें। यह और एक समेकित घटक है जिस पर आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा विशेष बल दिया जाता है।

प्रशिक्षण के प्रति आई.एफ.एफ.डी.सी. का व्यवस्थित दृष्टिकोंण यह सुनिश्चित करता है कि, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा उनसे संबंधित आवश्यक सहायक सामग्री का निरंतर विकास किया जाये, ताकि उनमें समुदाय की बदलती आवश्यकताओं को समाहित किया जा सके और उन्हें तेजी से बदलते परिवेश तथा ज्ञान के क्षेत्रों के अनुरूप बनाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, तकनीकी के लाभों तक पहुंच के मामले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो अंतर प्रायः देखने को मिलता है, उसे कम करने में सहायता मिलती है।

प्रगति

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने समुदाय के लोगों को परिवर्तनकारी भूमिकाओं के संवारने पर जोर दिया– वह भूमिकाएँ जिनका उद्देश्य सहकारी समितियों, व्यक्तियों एवं समूहों का क्षमता निर्माण करना है। इन भूमिकाओं में उद्यमिता विकास, वानिकी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, कृषक उत्पादक संगठनों, ग्राम जलग्रहण विकास समितियों एवं अन्य समूहों का प्रबंधन तथा ग्राम स्तर पर स्थानीय सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षणों से कौशल विकास शामिल है। वर्ष के दौरान, कौशल विकास पर 53 प्रशिक्षणों, 37 एक्सपोजर भ्रमणों का आयोजन किया गया।

परिणाम

- क्षमता निर्माण कार्यक्रमों ने जागरूकता सृजन, कौशल और ज्ञान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो परियोजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन, लघु उद्योग स्थापना और समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित करने में मदद करता है जो अवधानों की समग्र स्थिरता में मदद करता है।
- सस्थानीय स्तर के 200 से अधिक सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित कर पैरा–प्रोफेशनल जैसे कृषक मित्र, जानकार, स्वयं सेवकों / कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स / विलेज एनीमेटर / समूह प्रेरक, इत्यादि का कौशल निर्माण किया।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी से उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। इससे सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप महिलाओं में सहजता एवं विश्वास बढ़ता है तथा इसका एक स्पष्ट प्रदर्शनात्मक प्रभाव भी पड़ता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. एवं एफ.एम.डी.आई. टीम के साथ माननीय अध्यक्ष इफको श्री दिलीप संघाणी की गरिमामयी उपस्थिति

C. Capacity Building

Capacity building, essentially an organised process of providing systematic knowledge and education as well as experience inputs to personnel/ stakeholders that results in acquisition of practical knowledge, skills and attitudes, is another cross-cutting component that IFFDC places great emphasis on.

IFFDC's systematic approach to Training ensures that training programmes and the required support materials are developed continuously to reflect and include the ever changing community needs and adapt to the rapidly changing environment and knowledge fields, thereby bridging the rural urban gap in technology benefits that so often obtains in practice.

PROGRESS

IFFDC has laid emphasis on grooming people of the community for performing transformational roles that aim at capacity building of cooperatives, groups and individuals. These roles include entrepreneurship and management skills of PFFCS, PLDCS, SHG, FPO, Village Watershed Development Committees and other groups and village level local service providers. During the year, 53 trainings on Skill Development and 37 Exposure Visits were organised.

OUTCOMES

- Capacity building programmes have played a crucial role in generating awareness, developing skills & knowledge, which has further helped in smooth implementation of projects, initiating micro-enterprises and inculcating a sense of ownership in the community, which in turn helps in the overall sustainability of interventions.
- A cadre of more than 200 local-level service providers has been trained and groomed as para-professionals, Krishakmitras, Jankars, volunteers / community facilitators/village animators/ group motivators, etc. and are involved in skill up-gradation of the community.
- Involvement of women in the training programmes has helped in instilling a sense of confidence in these women and also in the women trainees. This introduces a level of comfort in the women given the social realities and also has a visible demonstration effect.

Capacity Building Training on FPO Management for Staff engaged in FPO Promotion Projects

"माँ पार्वती स्वयं सहायता समूह" ने पेपर प्लेट के सहारे भरी उड़ान

एक समय था जब चाय–नाश्ते के लिए मिट्टी के कुल्हड़ और पेड़ों के पत्तों से बने दोने–पत्तल ही आम उपयोग में आते थे। समय के साथ महंगाई बढ़ी और ये यूज–एंड–थ्रो वस्तुएँ व्यवसायियों के लिए महंगी साबित होने लगीं। इन्हीं चुनौतियों के बीच एक समाधान के रूप में पेपर कप और पेपर प्लेट का उदय हुआ, एक ऐसा विकल्प जो सस्ता, सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल था। धीरे–धीरे इनका उपयोग चाय की दुकानों से लेकर बड़े होटलों, आईटी कंपनियों, शादी–पार्टी और विभिन्न सामाजिक आयोजनों तक फैल गया। आज यह उद्योग इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसके बिना ब्रेकफास्ट इंडस्ट्री की कल्पना भी मुश्किल है।

इसी बढ़ती मांग ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी नए अवसर पैदा किए। ओडिशा के गंजाम जिले के प्रतापपुर गांव में महिलाओं के लिए आजीविका एक बड़ी चुनौती थी। तब इफको और आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के तहत पहल की गई। बाजार की मांग का आकलन किया गया और "माँ पार्वती स्वयं सहायता समूह" की महिलाओं के साथ चर्चा की गई। महिलाओं ने दोना–पत्तल और पेपर प्लेट निर्माण में रुचि दिखाई।

परियोजना के तहत समूह को हाइड्रोलिक ऑटोमैटिक मशीन उपलब्ध कराई गई और महिलाओं को मशीन संचालन, कच्चे माल की पहचान, पैकिंग और विपणन की बारीकियों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद महिलाएँ अपने घर के काम के साथ–साथ अतिरिक्त समय में पेपर प्लेट बनाने लगीं।

शुरुआत स्थानीय बाजार से हुई, लेकिन मेहनत और लगन ने जल्द ही रंग दिखाया। मात्र 11 महीनों में समूह ने 3.30 लाख रुपये का मुनाफा कमाया। एक प्लेट बनाने में लगभग 68 पैसे का खर्च आता है, जबकि बिक्री से औसतन 1.50 रुपये की आय होती है। यानी प्रति प्लेट करीब 82 पैसे का लाभ। रोजाना 2000 प्लेट के उत्पादन से समूह लगभग 1000 रुपये प्रतिदिन और 30,000 रुपये प्रतिमाह तक कमा रहा है।

इस कार्य की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कम लागत, कम समय और कम श्रम में अच्छा मुनाफा मिलता है। साथ ही यह उत्पाद खराब नहीं होता, इसकी एक्सपायरी नहीं होती और बढ़ती स्वच्छता जागरूकता के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ रही है।

समूह की अध्यक्ष श्रीमती जयंती साहो और सचिव श्रीमती नर्मदा साहो गर्व से कहती हैं, कि "हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा खुद का उद्योग होगा। आज हम आत्मनिर्भर हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बना रहे हैं। यह हमारे लिए एक नई पहचान और सम्मान की बात है।"

यह कहानी सिर्फ एक समूह की सफलता की नहीं, बल्कि उन अनगिनत ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा भी है जो सही मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर अपनी जिंदगी बदल सकती हैं। पेपर प्लेट उद्योग ने न केवल पर्यावरण के अनुकूल का विकल्प दिया है, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का रास्ता भी खोला है।

FROM FARM LABOURER TO DRONE PILOT: ASHA PATEL'S FLIGHT OF CHANGE

In the dusty fields of village Mahuakheda in District Sagar (M.P.) where life is often defined by struggle, Asha Patel dared to imagine something different. At 34, Asha's life was much like that of many rural women–marked by financial hardship and daily labour. Despite holding a Bachelor's degree, she worked as an agricultural labourer while her husband earned a modest income. Feeding the family and educating their two children was a constant challenge.

But change arrived quietly–through a watershed project supported by NABARD and implemented by IFFDC. When women's self-help groups were formed, Asha stepped forward. What began as small savings and meetings soon became her gateway to transformation. Then an opportunity came through IFFDC that seemed almost unimaginable: training rural women as drone pilots by IFFCO as "Drone Didi". Selected after a competitive process, Asha trained in Gwalior to operate agricultural drones. The journey wasn't easy–she took multiple loans from her SHG just to afford training, licensing, and travel. At one point, new eligibility rules nearly cost her everything. But she persisted, determined not to let her efforts go in vain.

Her breakthrough came in February 2024, when she received a drone. From that moment, Asha was no longer just a labourer–she became a service provider, a pioneer. Flying her drone across fields, she sprayed Nano fertilizers and pesticides with precision, helping farmers save time, reduce costs, and improve yields. Within months, she had covered hundreds of acres across nearly 25 villages. Her husband left his job to join her. Together, they built a livelihood that not only sustained their family but also brought modern technology to rural agriculture.

सुरखी की नमो ड्रोन दीदी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में करेंगी शिरकत

On August 15, 2024, Asha stood at the Red Fort in New Delhi–no longer as a spectator of change, but as a symbol of it. Her journey captures the true spirit of rural development: when opportunity meets determination, even the most unlikely dreams take flight.

बीज एवं अन्य कृषि आदान

(अ) बीज

बीज कृषि उत्पादन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं क्रांतिक आदान है जिस पर अन्य कृषि आदानों की कार्य क्षमता एवं प्रभाव बहुत हद तक निर्भर करता है। भिन्न–भिन्न फसलों में केवल सही बीज के प्रयोग से ही फसल उत्पादन में 15–20 प्रतिशत की वृद्धि संभव है तथा बीज के साथ अन्य कृषि आदानों के बेहतर प्रबंधन से फसल उत्पादन को 45 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की कृषि–जलवायु परिस्थितियों में अधिक उत्पादन देने वाले बीज की समुचित मात्रा उचित मूल्य पर उपलब्ध होना आवश्यक है। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में निरन्तर बढ़ोत्तरी के लिए नई व उन्नतशील किस्मों के बीजों का विकास अत्यन्त आवश्यक है जिससे किसानों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

यह साबित हो चुका है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भविष्य में खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न फसलों के लिए बीज प्रतिस्थापना दर (सीड रिप्लेसमेंट रेट) को बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे देश में अधिकतर किसानों को आज भी अच्छी गुणवत्ता का उन्नत बीज उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे वे पीढ़ी दर पीढ़ी घर के बीजों को ही प्रयोग में ले रहे हैं। फसल की अधिक उपज हेतु गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता पूर्व अपेक्षित है।

इस समस्या के समाधन हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. ने 'किसान केन्द्रित' बाजारोन्मुखी बीज उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों के खेतों में आई.एफ.एफ.डी.सी. व राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था (एस.एस.सी.ए.) के तकनीकी पर्यवेक्षण में बीज उत्पादन किया जा रहा है। बीज उत्पादन कार्य में रुचि रखने वाले व आई.एफ.एफ.डी.सी. के बीज उत्पादन के मापदण्डों को पूरा करने वाले किसानों को 'बीज उत्पादक समूहों' (एस.जी.जी) के रूप में संगठित कर उनमें उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन की क्षमता को विकसित किया जा रहा है। इनके द्वारा उत्पादित बीजों को आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा स्वयं के अथवा किराये के प्रसंस्करण संयंत्रों पर अपने पर्यवेक्षण में बीज उत्पादन के तकनीकी पहलुओं के अनुरूप प्रसंस्करण किया जाता है। राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित करवाने के पश्चात् सहकारी बिक्री तन्त्र के माध्यम से बीज किसानों को विपणन किया जाता है।

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता बढ़ाने व कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड एवं हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में बीज उत्पादन तथा विपणन कार्यक्रम किया जा रहा है। वर्ष 2025–26 के दौरान बीज उत्पादन कार्यक्रम में 8 फसलों की 14 नई किस्मों को जोड़ा गया है। 18 किलोवाट क्षमता की पहली सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई बीज प्रसंस्करण इकाई, दुर्जनपुर, हिसार (हरियाणा) में एवं 15 किलोवाट क्षमता की दूसरी सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई बीज प्रसंस्करण इकाई, रामपुराफुल, भटिंडा, पंजाब में स्थापित की गई, जिससे विद्युत व्यय में काफी बचत हो रही है।

गेहूँ बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, ताखा, इटावा (उत्तर प्रदेश)

SEED & Other Agri-Inputs

(A) SEED

Seed is a critical determinant of agricultural production on which depends the performance and efficacy of other inputs. Seed itself can potentially raise total production by about 15% - 20% depending upon the crop and further up to 45% with the simultaneous efficient management of other inputs. Quality seeds appropriate to different agro-climatic conditions and in sufficient quantity at affordable prices are required to raise productivity. Availability and use of quality seeds is not a onetime affair. Sustained increase in agriculture production and productivity necessarily requires continuous development of new and improved varieties of crops in response to the needs of farmers as well as an efficient system of production and supply of seed.

It has become evident that in order to achieve food security for a growing population in future, a major effort will be required to enhance the seed replacement rates of various crops. Most farmers in the country have little or no access to improved seed and continue to use the Farm Saved Seeds (FSS), generation after generation. For a good crop harvest, availability of quality seed is therefore an urgent prerequisite.

To address this problem, the IFFDC has initiated a 'farmer centric', market driven Seed Production Programme. Seed is being produced on farmer fields under technical supervision by IFFDC and the State Seed Certification Agencies (SSCA). Interested farmers fulfilling the stringent criteria of "IFFDC Seed Production Guidelines" are organised into "Seed Grower Groups" (SGG) and their capacities are upgraded for seed quality control and technical knowhow on various aspects of seed production. The seed is then processed as per the "Seed Certification Standards", either in IFFDC's own processing plants or hired processing plants, under its supervision. After certification by the SSCA, the seed is marketed to the farmers through the existing cooperative network.

IFFDC has undertaken Seed Production and Marketing in the states of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Punjab, Jammu & Kashmir, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand and Himachal Pradesh to increase availability of quality seed and thus enhance agricultural productivity. 14 new varieties of 8 crops have been added to the Seed Production Programme during the year 2025-26. The two first Solar Power Generation Units of 18 KW and 15 KW capacity have been established at SPU, Durjanpur, Hisar (Haryana) and at SPU, Rampuraphul, Bhatinda (Punjab), which has helped save on electricity costs incurred by these units.

Berseem Seed Production Field, Rampuraphul, Bhatinda (Punjab)

अधिक से अधिक कृषकों को बीज उत्पादन प्रणाली से जोड़ने के लिए, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा किसानों के साथ प्रभावी संवाद के लिए 'बीज उत्पादक समूह' के गठन पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे, उनमें क्षमता विकास हो व गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन को बढावा मिले। इन बीज उत्पादक समूहों को नियमित बैठकों, प्रशिक्षणों व जागरूकता लाने वाली गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन के लिये आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा अपनी स्वयं की आन्तरिक गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली विकसित की गई है जिसके तहत, विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं जैसे बीज स्त्रोंतों का प्रबंधन, बुवाई, खड़ी फसल में की जाने वाली शस्य क्रियायें, कटाई उपरान्त गतिविधियाँ, प्रसंस्करण व प्रमाणीकरण, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि के समय निरीक्षण एवं नियंत्रण किया जाता है। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा बीज के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति तथा बीज उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करने के कार्य में योगदान किया।

संपर्क (लिंकेज) विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा जनक एवं आधार बीजों के क्रय के लिए भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ, राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य बीज निगमों व अन्य सस्थानों के साथ तथा उत्पादित बीज के प्रमाणीकरण के लिए राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं के साथ प्रगाढ़ संबंध स्थापित किये गये हैं। आई.एफ.एफ.डी.सी. को नौ केन्द्रीय बीज उत्पादक एजेंसियों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। केन्द्रीय बीज उत्पादक एजेंसी के रूप में आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की दलहन, पोषक अनाज एवं तिलहन योजनाओं के अंतर्गत अपनी सेवायें प्रदान कर रही है। यह योजना मुख्य रूप से प्रजनक बीज खरीद, आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन एवं मिनीकिट वितरण पर केंद्रित है।

बीज प्रसंस्करण एवं भंडारण

संस्था की ताखा, इटावा (उत्तर प्रदेश), चपरतला, लखीमपुर–खीरी (उत्तर प्रदेश), रामपुराफूल, भटिंडा (पंजाब), दुर्जनपुर, हिसार (हरियाणा) तथा कोटा (राजस्थान) में पाँच प्रसंस्करण इकाईयाँ कार्यरत हैं जिनमें भण्डारण की समुचित व्यवस्था है।

बीज गुणवत्ता सुनिश्चितीकरण

आई.एफ.एफ.डी.सी. ने अपने बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए एक सुपरिभाषित गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र स्थापित किया है। इस पहल के पीछे मूल उद्देश्य आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्पादित बीजों की गुणवत्ता में विश्वास को बढ़ाना है, ताकि सुदृढ़ गुणवत्ता परीक्षण तंत्र के माध्यम से उच्चतम मानक सुनिश्चित किए जा सकें। संस्था ने अपनी बीज प्रसंस्करण इकाई (एस.पी.यू.), चपरतला, जिला लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) में आधुनिक मशीनों और उपकरणों से सुसज्जित एक बीज परीक्षण प्रयोगशाला (एस.टी.एल.) की स्थापना की है। वर्ष के दौरान, विभिन्न फसलों के 2,349 बीज नमूनों का परीक्षण किया गया और परिणामों को तदानुसार

श्रीमती माधवी एम. विप्रदास, प्रबंध निदेशक, आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा बीज उत्पादन इकाई, सिरोंज, मध्य प्रदेश का भ्रमण

To bring farmers under the ambit of the Seed Production System, IFFDC is concentrating on forming Seed Grower Groups (SGG) for enabling effective communication with the farmers, providing them capacity building oppurtunities and also ensuring quality seed production. These SGG are being nurtured through regular meetings, training and various awareness creating activities. For ensuring the quality of seeds produced, the IFFDC has an inbuilt Internal Quality Control (IQC) System, which involves inspection and control at various critical stages viz. arranging seed sources, sowing, field/crop level, post-harvest, processing, certification, packaging, storage, transportation etc.

Wider publicity of IFFDC seeds is also being undertaken through organising various activities. IFFDC has also thus contributed towards the national goal of doubling farmers income by providing quality seed and also providing incentives to the seed grower farmers.

Linkages Development

IFFDC has developed strong linkages with National Seed Association of India (NSAI), National Seed Corporation (NSC), Agricultural Universities, Research Institutes, State Seed Corporations and other Agencies for procuring Breeder/Foundation Seed. It has also networked with various State Seed Certification Agencies for the Certification of the IFFDC produced seeds. IFFDC is now recognised as one of the nine central seed producing agencies and under this banner is providing services for the different schemes of National Food Security Mission (NFSM) - Pulses, Nutri-Cereals & Oilseeds, Ministry of Agriculture and Farmer's Welfare, Govt. of India, New Delhi. These schemes are mainly focused on the procurement of Breeder seed, production of Foundation & Certified Seed and minikit distribution.

Seed Processing and Storage

IFFDC has five Seed Processing Units with sufficient storage facility in operation at Takha, Etawah (Uttar Pradesh), Chapartala, Lakhimpur Khiri (Uttar Pradesh), Rampura Phul, Bhatinda (Punjab), Durjanpur, Hisar (Haryana) and Kota (Rajasthan).

Ensuring Quality of Seed

IFFDC has a well-defined Quality Control Mechanism for its Seed Production Initiative in place, fundamentally aimed at enhancing the quality assurance of the seed it produces. For ensuring the highest standards through rigorous Quality Testing Mechanism, it has established a Seed Testing Laboratory (STL) equipped with modern machines and tools at its Seed Processing Unit (SPU), Chapartala, Distt. Lakhimpur Khiri (Uttar Pradesh). During the year, 2349 seed samples of various crops have been tested and the results

Gram Seed Production Field, Kota (Rajasthan)

आवश्यक कार्यवाही के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. की संबंधित बीज उत्पादन इकाइयों को प्रेषित किया गया। इससे न केवल बीज की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है बल्कि किसानों को उच्च–मानक कृषि बीज प्रदत्त होने से उनका विश्वास भी अर्जित होता है जिससे फसल की उपज में वृद्धि होने में मदद मिलती है।

वर्ष के दौरान प्रगति

(I) उत्पादन

- खरीफ 2025 के दौरान कुल 40,345 क्विंटल प्रमाणित बीज (28,000 क्विंटल मूँगफली, 10,580 क्विंटल धान, 1,210 क्विंटल मूँग, 100 क्विंटल उड़द, 430 क्विंटल ज्वार एवं 25 क्विंटल ग्वार) का उत्पादन किया गया जो कि खरीफ 2026 में विपणन के लिये उपलब्ध है।
- रबी 2025–26 के दौरान लगभग 3.31 लाख क्विंटल उत्पादित प्रमाणित बीज (3.25 लाख क्विंटल गेहूँ, 4,000 क्विंटल चना, 1,865 क्विंटल जौ, 150 क्विंटल सरसों एवं 70 क्विंटल बरसीम) रबी 2026–27 में विपणन के लिए उपलब्ध होगा।
- इसी प्रकार, लगभग 12,435 क्विंटल आधार बीज (890 क्विंटल धान, 35 क्विंटल मूँग, 150 क्विंटल मूँगफली, 10,900 क्विंटल गेहूँ, 370 क्विंटल चना, 30 क्विंटल जौ एवं 50 क्विंटल सरसों) आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्पादित किया गया जो कि अगले वर्ष के बीज उत्पादन कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।

(ii) विपणन

- खरीफ 2025 के दौरान, कुल 35,588 क्विंटल (20,107 क्विंटल धान, 565 क्विंटल मूँग, 410 क्विंटल उड़द, 645 क्विंटल ज्वार, 9,360 क्विंटल मूँगफली, 17 क्विंटल सोयाबीन, 3,406 क्विंटल संकर धान, 539 क्विंटल संकर बाजरा और 539 क्विंटल संकर मक्का) बीज की बिक्री किसानों को सहकारी नेटवर्क, आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचायजी, इफको ई–बाजार लिमिटेड एवं आई.एफ.एफ.डी.सी. कृषि वानिकी सेवा केन्द्रों को बिक्री की गई।
- रबी 2025–26 के दौरान कुल 3.33 लाख क्विंटल (3.26 लाख क्विंटल गेहूँ, 4,383 क्विंटल चना, 1,619 क्विंटल जौ, 165 क्विंटल सरसों, 425 क्विंटल संकर सरसों और 61 क्विंटल बरसीम) बीज को सहकारी नेटवर्क एवं आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचायजी के माध्यम से किसानों को बिक्री की गई।
- वर्ष 2025–26 के दौरान कुल 25,629.33 किग्रा (2,729 किग्रा सब्जी बीज कॉम्बो किट, 22,200 किग्रा मटर, 28 किग्रा बीन्स, 2 किग्रा चुकंदर, 66 किग्रा करेला, 4 किग्रा लौंकी, 5 किग्रा बैगन, 0.41 किग्रा मिर्च, 297 किग्रा धनिया, 2 किग्रा खीरा, 77 किग्रा भिंडी, 8 किग्रा कद्दू, 19 किग्रा मूली, 3 किग्रा तोरई, 187 किग्रा पालक, 0.42 किग्रा टमाटर और 1.50 किग्रा तरबूज) सब्जी बीज को आई.एफ.एफ.डी.सी. फ्रेंचाइजियों एवं सहकारी नेटवर्क के माध्यम से किसानों को बिक्री की गई।

संकर बाजरा फसल प्रदर्शन प्रक्षेत्र, हिसार (हरियाणा)

were communicated to the concerned seed production units of IFFDC for appropriate necessary action. This proactive approach not only fosters better seed quality but also supports the farmers by providing them with high-standard agricultural seeds that can contribute to improved crop yields. The outcomes of this initiative highlight the importance of reliable seed testing in promoting agricultural productivity and sustainability.

Progress during the year

(I) Production

- During Kharif 2025, a total of 40,345 quintal Certified Seed (28,000 quintal Groundnut, 10,580 quintal Paddy, 1210 quintal Moong, 100 quintal Urd, 430 quintal Sorghum & 25 quintal Guar) have been produced & the same are available for marketing during Kharif 2026.
- During Rabi 2025-26, approximately 3.31 lakh quintal Certified Seed (3.25 lakh quintal Wheat, 4,000 quintal Gram, 1,865 quintal Barley, 150 quintal Mustard and 70 quintal Berseem) produced will be available for marketing during Rabi 2026-27.
- Similarly, approximately 12,435 quintal Foundation Seed (890 quintal Paddy, 35 quintal Moong, 150 quintal Groundnut, 10,900 quintal Wheat, 370 quintal Gram, 30 quintal Barley and 50 quintal Mustard) has been produced by IFFDC for further multiplication.

(ii) Marketing

- During Kharif 2025, total 35,588 quintal seeds (20,107 quintal Paddy, 565 quintal Moong, 410 quintal Urd, 645 quintal Sorghum,9,360 quintal Groundnut, 17 qtls Soybean, 3,406 quintal Hybrid Paddy, 539 quintal Hybrid Pearl Millet and 539 quintal Hybrid Maize) has been sold to the farmers through the cooperative network, IFFDC Franchisees, IFFCO e-Bazar Ltd. and IFFDC AFSCs.
- During Rabi 2025-26, total 3.33 lakh quintal (3.26 lakh quintal Wheat, 4,383 quintal Gram, 1,619 quintal Barley, 165 quintal Mustard, 425 quintal Hybrid Mustard and 61 quintal Berseem) seeds have been sold to the farmers through the cooperative network and IFFDC Franchisees.
- During 2025-26, total 25,629.33 kg (2729 kg in Vegetable Seed Combo Kits, 22,200 Kg Peas, 28 Kg Beans, 2 Kg Beet Root, 66 Kg Bitter Gourd, 4 Kg Bottle Gourd, 5 Kg Brinjal, 0.41 Kg Chilli, 297 Kg Coriander, 2 Kg Cucumber, 77 Kg Okra, 8 Kg Pumpkin, 19 Kg Radish, 3 Kg Ridge Gourd, 187 Kg Palak, 0.42 Kg Tomato and 1.50 Kg Watermelon) vegetable seed have been sold to the IFFDC KSK and through the cooperative network etc.

Demonstration of Wheat Seed Production Field at Kota (Rajasthan)

बीज उत्पादक समूह (एस.जी.जी.) और बीज प्रचार-प्रसार

- वर्ष 2025–26 के दौरान, कुल 290 सदस्यों के साथ 14 बीज उत्पादक समूहों का गठन किया गया है।
- कृषक समूहों के सदस्यों हेतु गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की नई तकनीकियों की जानकारी हेतु कृषि अनुसंधान संस्थानों में दस और कृषि विश्वविद्यालयों के कृषक मेलों में आठ भ्रमणों का आयोजन किया गया।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. बीज एवं इफको नैनो उर्वरक (तरल) के प्रचार–प्रसार के लिए, 136 नैनो उर्वरक ट्रायल, 41 क्षेत्र दिवस, 6 फसल संगोष्ठी, 38 विशेष बिक्री अभियानों, बिक्री कर्मियों हेतु 70 प्रशिक्षण कार्यक्रम, 11,720 वर्ग फुट वॉल पेंटिंग, 108 ट्रैक्टर–ट्रॉली पैंटिंग, आई.एफ.एफ.डी.सी. ए.एफ.एस.सी. पर 14 किसान सभा, 49 क्षेत्र प्रदर्शन, किसान मेलों में 8 प्रदर्शनी स्टॉल तथा विभिन्न स्थानों पर बोर्ड व बैनर आदि लगाये गये।

(ब) उर्वरक एवं कृषि रसायन

स्थाई रूप से फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए आई.एफ.एफ.डी.सी. अपनी वितरण श्रृंखला (कृषि–वानिकी सेवा केन्द्र, पी.एफ.एफ.सी.एस. नेटवर्क, कृषक सेवा केन्द्र एवं फ्रेंचायजी आदि) के माध्यम से दूरदराज के किसानों को भी समय पर गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

प्रगति

2024–25 के सापेक्ष 2025–26 के दौरान आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उर्वरक एवं कृषि रसायनों की बिक्री

क्र.सं.	विवरण	2025-26	2024-25	% वृद्धि / कमी
1.	थोक उर्वरक बिक्री (लाख मैट्रिक टन)	17.04	16.90	0.83
2.	जल विलेय उर्वरक + स्पेशिएलिटी उर्वरक (मैट्रिक टन)	32,874	32,528	1.06
3.	सागरिका लिक्विड (लीटर)	3,36,000	3,39,918	-1.15
4.	सागरिका दानेदार (मैट्रिक टन)	11,308	16,571	-31.76
5.	जैव उर्वरक (लीटर)	1,28,000	1,19,482	7.13
6.	इफको नैनो उर्वरक (बोतलों की संख्या)	56,67,000	53,36,194	6.20

ज्वार बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, निंबाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान)

Seed Grower Groups (SGG) and Seed Publicity

- 14 Seed Grower Groups with 290 members have been formed during 2025-26.
- 10 exposure visits to the Agriculture Research Institutes and 8 visits to the Farmer Fairs of Agriculture Universities have also been organised to expose them to new technologies and practices of quality seed production.
- Wider publicity of IFFDC Seed & IFFCO Nano Fertilisers (Liquid) has been undertaken through organising 136 Nano Fertiliser Trials, 41 field-days, 6 Crop Seminars, 38 Special Sales Campaigns, 70 Sale Personnel Trainings, 11,720 Sq. Ft. Wall Paintings, 108 Tractor Trolley Paintings, 14 farmers meetings at IFFDC AFSC, 49 Field Demonstrations, participating in 8 Exhibition Stalls in Farmer Fairs, displaying boards and banners etc at various places.

(B) FERTILISERS & AGRO-CHEMICALS

To increase production and productivity of crops, timely supply of quality agri-inputs to the farmers even in the remote areas is being ensured by IFFDC through its supply chain (Agro-forestry Service Centres, PFFCS Network, IFFDC Krishak Seva Kendra & Franchisee etc).

PROGRESS

Sales of Fertilisers & Agro-Chemicals through IFFDC during 2025-26 v/s 2024-25

S.No.	Particulars	2025-26	2024-25	% Increase/ Decrease
1.	Bulk Fertiliser Sale (Lakh MT)	17.04	16.90	0.83
2.	WSF+ Speciality Fertiliser (MT)	32,874	32,528	1.06
3.	Sagarika Liquid (Litre)	3,36,000	3,39,918	-1.15
4.	Sagarika Granular (MT)	11,308	16,571	-31.76
5.	Bio-Fertiliser (Litre)	1,28,000	1,19,482	7.13
6.	IFFCO Nano Fertilisers (Bottle in Nos.)	56,67,000	53,36,194	6.20

Visit of Cooperatives/Franchises Personnel to SPU Rampuraphul, Bhatinda (Punjab)

कृषि-वानिकी सेवा केन्द्र

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में 17 कृषि वानिकी सेवा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के द्वारा उच्च उत्पादक किस्मों के बीज, इफको उर्वरक, जैव उर्वरक एवं इफको–एम.सी. कृषि–रसायन की आपूर्ति के साथ–साथ कृषकों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 19,756 मैट्रिक टन इफको खाद (13,687 मैट्रिक टन यूरिया, 1,204 मैट्रिक टन एन.पी.के., 4,865 मैट्रिक टन डी.ए.पी.), 434 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक और स्पेशिएलिटी उर्वरक, 41 मैट्रिक टन सागरिका ग्रेनुलर, 1,332 लीटर सागरिका तरल, 1,090 लीटर जैविक खाद, 166 लाख रुपये का कृषि–रसायन, 27,450 (संख्या) नैनो उर्वरक बोतल एवं 9,489 क्विंटल गेहूँ, सरसों, बरसीम, मूँग एवं धान के प्रमाणित बीजों की आपूर्ति किसानों को इन कृषि वानिकी सेवा केन्द्रों द्वारा की गयी।

प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति नेटवर्क

उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समितियों को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए, इफको उर्वरकों का विपणन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। वर्ष के दौरान, कुल 39 समितियों ने 3,721 मैट्रिक टन इफको उर्वरक (जिसमें 3,106 मैट्रिक टन यूरिया, 154 मैट्रिक टन एन.पी.के., 461 मैट्रिक टन डी.ए.पी.), 21 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक एवं स्पेशिएलिटी उर्वरक, 7 मैट्रिक टन सागरिका ग्रेनुलर, 81 लीटर सागरिका तरल, 10 लीटर जैव उर्वरक, 5,463 (संख्या) नैनो उर्वरक बोतल और 4,659 क्विंटल विभिन्न फसलों के गुणवत्तायुक्त बीजों की भी आपूर्ति की गयी।

कृषक सेवा केन्द्र (के.एस.के.)

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र राज्यों के विशेषकर उन क्षेत्रों/जिलों में जहाँ सहकारी समितियां कमजोर हैं, वहाँ गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने हेतु आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा कृषक सेवा केन्द्र खोलकर एक वितरण श्रृंखला प्रणाली विकसित की गई। देश भर में संचालित इस प्रकार के 11,478 केन्द्रों द्वारा इस वर्ष 16,54,168 मैट्रिक टन इफको उर्वरक (जिसमें 9,48,369 मैट्रिक टन यूरिया, 4,20,695 मैट्रिक टन डी.ए.पी. और 2,85,104 मैट्रिक टन एन.पी.के.) 32,419 मैट्रिक टन जल विलेय उर्वरक एवं स्पेशिएलिटी उर्वरक, 11,260 मैट्रिक टन सागरिका ग्रेनुलर, 26,475 मैट्रिक टन अन्य उर्वरक, 3,34,587 लीटर सागरिका (तरल), 1,26,900 लीटर जैविक खाद, 56,34,135 (संख्या) नैनो उर्वरक बोतल तथा 1,02,571 क्विंटल धान, मूँग, संकर धान, संकर बाजरा, संकर मक्का, ज्वार, गेहूँ, सरसों, जौ, संकर सरसों, मूँगफली और चना के गुणवत्तापूर्ण बीजों की आपूर्ति की गई।

डा. योगेन्द्र कुमार, विपणन निदेशक एवं श्री संजय कुलश्रेष्ठ, कार्यकारी निदेशक, इफको द्वारा विदिशा (मध्य प्रदेश) में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव 2026 में आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भ्रमण

Agro-Forestry Service Centres

The IFFDC is operating 17 Agro-Forestry Service Centres (AFSC) in Uttar Pradesh, Haryana, Bihar and West Bengal. These AFSC are providing inputs like, HYV seed, IFFCO fertilisers, Bio-fertilisers and IFFCO-MC Agro-Chemicals along with technical guidance to farmers. During the year, 19,756 MT IFFCO fertilisers (13,687 MT Urea, 1,204 MT NPK, & 4,865 MT DAP) 434 MT WSF & specialty fertliser, 41 MT Sagarika Granular, 1,332 litre Sagarika Liquid, 1,090 litre Bio Fertiliser, Agro- Chemical of Rs. 166 lakh, 27,450 (Numbers) Nano Fertiliser Bottle and 9,489 quintals Certified Seed of Wheat, Mustard, Berseem, Moong and Paddy etc have been supplied to the farmers through these AFSCs.

PFFCS Network

The Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) in Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh were encouraged to take up the marketing of fertiliser and other agri-inputs for economic self-sufficiency. 39 PFFCS have marketed 3,721 MT IFFCO fertiliser (comprising of 3,106 MT Urea, 154 MT NPK & 461 MT DAP) 21 MT WSF & specialty fertiliser, 7 MT Sagarika Granular, 81 Litre Sagarika Liquid, 10 litre Bio Fertiliser, 5,463 (Numbers) Nano Fertiliser Bottle and also 4,659 quintals of quality seeds of various crops.

Krishak Seva Kendra (KSK)

To provide quality agricultural inputs, a delivery chain mechanism has been developed by opening IFFDC Krishak Seva Kendras (KSKs) in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Tamilnadu, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Kerala, Karnataka, Chhattisgarh, Rajasthan, Haryana, Punjab and Maharashtra especially in the areas / districts where cooperative societies are weak. 11,478 such Centres operating all over India supplied 16,54,168 MT of IFFCO fertiliser (comprising of 9,48,369 MT Urea, 4,20,695 MT DAP and 2,85,104 MT NPK) 32,419 MT WSF & specialty fertilisers, 11,260 MT Sagarika Granular, 26,475 MT any other fertilizer, 3,34,587 Litres Sagarika Liquid, 1,26,900 litre Bio Fertiliser, 56,34,135 (Numbers) Nano Fertiliser Bottle and 1,02,571 quintals of quality seed of Paddy, Moong, Hybrid Paddy, Hybrid Bajra, Hybrid Maize, Sorghum, Wheat, Mustard, Barley, Hybrid Mustard, Groundnut, and Gram etc.

Smt. Madhavi M. Vipradas, Managing Director, IFFDC addressing the farmers in Crop Seminar at SPU Maigalganj (Uttar Pradesh)

मानव संसाधन विकास

आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा सभी स्तरों पर प्रोफेशनल स्टॉफ को बेहतरीन अवसर प्रदान किया जा रहा है। 31 मार्च, 2026 तक यहाँ कुल 279 कर्मचारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान इफको नैनो उर्वरकों और आई.एफ.एफ.डी.सी. बीजों के विपणन और प्रचार के लिए 16 नए 'कृषि इनपुट बिक्री सहायकों (ए.एस.ए.) की नियुक्ति की है। 31 मार्च, 2026 को, आई.एफ.एफ.डी.सी. में ए.एस.ए. की कुल संख्या 38 है। आई.एफ.एफ.डी.सी. ने प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से, प्रेरित और समर्पित मानव संसाधन को के पोषण और विकास के लिए कर्मचारियों के प्रति एक प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया है। कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, उन सभी को स्वास्थ्य बीमा (हेल्थ इंश्योरेंस) के दायरे में शामिल किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान प्रशिक्षण

- भारत भर में विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नेतृत्व विकास, व्यवसाय प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित किए गए।
- बीज उत्पादन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बीज उत्पादन तकनीक, बीज की गुणवत्ता आदि पर भी प्रशिक्षण आयोजित किए गए।
- नैनो उर्वरकों की बिक्री के माध्यम से उत्पादकता एवं टिकाऊ कृषि के संवर्द्धन के लिए नैनो उर्वरकों के उपयोग पर प्रशिक्षण आयोजित किये गये।
- बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए ऑडिटिंग, कराधान आदि पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए।
- सामान्य और आत्म जागरूकता पैदा करने के लिए सुशासन, सहकारी कानून और व्यवहार संबंधी पहलुओं के क्षेत्र में प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 की धारा 53 (1)(बी) की अनुपालना में निदेशक मण्डल की एक कमेटी व एक आंतरिक शिकायत कमेटी क्रियाशील है जिसकी नियमित रूप से बैठक की जा रही हैं। वर्ष के दौरान इसका प्रतिवेदन निम्न तालिका में प्रस्तुत हैः

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	वर्ष में प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या	'शून्य'
2.	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	'शून्य'
3.	नब्बे दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	'शून्य'
4.	वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न के विरुद्ध आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	3 (तीन) (19–21/08/2025,10–11/09/2025, 13–14/02/2026
5.	नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति	आवश्यकता नहीं

एफ.पी.ओ. संवर्द्धन में संलग्न कर्मियों के लिए व्यवसाय योजना निर्माण पर एफ.एम.डी.आई. गुड़गाँव में आयोजित प्रशिक्षण

Human Resource Development

IFFDC has been providing great opportunities to the professionals at all levels. There are total 279 employees as on 31st March, 2026. Additionally, IFFDC has appointed new 16 Agri-inputs Sale Assistants (ASA) during the Financial Year 2025-26 for Marketing and Promotion of IFFCO NANO fertilizers as well as IFFDC seed. As of 31st March, 2026, the total strength of ASAs in IFFDC is 38. IFFDC has adopted a forward-looking employee approach for nurturing and developing motivated and committed human capital, through the placement Agency's. In order to protect the employees, all are covered under the health insurance.

Trainings during the financial year 2025-26

- Training Programmes were organised in the areas of Leadership Development, Business Management, Project Management for the employees working on various projects across India.
- Training was also organised for the employees working in Seed Production on Seed Production Techniques, Seed Quality etc.
- To improve productivity and promote sustainable agriculture through sale of nano fertiliser, trainings on its use and benefits were organised.
- For ensuring better financial management, training programmes on Auditing, Taxation etc. were held.
- To create general & self-awareness, training was organised in the field of good governance, Cooperative Law and behavioural aspects.

In compliance of the Section 53 (1) (b) of the MSCS Act 2002, a committee on the Board of IFFDC and an Internal Complaint Committee on Prevention of Sexual Harassment of Woman at workplace are in place and regular meetings of these committees are being organised. The annual status report given in the table below.

Sl.No.	Particulars	Remarks
1.	Number of complaints of sexual harassment received in the year	'Nil'
2.	Number of complaints disposed off during the year;	'Nil'
3.	Number of cases pending for more than ninety days	'Nil'
4.	Number of workshops or awareness programme against sexual harassment carried out during the year	3 (Three) (19-21/08/2025, 10-11/09/2025, 13-14/02/2026)
5.	Nature of action taken by the employer	Not required

Capacity building training for Human Resource and Administration Personnels organised at Jaisalmer (Rajasthan)

प्रचार-प्रसार एवं जनसंपर्क गतिविधियाँ

आई.एफ.एफ.डी.सी. की मान्यता है कि, अपनी गतिविधियों का प्रभावी प्रचार–प्रसार उसकी ब्रांड प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करने तथा हितधारकों में विश्वास को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। विविध जनसमूहों, विशेषकर ग्रामीण एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों तक पहुँच सुनिश्चित करने हेतु संस्था द्वारा व्यापक जनसंपर्क रणनीति को अपनाया जाता है।

प्रिंट मीडिया, ऑल इंडिया रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण, फिल्म शो, प्रदर्शनियाँ, दीवार एवं ट्रैक्टर–ट्रॉली पेंटिंग, सूचना पट्ट एवं अनौपचारिक बैनर जैसे पारंपरिक माध्यम, आई.एफ.एफ.डी.सी. के प्रचार प्रयासों की आधारशिला हैं, जो जमीनी स्तर पर सूचना के व्यापक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

संचार के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे आधिकारिक वेबसाइट, फेसबुक, टिवटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, वेबिनार एवं वर्चुअल कार्यक्रमों के उपयोग को भी बढ़ाया है। ये साधन हितधारकों के साथ वास्तविक समय में संवाद करने और व्यापक पहुँच बढ़ाने में सहायता करते हैं।

विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों ने आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रचार पहलों को और प्रभावी बनाया है। ये प्रयास न केवल संस्था के कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि ज्ञान–साझेदारी, सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रचार तथा सहयोग को सुदृढ़ करने में भी प्रोत्साहित करते हैं, जिससे ग्रामीण विकास में दीर्घकालिक योगदान सुनिश्चित होता है।

वर्ष के दौरान, आई.एफ.एफ.डी.सी. ने विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों एवं प्रदर्शनियों में सक्रिय भागीदारी करके स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) व कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) के उत्पादों को प्रदर्शित एवं संवर्द्धित किया है।

प्रदर्शनी और प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ

- आई.एफ.एफ.डी.सी. ने भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित इफको की 54वीं वार्षिक आम बैठक के अवसर पर एक प्रदर्शनी–सह–बिक्री स्टॉल लगाया। इसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित हस्तशिल्प उत्पाद और आई.एफ.एफ.डी.सी. के सब्जी बीज प्रदर्शित किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान, कुल 72,000 रुपये की आय हुई।
- नई दिल्ली में आयोजित एन.सी.यू.आई. सहकार मेला 2025 और एन.आई.पी.एम. राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में आई.एफ.एफ.डी.सी. ने स्वयं सहायता समूह और एफ.पी.ओ. के उत्पादों, जैसे अकोला प्रिंट ड्रेस मटीरियल, लाख की चूड़ियाँ, सरसों का तेल, हल्दी और मीनाकारी वस्तुएँ के प्रदर्शन हेतु स्टॉल लगाए। इन स्टॉलों को उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और कुल 50,000 रुपये से अधिक की बिक्री हुई।
- आई.एफ.एफ.डी.सी. की सहायता से हिमालय एफ.पी.ओ., हल्द्वानी (उत्तराखंड) ने भारत मण्डपम नई दिल्ली में 14–27 नवंबर 2025 को आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में भागीदारी की। इस मेले में एफ.पी.ओ. ने अपने कीटनाशक–मुक्त मसालों एवं कृषि उत्पादों, हल्दी, मिर्च, धनिया तथा दालों का प्रदर्शन एवं बिक्री की। इस दौरान कुल 7 लाख रुपये की बिक्री हुई, जिससे इसके सदस्य किसानों को आय अर्जन में मदद मिली।

पुरस्कार तथा सम्मान

1. अपने महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत में ही, आई.एफ.एफ.डी.सी. को 'आजीविका श्रेणी' के तहत गरीब आदिवासी समुदाय की सतत् आजीविका को बेहतर बनाने के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु, भारत के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा 'टाइम्स ऑफ इंडिया सोशल इम्पैक्ट अवार्ड–2011' से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, आई.एफ.एफ.डी.सी. को पर्यावरण संरक्षण और विकास के क्षेत्र में उसके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 'पर्यावरण श्रेणी' में 'सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2015' के लिए भी चुना गया। ये दोनों प्रतिष्ठित पुरस्कार, जलवायु परिवर्तन से निपटने और सीधे–सादे, वंचित लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने के क्षेत्र में आई.एफ.एफ.डी.सी. के समर्पित प्रयासों के प्रति एक बड़ी श्रद्धांजलि और सम्मान हैं।
2. 'इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कार 1999', जो भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वनीकरण और बंजर भूमि विकास में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया गया। आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा प्रोत्साहित पाँच वानिकी समितियों (राजस्थान में सांगवा और रख्यावलय उत्तर प्रदेश में कटारी और मडवा तथा मध्य प्रदेश में करैया) को भी वनीकरण और बंजर भूमि विकास में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए अलग से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
3. आई.एफ.एफ.डी.सी. द्वारा संवर्द्धित 'अमरीती ग्राम वाटरशेड विकास समिति', सतना (म.प्र.) को 'उत्कृष्ट वाटरशेड विकास कार्य' के लिए मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री, माननीय श्री विश्वास सारंग द्वारा सम्मानित किया गया है।

Publicity and Outreach Initiatives

IFFDC acknowledges that effective communication of its initiatives is essential for strengthening its brand reputation and enhancing stakeholder confidence. To reach diverse audiences, particularly in rural and socially disadvantaged areas, the organisation adopts a comprehensive publicity strategy.

Traditional media—such as print coverage, All India Radio and television broadcasts, film shows, exhibitions, wall and tractor-trolley paintings, and informational banners—continues to form the core of IFFDC's outreach efforts, ensuring wide dissemination of information at the grassroots level.

In line with changing communication trends, IFFDC has also broadened its use of digital platforms, including its official website, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, webinars, and virtual events. These tools facilitate real-time engagement and wider interaction with stakeholders across regions.

Through the implementation of various projects, IFFDC has gained valuable insights that enhance its publicity initiatives. These efforts not only showcase the Corporation's work but also support knowledge sharing, promote best practices, and strengthen collaboration, thereby contributing to sustainable rural development.

Exhibition and Promotion Activities

During the year, IFFDC actively engaged in showcasing and promoting the products of Self-Help Groups (SHGs), Farmer Producer Organizations (FPOs) through participation in various national-level events and exhibitions.

- IFFDC set up an exhibition-cum-sale stall during the 54th Annual General Meeting of IFFCO at Bharat Mandapam, New Delhi. The stall displayed handicraft products made by SHGs along with IFFDC vegetable seeds. The total sales generated during the event amounted to ₹72,000.
- Exhibition stalls featuring products of SHGs and FPOs—including Akola print dress materials, lac bangles, mustard oil, turmeric, and meenakari items—were set up at the NCUI Cooperative Fair and the NIPM National Conference 2025, both held in New Delhi. These stalls received an encouraging response, achieving total sales of over ₹50,000.
- IFFDC supported the participation of the Himalaya FPO, Haldwani (Uttarakhand), in the 44th India International Trade Fair held at Bharat Mandapam, New Delhi, from 14-27 November 2025.The FPO exhibited and sold its pesticide-free spices and agri-produce—including turmeric, chilli, coriander, and pulses—achieving an impressive sale value of ₹7 lakh, thereby providing substantial income support to its member farmers.

Awards and Recognition

1. Early on in its vital crusade, The Times of India "Social Impact Award-2011" was conferred by Hon'ble Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister of India, for IFFDCs excellent work on Sustainable Livelihood Enhancement of the Poor Tribal Community under the "Livelihood Category". Further, IFFDC was also selected for the "Social Impact Award 2015" in the "Environment Category" for its outstanding performance in environment protection and development. Both these premier awards have been a major tribute and salutation to IFFDCs dedicated efforts in the realm of combating Climate Change and bringing about a qualitative transformation in the lives of simple, marginalized folk.
2. "Indira Priyadarshini Vrikashamitra Puraskar 1999" conferred by the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India for excellence in afforestation and wasteland development. Five of its promoted PFFCS (Sangwa & Rakhyawal in Rajasthan, Katari & Madwa in Uttar Pradesh and Karaiya in Madhya Pradesh) have also been separately honoured with this award for their outstanding work in afforestation & wasteland development.
3. IFFDC promoted "Amirti Village Watershed Development Committee", Satna (M.P.) has been awarded by Hon'ble Sh. Vishvas Sarang, Co-operation Minister, M.P. for "Excellent Watershed Development Work".

आभार

निदेशकगण, इफको के निदेशक मंडल एवं प्रबंधन द्वारा आई.एफ.एफ.डी.सी. को निरंतर प्रदान किए गए अमूल्य वित्तीय सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विशेष रूप से अपना आभार व्यक्त करते हैं। विशेषकर इफको के माननीय अध्यक्ष श्री दिलीप संघाणी तथा माननीय प्रबंध निदेशक श्री के.जे. पटेल द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन एवं प्रेरणा प्रदान करने हेतु अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, उनकी उल्लेखनीय मार्गदर्शक भूमिका, आई.एफ.एफ.डी.सी. की सतत् प्रगति एवं विकास की आधारशिला रही है। आई.एफ.एफ.डी.सी. की सभी पहलों एवं प्रयासों में उनके विशेष एवं निरंतर सहयोग के लिए हम उनके अत्यंत आभारी हैं।

निदेशक मंडल, वर्ष के दौरान संस्था के सभी स्तरों के कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों के प्रति उनकी सराहना करता है। उनके अथक परिश्रम, प्रतिबद्धता एवं निष्ठापूर्ण कार्य के कारण ही समिति यह सराहनीय एवं उत्साहवर्धक उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकी है। निदेशक मंडल आई.एफ.एफ.डी.सी. की प्रबंध निदेशक तथा उनकी टीम को भी संस्था के समग्र उत्थान हेतु उनके समर्पित एवं निष्ठापूर्ण योगदान के लिए हार्दिक बधाई देता है।

निदेशक मंडल, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, विभिन्न राज्य सरकारों, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.), ट्राइफेड, इफको बाजार, इफको–एमसी, इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गुजकोमासोल तथा को आई.एफ.एफ.डी.सी. की गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन में प्रदत्त सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापित करता है।

निदेशक मंडल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.), नई दिल्ली, विभिन्न अनुसंधान संस्थानों एवं कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी सहयोग एवं मार्गदर्शन के लिए भी आभार व्यक्त करता है। विशेष रूप से वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.), देहरादून, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट (टी.एफ.आर.आई.), जबलपुर, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, झाँसी, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र (एन.आर.सी.एस.), इंदौर, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान), नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद (उ.प्र.), चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.), चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा), पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना तथा गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन (गुजकोमासोल) के सहयोग के लिए विशेष धन्यवाद।

निदेशक मंडल, संस्था की कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं को सफल बनाने में प्रदान किये गये सहयोग के लिए तकनीकी संस्थाओं मैसर्स इमर्जेंट वेंचर्स ऑफ इंडिया प्रा. लि., कार्बन परियोजना पंजीकरण संस्था, वेरा (VERRA), मैसर्स कार्बन चेक प्रा. लि. एवं ईकोलेंस प्रा. लि. तथा हमारे ग्राहकों मैसर्स पचामा और टीचर टूल्स के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (एन.एम.ओ.ओ.पी.), नई दिल्ली, बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया (बी.आई.एस.ए.), विभिन्न राज्य कृषि विभागों, राष्ट्रीय बीज संघ, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बी.बी.एस.एस.एल.), राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों तथा हमारे बीज उत्पादक किसानों का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिनके सहयोग से आई.एफ.एफ.डी.सी. के बीज उत्पादन कार्यक्रम का सफल संचालन संभव हो सका।

निदेशक मंडल, मीडिया जगत, विशेष रूप से डी.डी. नेशनल, डी.डी. किसान चैनल एवं आकाशवाणी का भी आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने आई.एफ.एफ.डी.सी. की परियोजनाओं, कार्यक्रमों एवं उनके प्रभावों को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

निदेशकगण, अपनी सदस्य सहकारी समितियों के प्रति भी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिनका निरंतर सहयोग एवं प्रबंधन में विश्वास आई.एफ.एफ.डी.सी. को नई उपलब्धियाँ प्राप्त करने तथा अपने कार्य निष्पादन के मानकों को और ऊँचा उठाने के लिए निरंतर प्रेरित करता है।

अंत में, निदेशक मंडल आपको आश्वस्त करता है कि आपकी संस्था आने वाले वर्षों में भी सर्वांगीण प्रगति के लिए सतत् प्रयासरत रहेगी तथा नई उपलब्धियों एवं कीर्तिमानों की स्थापना करती रहेगी।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(गुरु प्रसाद त्रिपाठी)
अध्यक्ष, आई.एफ.एफ.डी.सी.

स्थानः गुड़गाँव
दिनांकः 26.05.2026

Acknowledgements

The Board of Directors wishes to place on record their deep gratitude for the continued, invaluable financial support and guidance extended to IFFDC at all the times by the IFFCO Board and Management, particularly by Hon'ble Chairman IFFCO Shri Dileep Sanghani and Hon'ble Managing Director IFFCO Shri K.J. Patel who have been the guiding and motivating spirit in the ever-increasing and upward spiraling growth of IFFDC. We are indeed grateful to IFFCO Board and Management for their special and unstinting support to IFFDC in all its endeavours.

Your Directors wish to acknowledge the dedicated efforts made by all the employees of the Society at all levels during the year. Their committed efforts and hard work has made it possible in achieving astonishing results of the Society. The Board also wishes to heartily congratulate the Managing Director, IFFDC and her team for their dedicated devotion to the betterment of Society.

We also thank Ministry of Cooperation and Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Government of India, State Governments, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), National Cooperative Development Corporation (NCDC), National Cooperative Union of India (NCUI), TRIFED, IFFCO Bazar, IFFCO-MC, IFFCO-Tokio General Insurance Company Ltd. and Gujcomasol for their support to IFFDC in implementation of all the activities.

The Board of Directors also acknowledges with thanks the cooperation and technical support provided by Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi, various Research Institutes and Agriculture Universities, especially the Forest Research Institute (FRI), Dehradun, Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, National Research Centre for Agroforestry, Jhansi and National Research Center for Soyabean (NRCS), Indore, Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur (Rajasthan), Narendra Dev University of Agriculture and Technology, Kumarganj Faizabad (U.P.), Chandra Shekhar Azad University of Agriculture and Technology, Kanpur (U.P.), Ch. Charan Singh University of Agriculture, Hisar (Haryana), Punjab Agriculture University, Ludhiana.

Your Directors also express their gratitude to the technical partner M/s Emergent Ventures of India Pvt. Ltd. and the carbon project registry VERRA, M/s Carbon Check Pvt Ltd and Ecolance and our clients M/s Pachama and Teacher Tools for helping in the success of the Carbon Credit Projects.

The Board of Directors also expresses its sincere thanks to the National Food Security Mission, National Mission on Oil Seed and Oil Palm (NMOOP), New Delhi, Borlaug Institute for South Asia (BISA), various State Agriculture Departments, National Seed Association of India, Bhartiya Beej Sahakari Samiti Ltd. (BBSSL), National Seed Corporation, State Seed Corporation, State Seed Certification Agencies, our Seed Gower Farmers etc for providing necessary support and help in the successful implementation of IFFDC's Seed Production Programme.

The Board of Directors is thankful to the Media specially the D.D. National, D.D. Kisan Channel and All India Radio for providing support in projecting the activities, programmes and impacts of IFFDC projects on a wider scale.

Your Directors also wish to express their deep gratitude to our Member Societies whose continued support and trust in the management of the Society is an ever-present spur to IFFDC to further its achievements and raise the bar of its performance.

The Board of Directors would like to assure you that your Society would continue to strive to achieve all-round progress and establish new records in the coming years.

For and On Behalf of the Board of Directors

(Guru Prasad Tripathi)
Chairman, IFFDC

Place : Gurgaon
Date : 26.05.2026

आपका आभार

1. इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)
2. इफको बाजार
3. इफको–एमसी
4. सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
5. कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
7. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
8. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), नई दिल्ली
9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.), नई दिल्ली
10. भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.), नई दिल्ली
11. कोआपरेटिव रूरल डवलपमेन्ट ट्रस्ट (कोरडेट), फूलपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
12. उत्तराखण्ड सरकार
13. जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था (जीका)
14. भारतीय राष्ट्रीय बीज संघ (एन.एस.ए.आई.), नई दिल्ली
15. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (एन.एस.सी.), नई दिल्ली
16. इंटरनेशनल कोआपरेटिव एलाईंस (आई.सी.ए.), एशिया पैसिफिक, नई दिल्ली
17. बायर बायोसाइंस प्रा. लि.
18. क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लि.
19. मित्सुबिशी कॉर्प. इंडिया प्रा. लि., नई दिल्ली
20. बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया (बीसा)
21. भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राईफेड), नई दिल्ली
22. इमरजेंट वेंचर्स ऑफ इंडिया प्रा. लि., गुड़गाँव
23. कार्बन चेक (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
24. इकोलेंस प्रा. लि., थाणे (महाराष्ट्र)
25. वेरा, वाशिंगटन, डी.सी., यू.एस.ए.

अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय

1. वन अनुसंधान संस्थान (एफ.आर.आई.), देहरादून, उत्तराखण्ड
2. उष्णकटिबन्धीय वन अनुसंधान संस्थान (टी.एफ.आर. आई.), जबलपुर, मध्य प्रदेश
3. शुष्क वन अनुसंधान संस्थान (आफरी), जोधपुर, राजस्थान
4. केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (काजरी), जोधपुर, राजस्थान
5. राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, (एन.आर.सी.एस.), इंदौर, मध्य प्रदेश
6. राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केन्द्र (एन.आर.सी.ए. एफ.), झांसी, उत्तर प्रदेश
7. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि एवं वानिकी अनुसंधान केन्द्र (आई.सी. आर.ए.एफ.), नई दिल्ली
8. राज्य कृषि विश्वविद्यालय एवं आई.सी.ए.आर. संस्थान
9. सरसों अनुसंधान निदेशालय, भरतपुर, राजस्थान
10. भारतीय गेंहूँ एवं जौ अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा
11. महाराणा प्रताप कृषि एवम् प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एम.पी.यू.ए.टी.), उदयपुर, राजस्थान
12. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक)
13. सी.सी.एस. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

लेखापरीक्षक एवं बैंकर

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स धवन एंड कंपनी

चार्टड एकाउंटेंट्स

312, वैगमंस हाउस, 21 वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर विकास मार्ग, नई दिल्ली–110092

समवर्ती लेखा परीक्षक

मैसर्स रघु नाथ राय एंड कंपनी

चार्टड एकाउंटेंट्स

9 मथुरा रोड, जंगपुरा बी, नई दिल्ली–110014

We are thankful to:

1. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO).
2. IFFCO Bazar
3. IFFCO-MC
4. Ministry of Cooperation, Govt. of India
5. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Govt. of India
6. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of India
7. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD).
8. National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi.
9. Indian Council of Agricultural Research (ICAR), New Delhi.
10. National Cooperative Union of India (NCUI), New Delhi
11. Cooperative Rural Development Trust (CORDET), Phulpur, Allahabad (UP).
12. Govt. of Uttarakhand
13. Japan International Cooperation Agency (JICA)
14. National Seed Association of India (NSAI), New Delhi.
15. National Seed Corporation Ltd. (NSC), New Delhi.
16. International Cooperative Alliance (ICA), Asia Pacific, New Delhi.
17. Bayer Bioscience Private Ltd.
18. Crystal Crop Protection Ltd.
19. Mitsubishi Corp. India Pvt. Ltd., New Delhi
20. Borlaug Institute for South Asia (BISA)
21. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India (TRIFED), New Delhi
22. Emergent Ventures of India Pvt. Ltd., Gurgaon
23. Carbon Check (India) Pvt. Ltd.
24. Ecolance Pvt. Ltd., Thane (Maharashtra)
25. VERRA, Washington, DC, USA.

Research Institutes/Universities

1. Forest Research Institute (FRI), Dehradun, Uttarakhand
2. Tropical Forest Research Institute (TFRI), Jabalpur, Madhya Pradesh
3. Arid Forest Research Institute (AFRI), Jodhpur, Rajasthan
4. Central Arid Zone Research Institute (CAZRI), Jodhpur, Rajasthan
5. National Research Center for Soyabean, (NRCS), Indore (Madhya Pradesh)
6. National Research Center for Agro-Forestry, (NRCAF), Jhansi (Uttar Pradesh)
7. International Centre for Research on Agriculture and Forestry. (ICRAF), New Delhi
8. State Agriculture Universities and ICAR Institutes.
9. Directorate of Rapeseed Mustard Research, Bharatpur (Rajasthan)
10. Indian Institute of Wheat & Barley Research, Karnal (Haryana)
11. Maharana Pratap University of Agriculture and Technology (MPUAT), Udaipur (Rajasthan)
12. University of Agriculture Sciences, Dharwad (Karnataka)
13. CCS, Haryana Agriculture University, Hisar

AUDITORS & BANKERS

STATUTORY AUDITORS

M/s DHAWAN & CO.

Chartered Accountants
312, Wegmans House, 21 Veer Savarkar Block, Shakarpur Vikas Marg, New Delhi-110092

CONCURRENT AUDITORS

M/s RAGHU NATH RAI & CO.

Chartered Accountants
9 Mathura Road, Jungpura B,
New Delhi-110014

kotak Kotak Mahindra Bank · YES BANK · HDFC BANK · IndusInd Bank · AXIS BANK

IFFDC is addressing

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 NO POVERTY
Agro-forestry Development and Carbon Credit Generation, Agro-Horticulture Development, Microenterprises Development etc.

2 ZERO HUNGER
Promotion of Agro Horticulture, Introduction of High Yielding Crop Varieties,Kitchen Garden Development and Vegetable Cultivation etc.

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
Health Check-up Camps, Veterinary Camps, Fruit Species Cultivation, Promotion of Vegetable Cultivation etc.

4 QUALITY EDUCATION
Skill Development for Income Generating Activities and Microenterprises Development, Exposure Visits, Organising Workshop and Seminars etc.

5 GENDER EQUALITY
Promotion & Nurturing of Women Self Help Groups, Preference to Women in Forestry Cooperative Membership and Reservation for Women on IFFDC Board etc.

6 CLEAN WATER AND SANITATION
Setting up Water Filter Units, Handpumps, Construction of Toilets & Bathrooms, Setting up Dustbins in Project Villages etc.

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
Setting up Solar Based Water Filter Units, Solar Home-lights, Solar Street Lights and LED Bulbs in Project Villages. Setting up Solar Panels on SPUs for Solar Power Generation etc.

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
Promotion of Farmers Producer Organisations for Crop Produce Aggregation, Processing and Marketing. Self owned Micro-enterprises Development for unemployed youth etc.

10 REDUCED INEQUALITIES
Equal wages to men and women in forestry work. Reservation for women, SC/ST community members in forestry cooperatives and on IFFDC Board etc.

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
Quality Seed Production, Promotion of Organic Farming, Climate Resilience Crop and Varieties. Promotion of Nano Fertilisers, Bio Fertilisers use in crop cultivation etc.

13 CLIMATE ACTION
Forestry Development on wasteland, Agro-forestry, Agro-horticulture on arable land, Integrated Watershed Development and Climate Change Proofing etc.

15 LIFE ON LAND
Conservation of Biodiversity due to development of multi-purpose forests on wastelands. Developed Bird Sanctuary in Waterlogged Area.

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड के शेयरधारकों को

1. राय

हमने इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड (एक बहुराज्य सहकारी समिति) ('समिति') के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2026 तक का तुलन–पत्र तथा उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ–हानि लेखा, नकदी प्रवाह का विवरण, वित्तीय विवरणों के टिप्पण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचनायें दी गई हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ये संलग्न वित्तीय विवरण बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2023 ('अधिनियम') के माध्यम से संशोधित बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 ('अधिनियम') तथा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण मानकों में यथा अपेक्षित सूचनायें प्रदान करते हैं और भारत में आमतौर पर अपनाये जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निम्नलिखित के संबंध में सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं।

(क) 31 मार्च, 2026 की वस्तुस्थिति के अनुसार समिति के कार्यकलापों को दर्शाने वाला तुलन–पत्र;

(ख) लाभ–हानि के विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समिति का लाभ; तथा

(ग) नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समिति का नकदी प्रवाह।

2. हमारी राय का आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों के बारे में हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के मामले में लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियों के तहत विस्तार से बताया गया है। हम आईएसीआई द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसरण में तथा उन नैतिक अपेक्षाओं जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत् वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करने के लिये प्रासंगिक है, के अनुसार समिति की लेखापरीक्षा करने के लिये स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं तथा हमने इन नैतिक अपेक्षाओं व आचार संहिता के अनुरूप अपनी नैतिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के प्रति हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में समुचित और पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं।

3. वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन व प्रबंधन के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों की जिम्मेदारी

इंस्टीटयूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों सहित आमतौर पर भारत में स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों तथा बहुराज्य सहकारी सोसायटीज अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है, जो समिति की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और नकदी प्रवाह का उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लेखांकन रिकॉर्ड का पर्याप्त अनुरक्षण करना भी शामिल है ताकि समिति की परिसंपत्तियों की रक्षा की जा सके और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोका जा सके और उनका पता लगाया जा सके; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन व उनका प्रयोग किया जा सके, सही व विवेकपूर्ण निर्णय लिया जा सके और अनुमान लगाया जा सके; इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण का निर्धारण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जिससे वित्तीय विवरणों को सही और उचित तरीके से तैयार किया जा सके जो किसी बड़ी गलतबयानी चाहे वह कपट अथवा गलती से हो, मुक्त हो।

Independent Auditors' Report

To the Shareholders of Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited

1. Opinion

We have audited the accompanying financial statements of Indian Farm Forestry Development Cooperative Limited (a Multi-State Cooperative Society) ('Society'), which comprise of the Balance Sheet as at March 31, 2026, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to explanations given to us, the accompanying financial statements give the information required by the Multi-State Cooperative Societies Act, 2002, as amended by MSCS (Amendment) Act, 2023, ('the Act') and the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India, in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

(a) in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at March 31, 2026;

(b) in the case of the Statement of Profit and Loss, of its profit for the year ended on that date; and

(c) in the case of the Cash Flow Statement, of its cash flows for the year ended on that date.

2. Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Society in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

3. Responsibility of Management and those charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Society in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI and the provisions of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Society and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that are operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud and error.

वित्तीय विवरण तैयार करते समय प्रबंधन लाभकारी संस्था के तौर पर कार्य करने संबंधी समिति की योग्यता का मूल्यांकन करने, जहां कहीं भी आवश्यक हो, समिति की कार्यकुशलता से संबंधित मामलों के बारे में जानकारी देने और लाभकारी संस्था के आधार पर लेखाकरण करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधन का समिति का परिसमापन करने या प्रचालनों को रोकने का कोई इरादा नहीं है अथवा समिति के पास समिति को प्रभावशाली संस्था के तौर पर चलाने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प न रहे।

प्रबंधन के लिए जिम्मेदार अधिकारी समिति की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

4. वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के सम्बंध में लेखापरिक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बात को लेकर उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि पूरे वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई बड़ी गलत जानकारी नही दी गई है, तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारे विचार भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च आश्वासन है परन्तु इस बात कि गारंटी नही हैं की एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी बड़ी गलत जानकारी का पता लगा लेगी। गलत जानकारियां धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकती है और यदि इस गलत जानकारी को एकल या पूर्णतः गलत माना जाता है तो ये इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ताओं द्वारा लिये गये आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

एसएएस के अनुसार कराये जाने वाले लेखापरीक्षा के तहत, हम पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायकि निर्णय देते है और पूरे लेखापरीक्षा कार्य के दौरान पेशेवर संदेह बनाये रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं–

(क) धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में दी गई बड़ी गलत जानकारी के जोखिम को पहचानना और मूल्यांकन करना, इन जोखिमों के लिये उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन करना व लेखापरीक्षा करना और उसका सबूत प्राप्त करना जो हमारे विचारों के लिये पर्याप्त व उचित आधार है। धोखाधड़ी के कारण दी गई बड़ी गलत जानकारी का पता न लगने से होने वाला जोखिम त्रुटि के कारण होने वाले जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गांठ, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, मिथ्या जानकारी, या आंतरिक नियंन्त्रण की अनदेखी शामिल हैं।

(ख) लेखा परीक्षा के संबंध में नियंत्रण के बारे में जानना ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो विद्यमान परिस्थितियों में उपयुक्त हों परन्तु उनका उद्देश्य समिति के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता के बारे में विचार व्यक्त करना नहीं है।

(ग) अपनाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा लेखा अनुमानों और प्रबंधन द्वारा दी गई इससे सम्बंधित जानकारी का मूल्यांकन करना।

(घ) प्राप्त लेखापरीक्षा सबूत जिससे किसी घटना या परिस्थिति से सम्बंधित किसी बड़ी अनिश्चितता का पता लगे जिससे समिति की भविष्य में लाभकारी संस्था के रुप में कार्य करने की क्षमता पर संदेह पैदा हो, के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि प्रबंधन भविष्य में भी प्रभावशाली रुप से कार्य करने के लिये उपयुक्त है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते है कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमारे लिये लेखारीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में सम्बंधित जानकारी की तरफ ध्यान दिलाना आवश्यक है या यह निष्कर्ष निकालते है कि ये जानकारियां हमारा विचार बदलने के लिये अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त सबूत पर आधारित है। तथापि, यह हो सकता है कि भविष्य में होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के कारण समिति प्रभावशाली रुप से कार्य करने वाली संस्था न रहें।

In preparing the financial statements, Management is responsible for assessing the society's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Society or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are also responsible for overseeing the Society's financial reporting process.

4. Auditors' Responsibilities for the Audit of Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

(a) Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal controls.

(b) Obtain an understanding of internal controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purposes of expressing an opinion on the effectiveness of Society's internal control.

(c) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management.

(d) Conclude on the appropriateness of Management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the society's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our Auditors' Report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our Auditors' Report. However, future events or conditions may cause the society to cease to continue as a going concern.

(ड़) वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, ढ़ांचे और विषयवस्तु तथा जानकारियों का मूल्यांकन करना और यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण लेनदेन तथा घटनाओं के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत की गई है या नहीं।

हम प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों से अन्य मामलों के साथ–साथ सुनियोजित स्कोप, लेखापरीक्षा के समय व लेखापरीक्षा से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें आंतरिक नियंत्रण महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जो लेखापरीक्षा के समय सामने आती हैं, के बारे में बात करते हैं।

हम प्रबंधन के जिम्मेदार लोगों को ये बताते हैं कि हमने स्वतंत्र रूप से, संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है और हम सभी संबंधों व अन्य मामलों पर स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं तथा जहां कहीं भी लागू हो, सुरक्षा की दृष्टि से उनसे बातचीत करते हैं।

5. अन्य विधिक व विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार हम रिपोर्ट देते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण जो हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक थे, प्राप्त कर लिए है;

(ख) हमारी विचार से, समिति ने बहु राज्य सहकारी सोसायटी नियमावली, 2002 संशोधित बहु राज्य सहकारी सोसायटी 2023 (संशोधित) के अनुसार यथावश्यक लेखा पुस्ताकें समुचित रूप से रखी हैं, जैसा कि हमारे द्वारा की गई पुस्तकों की जांच से प्रतीत होता है;

(ग) इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन–पत्र, लाभ–हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा पुस्तकों से मेल खाते है।

(e) Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

5. Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required under the Act, we report that:

(a) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

(b) In our opinion, proper books of accounts as specified in the Multi State Cooperative Societies Act, 2002, as amended by MSCS (Amendment) Act, 2023, have been kept by the Society, so far as appears from our examination of those books;

(c) The Balance Sheet, Statement of Profit and Loss and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

कृते धवन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 002864एन
For Dhawan & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002864N

(अनुष्क कपूर)
साझेदार
(Anushk Kapoor)
PARTNER
M.No. 543825

UDIN : 26543825TDXZXM2802

Place : New Delhi
Date : 26.05.2026

मार्च 31, 2026 का तुलन–पत्र
Balance Sheet as at 31 March, 2026

(₹ in Lakhs)

		टिप्पण संख्या/Note No.	As at 31.03.2026	As at 31.03.2025
(I) इक्विटी तथा देयताएं	**(I) EQUITY AND LIABILITIES**			
(1) शेयरधारकों की निधियां	**(1) Shareholder's Funds**			
(अ) शेयर पूंजी	(a) Share capital	1	1,337.00	1,337.00
(ब) आरक्षित एवं अधिशेष	(b) Reserves and surplus	2	9,528.25	8,062.25
(2) गैर–चालू देयताएं	**(2) Non-current Liabilities**			
(अ) दीर्घावधिक ऋण	(a) Long-term borrowings	3	49.66	110.71
(ब) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	(b) Deferred tax liabilities (Net)	4	7.44	41.03
(स) दीर्घावधिक प्रावधान	(c) Long-term provisions	5	122.69	111.11
(3) चालू देयताएं	**(3) Current Liabilities**			
(अ) भुगतान योग्य व्यापार राशियाँ	(a) Trade payables	6		
(I) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का कुल बकाया	(i) Total outstanding dues of micro, small and medium enterprises		474.88	43.60
(ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro, small and medium enterprises		10,999.09	10,947.09
(ब) अन्य चालू देयताएं	(b) Other current liabilities	7	10,134.98	8,890.74
(स) अल्पावधिक प्रावधान	(c) Short-term provisions	8	311.98	304.49
योग	**Total**		**32,965.97**	**29,848.02**
(II) परिसम्पत्तियां	**(II) ASSETS**			
(1) गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**(1) Non-current Assets**			
(अ) सम्पत्ति, संयंत्र, उपकरण और अमूर्त संपत्ति	(a) Property, Plant and Equipment and Intangible Assets	9		
(I) संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	(i) Property, Plant and Equipment		2,132.60	2,167.61
(ii) पूँजीगत चालू निर्माण कार्य	(ii) Capital work-in-progress		13.00	-
(ब) गैर–चालू निवेश	(b) Non current investment	10	414.51	414.51
(स) दीर्घावधिक ऋण व अग्रिम	(c) Long-term loans and advances	11	22.53	16.47
(द) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ	(d) Other non-current assets	12	4,152.00	2,152.00
(2) चालू परिसम्पत्तियां	**(2) Current Assets**			
(अ) मालसूचियां	(a) Inventories	13	1,116.88	706.37
(ब) प्राप्त होने वाली व्यापार राशियाँ	(b) Trade receivables	14	14,174.83	12,448.33
(स) नकदी तथा बैंकों में शेष	(c) Cash and bank balances	15	8,735.99	10,347.12
(द) अल्पावधिक ऋण व अग्रिम	(d) Short-term loans and advances	16	2,203.63	1,595.61
योग	**Total**		**32,965.97**	**29,848.02**

महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखाओं के लिये टिप्पणियाँ: 28
उक्त उल्लेखित टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का ही एक अभिन्न भाग है।
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts:
The notes referred to above form an integral part of the Financial Statements.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते धवन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 002864एन
For Dhawan & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002864N

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सी.ए. अनुष्क कपूर)
साझेदार
(CA Anushk Kapoor)
(Partner)
M.No. 543825

(सुकांत शर्मा)
मुख्य प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Chief Manager (F&A)

(माधवी एम. विप्रदास)
प्रबंध निदेशक
(Madhavi M. Vipradas)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 26.05.2026

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण
Statement of Profit & Loss for the year ended 31 March, 2026

(₹ in Lakhs)

		टिप्पण संख्या/ Note No.	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
I. राजस्वः	**I. INCOME:**			
प्रचालन से राजस्व	Revenue from operations	17	2,86,328.27	2,95,623.32
सामाजिक एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं में भागीदारी	Contribution towards social & rural development programmes	18	1,551.22	1,038.83
अन्य आय	Other income	19	923.79	826.34
II. कुल राजस्व	**II. Total Income**		**2,88,803.28**	**2,97,488.49**
III. व्ययः	**III. EXPENSES:**			
(क) खपत की गई कच्चे माल की लागत	(a) Cost of raw material consumed	20	12,919.09	12,078.48
(ख) स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	(b) Purchases of stock-in-trade	21	2,68,131.96	2,78,184.02
(ग) स्टॉक–इन–ट्रेड की मालसूची में परिवर्तन एवं तैयार माल की मालसूची	(c) Changes in inventories of stock-in-trade and finished goods	22	(333.09)	119.81
(घ) सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम व्यय	(d) Social & rural development prog. expenses	23	1,585.11	1,316.18
(ङ) कर्मचारी लाभ व्यय	(e) Employee benefits expenses	24	561.11	559.57
(च) वित्तीय लागत	(f) Finance costs	25	192.69	187.69
(छ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	(g) Depreciation and amortization expenses	26	118.75	114.10
(ज) अन्य व्यय	(h) Other expenses	27	3,516.35	3,174.17
कुल व्यय	**Total Expenses**		**2,86,691.97**	**2,95,734.02**
IV. कर पूर्व लाभ	**IV. PROFIT BEFORE TAX**	**(II - III)**	**2,111.31**	**1,754.47**
V. कर व्यय	**V. Tax Expense:**			
(क) चालू कर	(a) Current Tax		580.60	490.76
(ख) गत वर्षों से संबंधित कर का अधिक/कम प्रावधान	(b) Excess/Short provision of tax relating to earlier years		0.17	(7.20)
(ग) आस्थिगत कर प्रभार/(लाभ)	(c) Deferred tax charge/(benefit)		(33.59)	(28.59)
			547.18	**454.97**
VI. कर पश्चात् लाभ	**VI. PROFIT AFTER TAX**	**(IV-V)**	**1,564.13**	**1,299.50**
VII. को अंतरित लाभ	**VII. Profit transferred to:**			
– लाभांश समानीकरण निधि	- Dividend Equalisation Fund		-	-
VIII. बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अनुसार निवल लाभ	**VIII. Net Profit as per Multi State Cooperative Societies Act, 2002**		**1,564.13**	**1,299.50**
IX. मूल तथा तनुकृत आय प्रति शेयर (ईपीएस) (रुपये में)	**IX. Basic & Diluted Earning Per Share (EPS) (in Rs.)**			
– ₹ 1000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर	- Equity Shares of Face Value ₹ 1000/- each		1,169.88	971.95
– ₹ 10000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर	- Equity Shares of Face Value ₹ 10,000/- each		11,698.81	9,719.51
– ₹ 50000/– अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर	- Equity Shares of Face Value ₹ 50,000/- each		58,494.07	48,597.57
लेखाओं के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा टिप्पणियाँ	Significant Accounting Policies and Notes to Accounts.	28		

लेखाओं के लिये महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां तथा टिप्पणियाँ उपरोक्त उल्लेखित टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का ही एक अभिन्न भाग हैं।
Significant Accounting Policies and Notes referred to above form an integral part of the Financial Statements.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते धवन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 002864एन
For Dhawan & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002864N

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सी.ए. अनुष्क कपूर)
साझेदार
(CA Anushk Kapoor)
(Partner)
M.No. 543825

(सुकांत शर्मा)
मुख्य प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Chief Manager (F&A)

(माधवी एम. विप्रदास)
प्रबंध निदेशक
(Madhavi M. Vipradas)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 26.05.2026

31 मार्च, 2026 की अवधि हेतु वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियाँ
Notes forming part of the Financial Statements for the Period 31 March, 2026

टिप्पण – 1 **NOTE - 1**

(₹ in Lakhs)

1. शेयर पूंजी	Share Capital	As at 31 March 2026		As at 31 March 2025	
		Number of Shares	Amount	Number of Shares	Amount
प्राधिकृतः	**Authorised**				
₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each	14,000	7,000.00	14,000	7,000.00
₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each	10,000	10,000	10,000	1,000.00
₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 1000/- each	2,00,000	2,000.00	2,00,000	2,000.00
योग	**Total**	**2,24,000**	**10,000.00**	**2,24,000**	**10,000.00**
जारी	**Issued**				
₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each	2,515	1,257.50	2,515	1,257.50
₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each	2	0.20	2	0.20
₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 1000/- each	7,930	79.30	7,930	79.30
योग	**Total**	**10,447**	**1,337.00**	**10,447**	**1,337.00**
अभिदत्त तथा प्रदत्तः	**Subscribed & Paid up**				
₹50000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each fully paid	2,515	1,257.50	2,515	1,257.50
₹10000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each fully paid	2	0.20	2	0.20
₹1000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 1000/- each fully paid	7,930	79.30	7,930	79.30
योग	**Total**	**10,447**	**1,337.00**	**10,447**	**1,337.00**

अ. बकाया शेयरों की संख्या एवं शेयर राशि का मिलान इस प्रकार निर्धारित किया गया हैः	**a. Reconciliation of number of shares outstanding and amount of share capital is set out as follows:**	As at 31 March, 2026		As at 31 March, 2025	
		Number of Shares	Amount	Number of Shares	Amount
शेयरों का मिलानः	**Share Reconciliation:**				
₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**Equity Shares of ₹ 50000/- each**				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	Shares Outstanding at the beginning of the year	2,515	1,257.50	2,515	1,257.50
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	Add: Shares issued during the year	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर	Less: Shares redeemed during the year	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया शेयर	**Shares Outstanding at the end of the year**	**2,515**	**1,257.50**	**2,515**	**1,257.50**
₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**Equity Shares of ₹ 10,000/- each**				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	Shares Outstanding at the beginning of the year	2	0.20	2	0.20
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	Add: Shares issued during the year	-	-	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर	Less: Shares redeemed during the year	-	-	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया शेयर	**Shares Outstanding at the end of the year**	**2**	**0.20**	**2**	**0.20**
₹1000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	**Equity Shares of ₹ 1,000/- each**				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	Shares Outstanding at the beginning of the year	7,930	79.30	7,935	79.35
जोडें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	Add: Shares issued during the year	-	-	1	0.01
घटाएं: वर्ष के दौरान उन्मोचित शेयर	Less: Shares redeemed during the year	-	-	(6)	(0.06)
वर्ष के अन्त में बकाया शेयर	**Shares Outstanding at the end of the year**	**7,930**	**79.30**	**7,930**	**79.30**

ब. प्रत्येक श्रेणी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयर का विवरणः	**b. Details of share holding more than 5% of equity shares in each category:**	As at 31 March, 2026		As at 31 March, 2025	
शेयरधारियों का 5% शेयरों से अधिक नियन्त्रण	**Shareholder(s) holding more than 5% shares**	No. of Shares held	% of Holding	No. of Shares held	% of Holding
कुल देय ₹50000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 50000/- each fully paid				
– इफको	- Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd.	2,507	99.68	2,507	99.68
कुल देय ₹10000 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	Equity Shares of ₹ 10000/- each fully paid				
– यू.पी. सहकारी ग्राम विकास बैंक लि.	- UP Sehakari Gram Vikas Bank Ltd.	1	50.00	1	50.00
– एम.पी. राज्य सहकारी विपणन संघ लि.	- MP State Coop. Mktg. Fed. Ltd.	1	50.00	1	50.00
कुल देय ₹1000 प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर	Equity shares of ₹ 1,000 each fully paid				
– पी.एफ.एफ.सी.एस. हरखूमऊ	- PFFCS Harkhumau	550	6.94	550	6.94
– पी.एफ.एफ.सी.एस. मलिकमऊ	- PFFCS Malikmau	400	5.04	400	5.04

स. बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 एवं समिति के उपनियम के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक सदस्य के पास एक ही मतदान का अधिकार होता है, धारित शेयर पूंजी की संख्या/मूल्य चाहे कुछ भी हो। इक्विटी शेयर धारक उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में समय–समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं। सदस्य को वोटिंग का अधिकार केवल कम से कम एक पूर्ण प्रदत्त शेयर प्राप्त करने पर होगा।

c. As per provision of the Multi-State Co-operative Societies Act 2002 and Bye-Laws of the Society, every member has a single voting right irrespective of the number/value of share capital held. The holders of the equity shares are entitled to receive dividends as declared from time to time in proportion to their shareholding. Member will have the voting right only on acquiring at least one fully paid up share.

टिप्पणी – 2 NOTE - 2

(₹ in Lakhs)

आरक्षित एवं अधिशेष निधियां	Reserves and Surplus	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
अ. आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(अ) के अनुसार)	**a. Reserve Fund (As per Section 63(1)(a) of MSCSA 2002)**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	2,003.09	1,678.22
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	391.03	324.87
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**2,394.12**	**2,003.09**
ब. दान के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(स) के अनुसार)	**b. Reserve fund for Contingency (As per Section 63(1)(c) of MSCSA 2002)**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	583.79	453.84
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	156.41	129.95
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**740.20**	**583.79**
स. प्रासंगिकताओं के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(2)(स) के अनुसार)	**c. Reserve for Donation (As per Section 63(2)(c) of MSCSA 2002)**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	75.00	55.00
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	20.00	20.00
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**95.00**	**75.00**
द. लाभांश समानीकरण निधि	**d. Dividend Equalisation Fund**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	550.00	550.00
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	-	-
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**550.00**	**550.00**
इ. सामान्य आरक्षित निधि	**e. General Reserve**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	4,783.52	4,051.67
जोडें: वर्ष के दौरान जमाएं	Add : Addition during the year	898.56	731.85
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग/अंतरित	Less : Utilised / transferred during the year	-	-
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**5,682.08**	**4,783.52**
य. प्रतिधारित आय (लाभांश के लिए प्रतिधारित आय)	**f. Retained Earnings (Retained earning for Dividend)**		
वर्ष के आरंभ में शेष	Balance as at the beginning of the year	66.85	66.85
जोडें: वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ/(शुद्ध हानि)	Add : Net profit/(Net Loss) for the year	1,564.13	1,299.50
घटाएं: विनियोजन	Less : Appropriation		
– आरक्षित निधि 25%(बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के खण्ड 63(1)(अ) के अनुसार)	- Reserve fund 25% (As per Section 63(1)(a) of MSCSA 2002)	391.03	324.87
– सहकारी शिक्षा कोष में योगदान के लिए प्रावधान 1%(बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(ब) के अनुसार)	- Provision for Contribution to Cooperative Education Fund 1% (As per Section 63(1)(b) of MSCSA 2002)	15.64	12.99
– प्रासंगिकताओं के लिए आरक्षित निधि 10%(बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(1)(स) के अनुसार)	- Reserve fund for Contingency 10% (As per Section 63(1)(c) of MSCSA 2002)	156.41	129.95
– सी.आर.आर.डी. फण्ड के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63 ए(1) के अनुसार)	- Reserve fund for CRRD Fund (As per Section 63A(1) of MSCSA 2002)	15.64	12.99
– दान के लिए आरक्षित निधि (बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 के खंड 63(2)(स) के अनुसार)	- Reserve fund for Donation (As per Section 63(2)(c) of MSCSA 2002)	20.00	20.00
– लाभांश का भुगतान	- Dividend Payment	66.85	66.85
– सामान्य आरक्षित निधि का अंतरण	- Transfer to General Reserve	898.56	731.85
वर्ष के अन्त में बकाया	**Balance as at the end of the year**	**66.85**	**66.85**
योग	**Total**	**9,528.25**	**8,062.25**

टिप्पणी – 3 NOTE - 3

दीर्घावधिक ऋण	Long Term Borrowings	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
रक्षित – आवधिक ऋण	**Secured- Term Loan**		
अन्य से	**Form Others**		
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम*	- National Cooperative Development Corporation*	110.71	190.64
घटाएं: आवधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (संदर्भ टिप्पण 7)	Less: Current Maturity of Term Loan (Ref. Note No. 7)	(61.05)	(79.93)
योग	**Total**	**49.66**	**110.71**

The Loan is secured against Land, Building and Plant & Machinary.

* Term of Repayment - Repayable in two yearly installment on each part of loan and shall be fully repaid by 2032. The interest rate vary from @10.30% to 11.90%.

टिप्पण – 4 | NOTE - 4

(₹ in Lakhs)

आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयताएं) | Deferred Tax Asset / (Liabilities)

विवरण	Particulars	As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
आस्थगित कर परिसंपत्ति	**Deferred Tax Asset**		
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयताओं) का ब्यौरा निम्नानुसार है:	The breakup of net Deferred Tax Asset/ (Liabilities) is as under:		
कर्मचारी लाभ – प्रावधान	Employee Benefits - Provision	38.69	33.85
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts	157.29	119.53
		195.98	**153.38**
विलंबित कर देयता	**Deferred Tax Liability**		
समय अंतर – मूल्यह्रास	Timing Difference - Depreciation	(203.42)	(194.41)
योग	**Total**	**(7.44)**	**(41.03)**

In accordance with Accounting Standard-22 "Accounting for Taxes on Income", the net decrease in deferred Tax Liabilities of ₹ 33.59 Lakhs (PY ₹ 28.59 Lakh), for the year, has been credit to the Statement of Profit & Loss.

टिप्पण – 5 | NOTE - 5

दीर्घावधिक प्रावधान	Long Term Provisions	As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
कर्मचारियों के लाभों के लिए प्रावधान	**Provision for Employee benefits**		
– अनुपस्थिति नकदीकरण	- Leave Encashment	122.69	111.11
योग	**Total**	**122.69**	**111.11**

टिप्पण – 6 | NOTE - 6

भुगतान योग्य व्यापार राशियाँ	Trade Payable	As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
आरक्षित लेनदार	**Unsecured Creditors**		
(अ) बकाया लघु एवं सूक्ष्म उद्यम	(a) Outstanding due to Micro and Small Enterprises	474.88	43.60
(ब) बकाया अन्य	(b) Outstanding to Others	10,999.09	10,947.09
योग	**Total**	**11,473.97**	**10,990.69**

(Refer Note No. 27(B) ix related to disclosure under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006)

टिप्पण – 7 | NOTE -7

अन्य चालू देयताएं	Other Current Liabilities	As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
सावधिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता अवधि (संदर्भ टिप्पण 3)	Current Maturity of Term Loan (Ref. Note No. 3)	61.05	79.93
सांविधिक देयताएं	Statutory Dues Payable	90.77	128.37
व्ययों पर देयताएं	Expenses Payable	505.16	436.04
अदत्त लाभांश*	Unpaid Dividend*	0.30	0.30
ग्राहकों से अग्रिम	Advance from Customer	2,506.95	1,892.52
धरोहर राशि/जमानत राशि	Earnest Money / Security Deposit	6,970.75	6,301.36
अनुपयोगी परियोजना योगदान/अनुदान	Unutilised Project Contribution / Grant	-	52.22
योग	**Total**	**10,134.98**	**8,890.74**

* Unpaid Dividend represents the amounts against which cheque have been issued to the investors/share holders but not yet cleared.

टिप्पण – 8 | NOTE - 8

अल्पावधिक प्रावधान	Short Term Provisions	As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
कर्मचारियों के हितों के लिए प्रावधान	**Provision for Employee benefits**		
अवकाश नकदीकरण	Leave Encashment	31.02	23.36
अन्य प्रावधान	**Other provision**		
सहकारी शिक्षा निधि के लिए प्रावधान	Provision for Cooperative Education Fund	15.65	12.99
सी.आर.आर.डी. निधि के लिए प्रावधान	Provision for CRRD Fund	15.65	12.99
आयकर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर निवल/टी.डी.एस.)	Provision for Income Tax (net of Advance tax/TDS)	249.66	255.15
योग	**Total**	**311.98**	**304.49**

टिप्पण – 11 | NOTE - 11

दीर्घावधिक ऋण एवं अग्रिम	Long-Term Loans & Advances	As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
अरक्षित, सुविचारित सामान, जब तक अन्यथा नहीं कहा गया	**Unsecured, Considered Goods, unless otherwise stated**		
सुरक्षा जमा राशि	Security Deposits	22.53	14.75
समितियों के साथ चक्रीय निधि	Revolving Fund with Societies	-	1.72
योग	**Total**	**22.53**	**16.47**

टिप्पण – 12 NOTE - 12

(₹ in Lakhs)

अन्य गैर–चालू परिसम्पत्ति	Other Non-Current Assets	As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
अरक्षित, सुविचारित सामान, जब तक अन्यथा नहीं कहा गया	**Unsecured, Considered Goods, unless otherwise stated**		
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली सावधि जमायें	Fixed Deposits with more than 12 months maturity	4,152.00	2,152.00
योग	**Total**	**4152.00**	**2,152.00**

टिप्पण – 13 NOTE - 13

मालसूचियाँ* (लागत या शुद्ध प्राप्य मूल्य, जो भी कम हो)	**Inventories*** (Valued at cost or Net Realisable Value, whichever is lower)	As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
पैकिंग सामग्री	Packing Material	258.56	184.44
रसायन	Chemical	25.38	22.07
तैयार माल की मालसूची	Finished Goods	295.00	107.01
स्टॉक–इन–ट्रेड	Stock-In-Trade	537.94	392.85
योग	**Total**	**1,116.88**	**706.37**

* As taken, valued and certified by the Management.

टिप्पण – 14 NOTE - 14

प्राप्त होने वाली व्यापार राशियाँ	Trade Receivables	As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
प्राप्ति की तिथि से छः महीने से कम अवधि के लिए बकाया	**Outstanding for a period less than six months from the date they are due for receipt**		
अरक्षित, विचारणीय माल	Unsecured, Considered Goods	13,025.90	11,349.25
प्राप्ति की तिथि से छः महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया	**Outstanding for a period more than six months from the date they are due for receipt**		
अरक्षित, विचारणीय माल	Unsecured, Considered Goods	1,148.93	1,099.08
अरक्षित, विचारणीय संदिग्ध	Unsecured, Considered Doubtful	577.60	427.59
घटायें: संदिग्ध व्यापार प्राप्ति के लिए प्रावधान	Less: Provision for Doubtful Trade Receivable	(577.60)	(427.59)
योग	**Total**	**14,174.83**	**12,448.33**

टिप्पण – 15 NOTE - 15

नकद एवं बैंकों में शेष	Cash and Bank Balances	As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
पास में नकदी	Cash on hand	3.53	1.62
बैंकों के साथ शेष	Balances with Banks		
– चालू खाते में शेष	- On current accounts	1,480.45	769.50
सावधि जमा	Fixed Deposits		
– तीन माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशि	- Deposits with original maturity of less than three months	1,100.00	1,400.00
अन्य बैंक शेष	**Other bank balances**		
– रिपोर्टिंग तिथि से तीन महीने से अधिक लेकिन 12 माह से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियाँ	- Deposits with original maturity for more than three months but less than 12 months from reporting date	6,152.01	8,176.00
योग	**Total**	**8,735.99**	**10,347.12**

टिप्पण – 16 NOTE - 16

अल्पावधिक ऋण एवं अग्रिम	Short-Term Loans and Advances		As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
असुरक्षित, सुविचारित सामान	**Unsecured, Considered Goods**			
ब्याज अर्जित किया गया लेकिन सावधि जमा पर देय नही	Interest accrued but not due on Fixed Deposits		401.03	221.22
पूर्व प्रदत्त व्यय	Prepaid Expenses		117.17	78.26
दावा/अन्य वसूली योग्य	Claim/Other Recoverable	166.08		
घटायें: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful recoverables	(24.37)	141.71	202.98
अनुदान वसूली योग्य	Grant Recoverable		273.81	147.01
राज्य सरकारों से वसूली योग्य सब्सिडी	Subsidy Recoverable from State Govt.	123.66		
घटायें: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान	Less : Provision for Doubtful recoverables	(18.91)	104.75	89.27
आपूर्तिकर्ता/किसानों/समितियों को अग्रिम	Advance to Suppliers/Farmers/Societies		989.50	637.39
आयकर वापसी योग्य	Income Tax Refundable		46.49	46.49
जी.एस.टी. वसूली योग्य	GST Recoverable		117.16	153.97
कर्मचारियों के लिए अग्रिम	Advance to Employees		0.90	0.33
अन्य अग्रिम	Other Advances		11.11	18.69
योग	**Total**		**2,203.63**	**1,595.61**

टिप्पण – 9: सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण
Note - 9 : Property, Plant and Equipments

(₹ in Lakhs)

Particulars विवरण	Freehold Land पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	Factory Building कारखाना भवन	Vehicle वाहन	Office Equipments कार्यालय उपकरण	Furniture & Fixture फर्नीचर एवं फिक्सचर	Computer and Printer कम्प्यूटर एवं प्रिंटर्स	Genset and Air Conditioners जैनसेट एवं वातानुकूल उपकरण	Plant, Machinery & Other Equipments संयंत्र, मशीनरी एवं अन्य उपकरण	Total योग
Gross Block / सकल ब्लॉक									
As at 01.04.2024 / **01.04.2024 तक**	239.75	1,494.88	73.30	53.77	46.69	126.37	17.21	880.92	2,932.89
Additions / परिवर्धन	-	7.15	16.65	5.85	1.07	8.70	1.51	20.75	61.68
Deductions/Adjustments / कटौती / समायोजन	-	-	8.59	2.26	-	2.31	-	4.61	17.77
As at 31.03.2025 / 31.03.2025 तक	**239.75**	**1,502.03**	**81.36**	**57.36**	**47.76**	**132.76**	**18.72**	**897.06**	**2,976.80**
Additions / परिवर्धन	-	8.07	40.90	1.44	1.22	31.20	1.05	5.40	89.28
Deductions/Adjustments / कटौती / समायोजन	-	-	9.01	0.60	-	0.47	-	10.07	20.15
As at 31.03.2026 / 31.03.2026 तक	**239.75**	**1,510.10**	**113.25**	**58.20**	**48.98**	**163.49**	**19.77**	**892.39**	**3,045.93**
Depreciation/Amortisation / मूल्यहास / परिशोधन									
As at 01.04.2024 / 01.04.2024 तक	-	296.65	40.46	31.82	32.79	95.42	9.25	203.35	709.74
Additions / परिवर्धन	-	47.67	8.34	4.67	2.36	13.52	1.16	36.38	114.10
Deductions/Adjustments / कटौती / समायोजन	-	-	8.16	2.12	-	1.89	-	2.48	14.65
As at 31.03.2025 / 31.03.2025 तक	**-**	**344.32**	**40.64**	**34.37**	**35.15**	**107.05**	**10.41**	**237.25**	**809.19**
Additions / परिवर्धन	-	47.24	11.39	4.39	2.63	15.68	1.25	36.17	118.75
Deductions/Adjustments / कटौती / समायोजन	-	-	8.56	0.54	-	0.47	-	5.04	14.61
As at 31.03.2026 / 31.03.2026 तक	**-**	**391.56**	**43.47**	**38.22**	**37.78**	**122.26**	**11.66**	**268.38**	**913.33**
Net Block / सकल ब्लॉक									
As at 31.03.2026 / 31.03.2026 तक	**239.75**	**1,118.54**	**69.78**	**19.98**	**11.20**	**41.23**	**8.11**	**624.01**	**2,132.60**
As at 31.03.2025 / 31.03.2025 तक	**239.75**	**1,157.71**	**40.72**	**22.99**	**12.61**	**25.71**	**8.31**	**659.81**	**2,167.61**

Capital work in Progress पूँजीगत कार्य प्रगति पर	**31 March 2026** 31 मार्च 2026	**31 March 2025** 31 मार्च 2025
Building / भवन		
Opening Balance / प्रारंभिक शेष	-	7.15
Add: Additions during the year / जोड़ें: वर्ष के दौरान वृद्धि	13.00	-
Less: Capitalized during the year / घटायें: वर्ष के दौरान पूँजीकृत	-	7.15
Closing Balance (B)/ समापन राशि	**13.00**	**-**

(₹ in Lakhs)

टिप्पण – 10	NOTE - 10		As at 31 March, 2026		As at 31 March, 2025	
गैर चालू निवेश (लागत पर)	Non Current Investments (At Cost)	Face Value (₹)	No. of Shares	Amount (₹)	No. of Shares	Amount (₹)
(अ) व्यापार निवेश (लागत पर) – अनुद्धृत	(A) Trade Investments (At Cost) - Unquoted					
(i) सहायकों पर निवेश	(i) Investment in Subsidiaries					
(अ) उत्तर प्रदेश राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹ 500 प्रत्येक के 26738 शेयर लिये	(a) 26,738 Equity Shares of ₹ 500/- each fully paid up in PFFCS of U.P. State					
कनकसिंहपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Kanaksinghpur PFFCS District Sultanpur	500	5,448	27.24	5,448	27.24
चन्दौकी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Chandauki PFFCS District Sultanpur	500	1,456	7.28	1,456	7.28
रामसहायपुर हरदोइया पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Ramshahpur Hardoiya PFFCS District Sultanpur	500	1,828	9.14	1,828	9.14
नन्दमहर–भीखीपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Nandmahar-Bhikhipur PFFCS District Sultanpur	500	2,109	10.55	2,109	10.55
कनकूपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Kankupur PFFCS District Sultanpur	500	1,617	8.09	1,617	8.09
रिछौरा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Richhaura PFFCS District Sultanpur	500	1,191	5.96	1,191	5.96
कटारी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Katari PFFCS District Sultanpur	500	1,356	6.78	1,356	6.78
बेला पश्चिम पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Bela Paschim PFFCS District Sultanpur	500	218	1.09	218	1.09
कमालपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Kamalpur PFFCS District Raibarelly	500	1,793	8.97	1,793	8.97
रसूलपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Rasoolpur PFFCS District Raibarelly	500	2,423	12.12	2,423	12.12
हरदोई पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Hardoi PFFCS District Raibarelly	500	1,421	7.11	1,421	7.11
खारा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला रायबरेली	Khara PFFCS District Raibarelly	500	1,741	8.71	1,741	8.71
बेलहा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़	Belha PFFCS District Pratapgarh	500	1,398	6.99	1,398	6.99
केशवपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़	Keshavpur PFFCS District Pratapgarh	500	1,117	5.59	1,117	5.59
सबलगढ़सराई इन्द्रावत पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला प्रतापगढ़	Sabalgarh Sarai Indrawat PFFCS District Pratapgarh	500	686	3.43	686	3.43
कैमा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सुल्तानपुर	Kaima PFFCS District Sultanpur	500	936	4.68	936	4.68
(ब) मध्य प्रदेश राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹100 प्रत्येक के 10637 शेयर लिये	(b)10,637 Shares of ₹ 100/- each in PFFCS of M.P. State					
करैया पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Kariya PFFCS District Sagar	100	3,080	3.08	3,080	3.08
समनापुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Samnapur PFFCS District Sagar	100	2,785	2.79	2,785	2.79
चितौरा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Chitora PFFCS District Sagar	100	1,492	1.49	1,492	1.49
मौकलपुर पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Mokalpur PFFCS District Sagar	100	2,490	2.49	2,490	2.49
सुरखी पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला सागर	Surkhi PFFCS District Sagar	100	790	0.79	790	0.79
(स) राजस्थान राज्य की पी.एफ.एफ.सी.एस. से ₹10 प्रत्येक के 156730 शेयर लिये	(c) 1,56,730 Shares of ₹10/- each in PFFCS of Rajasthan State					
सांगवा पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Sangwa PFFCS District Udaipur	10	56,000	5.60	56,000	5.60
रख्यावल पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Rakhiyawal PFFCS District Udaipur	10	25,000	2.50	25,000	2.50
पीपलवास पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Pipalwas PFFCS District Udaipur	10	35,200	3.52	35,200	3.52
सिन्धु पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Sindhu PFFCS District Udaipur	10	17,400	1.74	17,400	1.74
जावड पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Jawad PFFCS District Udaipur	10	21,230	2.12	21,230	2.12
नाई पी.एफ.एफ.सी.एस. जिला उदयपुर	Nai PFFCS District Udaipur	10	1,900	0.19	1,900	0.19
उप–योग	Sub-Total			160.04		160.04
(ii) होल्डिंग इकाई में निवेश	(ii) Investment in Holding Entity					
इफको (253 शेयर ₹1,00,000/–प्रत्येक के)	Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (253 Shares of ₹ 1,00,000/- each)	100000	253	253.00	253	253.00
इफको (4 शेयर ₹10,000/–प्रत्येक के)	Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (4 Shares of ₹ 10,000/- each)	10000	4	0.40	4	0.40
इफको (9 शेयर ₹1,000/–प्रत्येक के)	Indian Farmers Fertilisers Cooperative Ltd. (9 Shares of ₹ 1,000/- each)	1000	9	0.09	9	0.09
उप–योग	Sub-Total			253.49		253.49
(iii) बहुराज्यीय सहकारी समिति में निवेश	(iii) Investment in MSCS					
भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड	Bhartiya Beej Sahakari Samiti Limited	1000	500	5.00	500	5.00
उप–योग	Sub-Total			5.00		5.00
योग	Grand Total			418.53		418.53
घटायें: निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान	Less: Provision for diminution in value of investments					
सिंधु प्रक्षेत्र वानिकी समिति, राजस्थान	PFFCS Sindhu, Rajasthan			(1.74)		(1.74)
चितौरा प्रक्षेत्र वानिकी समिति, म.प्र.	PFFCS Chittora, MP			(1.49)		(1.49)
सुरखी प्रक्षेत्र वानिकी समिति, म.प्र	PFFCS Surkhi, MP			(0.79)		(0.79)
योग	Total			(4.02)		(4.02)
शुद्ध योग	Net Total			414.51		414.51

टिप्पण – 17 NOTE - 17

(₹ in Lakhs)

प्रचालन से राजस्व	Revenue from Operations	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March, 2025
उत्पादन की बिक्री	**Manufacturing Sales**		
बीज की बिक्री (सब्सिडी एवं प्रोत्साहन सहित)	Sales of Seeds (including subsidy and incentives)	16,928.27	16,093.92
व्यापार बिक्री	**Trading Sales**		
उर्वरक की बिक्री	Sales of Fertiliser	2,42,947.63	2,51,170.62
अन्य उत्पादों की बिक्री (पौधे, रसायन, सागरिका, कृषि–रसायन, इफको नैनो यूरिया इत्यादि)	Sales of Other Product (Plant, Chemical, Sagarika, Agro-Chemical, IFFCO Nano Urea etc.)	26,446.37	28,266.70
अन्य बिक्री	**Other Sale**		
कार्बन क्रेडिट की बिक्री	Sales of Carbon Credit	6.00	92.08
योग	**Total**	**2,86,328.27**	**2,95,623.32**

टिप्पण–18 NOTE - 18

सामाजिक एवं ग्रामीण विकास परियोजनाओं में भागीदारी	Contribution towards Social & Rural Development Programmes	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March, 2025
नाबार्ड	NABARD	157.18	85.77
एन सी डी सी	NCDC	95.28	60.70
मित्सुई एंड कं. प्रा. लि.	Mitsui & Co. Pvt. Ltd.	32.27	-
मित्सुई एंड कं. प्रा. लि. का मीट ट्रस्ट	Meet Trust of Mitsui & Co. Pvt. Ltd.	6.80	-
केन्द्र सरकार की परियोजनाऐं	Central Govt. Projects	369.49	97.65
इफको प्रक्षेत्र वानिकी	IFFCO Farm Forestry	350.04	350.00
इफको परियोजनाएं	**IFFCO CSR Projects**		
एल आई आई आर डी	LIIRD	135.70	124.83
आर एल डी पी	RLDP	144.93	140.75
इफको (अन्य)	IFFCO (Others)	259.53	179.13
योग	**Total**	**1,551.22**	**1,038.83**

टिप्पण–19 NOTE - 19

अन्य आय	Other Income	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March, 2025
ब्याज	Interest From:		
– सावधि जमा	-Fixed Deposits	733.93	646.42
– अन्य	-Others	0.21	0.21
विनियोग पर लाभांश	Dividend on Investment	50.70	50.70
सहायक सेवाओं से आय	Income from ancillary services	118.28	121.77
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	Profit on Sale of Property, Plant and Equipment	2.99	1.82
विविध आय	Miscellaneous Income	17.68	5.42
योग	**Total**	**923.79**	**826.34**

टिप्पण – 20 NOTE - 20

खपत किए गए कच्चे माल की लागत	Cost of Raw Material consumed	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March, 2025
कच्चे माल का अथ स्टॉक	Opening Stock of Raw Material	-	-
जोड़ें : बीज की खरीद	Add : Purchases Seeds	12,919.09	12,078.48
घटायें : कच्चे माल का इति स्टॉक	Less : Closing Stock of Raw Material	-	-
योग	**Total**	**12,919.09**	**12,078.48**

टिप्पण – 21 NOTE - 21

स्टॉक–इन–ट्रेड का क्रय	Purchase of Stock-in-Trade	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March, 2025
– उर्वरक	- Fertiliser	2,42,403.91	2,50,490.83
– अन्य उत्पाद (पौधे, रसायन, सागरिका, कृषि–रसायन, नैनो यूरिया इत्यादि)	- Other products (Plant, Chemical, Sagarika, Agro-Chemical, Nano Urea etc.)	26,261.93	28,044.22
– घटायें: प्राप्त छूट (नैनो यूरिया)	- Less: Rebate Received (Nano Urea)	(533.88)	(351.03)
योग	**Total**	**2,68,131.96**	**2,78,184.02**

टिप्पण – 22 | NOTE - 22

(₹ in Lakhs)

स्टॉक–इन–ट्रेड एवं तैयार माल की मालसूचियों में परिवर्तन	Changes in Inventories of Stock-in-Trade and Finished Goods	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March, 2025
इति स्टॉकः	**Closing Stocks:**		
खाद	Fertiliser	367.64	236.90
बीज	Seed	295.00	107.01
अन्य	Others	170.31	155.95
		832.95	**499.86**
अथ स्टॉकः	**Opening Stocks:**		
खाद	Fertiliser	236.90	250.58
बीज	Seed	107.01	196.52
अन्य	Others	155.95	172.57
		499.86	**619.67**
(वृद्धि)/कमी	**(Increase) / Decrease**	**(333.09)**	**119.81**

टिप्पण – 23 | NOTE - 23

सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम व्यय	Social & Rural Development Programme Expenses	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March, 2025
नाबार्ड	NABARD	158.06	143.22
आई टी जी आई	ITGI	-	7.83
केन्द्र सरकार की परियोजनाऐं	Central Govt. Projects	369.48	97.65
एन.सी.डी.सी.	NCDC	125.00	124.00
बनाना परियोजनाऐं	Banana Projects	18.40	85.10
यू.एल.आई.पी.एच. / आई.सी.डी.पी.	ULIPH/ICDP	-	1.92
इफको प्रक्षेत्र वानिकी	IFFCO Farm Forestry	411.78	430.28
इफको परियोजनाएं	**IFFCO Projects**		
एल आई आई आर डी	LIIRD	130.27	120.29
आर एल डी पी	RLDP	141.65	142.31
इफको (अन्य)	IFFCO (Others)	230.47	163.58
योग	**Total**	**1,585.11**	**1,316.18**

टिप्पण – 24 | NOTE - 24

कर्मचारियों के हितलाभों पर व्यय	Employee Benefits Expense	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March, 2025
वेतन एवं प्रोत्साहन	Salaries and incentives	231.60	222.15
वेतन एवं प्रोत्साहन (प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए)	Salaries and incentives (for deputed employees)	235.45	258.91
अंशदान –	Contributions to -		
– भविष्य निधि तथा अन्य निधियाँ	- Provident Fund and other Fund	7.50	7.87
– उपदान तथा अन्य लाभ	- Gratuity and other Benefit	52.31	55.44
कर्मचारी कल्याण व्यय	Staff Welfare Expenses	34.25	15.20
योग	**Total**	**561.11**	**559.57**

टिप्पण – 25 | NOTE - 25

वित्त लागत	Finance Costs	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March, 2025
ऋण पर ब्याज – बैंक एवं एन.सी.डी.सी.	Interest on loan - Bank & NCDC	192.62	187.62
बैंक एवं वित्तीय प्रभार	Bank and Finance Charges	0.07	0.07
योग	**Total**	**192.69**	**187.69**

टिप्पणी – 26 NOTE - 26

(₹ in Lakhs)

अवमूल्यन, परिशोधन एवं हानिकरण पर व्यय	Depreciation and Amortization Expenses	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
मूर्त संपत्तियों पर मूल्यह्रास	Depreciation on tangible assets	118.75	114.10
योग	**Total**	**118.75**	**114.10**

टिप्पणी – 27 NOTE - 27

अन्य व्यय	Other Expenses	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
प्रत्यक्ष व्यय	**Direct expenses**		
प्रमाणीकरण, पैकिंग एवं वितरण व्यय	Certification, packing and distribution expenses	3,070.72	2,822.71
प्रशासनिक व्यय	**Administrative expenses:**		
मरम्मत तथा रख–रखावः	Repairs and Maintenance:		
– भवन	- Buildings	3.04	2.19
– अन्य	- Others	9.14	7.47
यात्रा व्ययः	Traveling Expenses:		
– निदेशकगण	-Directors	54.45	8.60
– अन्य	-Others	49.03	14.42
स्थानीय यात्रा व्ययः	Conveyance Expenses	0.80	1.27
मुद्रण तथा लेखन–सामग्री	Printing and Stationery	3.83	5.00
किराया	Rent	3.13	2.89
संचार व्यय	Communication Expenses	6.09	4.93
प्रचार एवं बिक्री संवर्धन	Publicity and Sales Promotion	6.80	8.47
निदेशकों का शुल्क	Directors' Sitting Fee	22.09	23.72
वाहन किराया, चालन तथा रख–रखाव	Vehicle Hire, Running and Maintenance	8.67	11.94
विधिक तथा व्यावसायिक प्रभार	Legal and Professional Charges	62.54	51.45
संदिग्ध ऋण	Bad Debts	0.20	3.49
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान (फ्लोटिंग)	Provision for Doubtful Debts (Floating)	150.00	150.00
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	Provision for Doubtful Debts	-	1.16
परिसंपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री से हानि	Loss on Sale of PPE	2.74	1.77
किसानों को मुआवजा भुगतान	Compensation Paid to Farmers	2.36	0.83
आम सभा बैठक व्यय	AGM Expenses	43.95	34.06
लेखा परीक्षा शुल्क	Audit Fees		
– वैधानिक अंकेक्षण	- Statutory Audit	4.48	4.30
– कर, लेखा परीक्षा एवं अन्य	- Tax, Audit & Others	0.72	0.72
विविध खर्च	Miscellaneous Expenses	11.57	11.42
दान	Donation	-	1.36
योग	**Total**	**3,516.35**	**3,174.17**

टिप्पण – 28

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखाओं पर टिप्पणियों का विवरण जो 31 मार्च 2026 तक के लेखाओं का भाग है।

(क) महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

(i) तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण भारत में आमतौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और लेखा मानक संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउटेंट ऑफ इंडिया और बहुराज्यीय सहकारी समितियाँ अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार हिस्टोरिकल लागत के अंतर्गत एक्रुअल आधार पर तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किये जाते हैं तथा निकटतम लाख तक पूर्णांकित किये जाते हैं (दो दशमलव तक), सिवाय जब अन्यथा संकेत न दिया गया हो।

(ii) आय/व्यय की स्वीकरण

(क) माल की बिक्री से राजस्व का हिसाब किया जाता है जिसके अंतर्गत मालिकाना हक के सभी प्रमुख जोखिम और लाभ खरीदारों को अंतरित आमतौर पर माल की डिलीवरी पर हो जाते हैं। माल की बिक्री से नेट वापसी राजस्व की गणना निवल, भत्ते, व्यापार छूट के बाद की जाती है।

(ख) सरकार एवं अन्य संस्थाओं की तरफ से क्रियान्वित की जा रही ग्रामीण विकास परियोजनाओं से आय / व्यय का हिसाब नकद आधार पर किया गया है। जो राशि खर्च हो गई लेकिन वसूल नहीं हुई है वह अनुदान वसूली योग्य दर्शाया गया है। शेष राशि यदि कोई अनुदान खाता है उसी को हस्तांतरित किया जा रहा है। आय के रूप में व्यय के खिलाफ आगामी वर्षों में किया जा रहा है।

(ग) सभी अन्य आय को लाभांश आय, मात्रा छूट और रिवॉल्विंग फंड पर सेवा शुल्क को छोड़कर प्रोद्भवन आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(घ) विशेष रूप से सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर प्रतिनियुक्त कर्मचारियों को वेतन व भत्ते का भुगतान संबंधित सामाजिक एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के खर्च में शामिल किया गया है।

(ड.) कार्बन क्रेडिट की बिक्री उस वर्ष दर्शायी गई है जिस वर्ष कार्बन क्रेडिट बेचे गये हैं।

(iii) बीज एवं खाद पर अनुदान/छूट

(क) प्रमाणित बीज की बिक्री पर विभिन्न योजनाओं के तहत राज्य सरकार से दावा की गई विपणन सब्सिडी प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रमाणित / आधार बीजों की बिक्री पर विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार से साथ दावा की गई उत्पादन सब्सिडी रसीद के आधार पर किया जाता है।

(ग) विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्राप्त की गई संयंत्र सब्सिडी रसीद के आधार पर मानी जाती है।

(घ) खाद पर अतिरिक्त छूट, मात्रा छूट को लेखा में प्राप्ति आधार पर किया जाता है।

(iv) सरकारी अनुदान

पूंजीगत प्रकृति के अनुदान और विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित अनुदानों को परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से घटाया जाता है। पूंजीगत प्रकृति के अन्य अनुदान, जो सीधे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित नहीं हैं, उन्हें पूंजी रिजर्व में जमा किया जाता है। राजस्व से संबंधित अनुदान को लाभ और हानि के विवरण में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है ताकि उन्हें संबंधित लागतों से मिलान किया जा सके।

(v) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

स्थायी परिसम्पत्तियाँ को हिस्टोरीकल लागत से संचयी मूल्यह्रास घटाकर दर्शाया गया है। समिति को जो परिसम्पत्तियां उपहार में हस्तांतरण हुई हैं उनको ₹ 1/- की लागत पर खातों में लिया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण, निर्माण और कमीशन के लिए किए गए सभी प्रत्यक्ष व्यय, जो उपयोग में लाने के लिए तैयार नहीं हैं, को "कैपिटल वर्क–इन–प्रोग्रेस" के तहत दिखाया गया है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों से संबंधित बाद के खर्चों को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभव हो कि भविष्य में इनसे जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और वस्तु की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बकाया संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के अधिग्रहण के लिए भुगतान किए गए अग्रिमों को दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम के तहत "पूंजी अग्रिम" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(vi) मूल्यह्रास

(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में मूल्यह्रास का प्रावधान उनकी उपयोगी जीवनावधि के आधार पर किया जाता है। समिति ने सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग "सी" में दी गई संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के उपयोगी जीवनावधि के अनुसार किया गया है। समिति ने मूल्यह्रास की गणना के लिए स्ट्रेट लाईन मैथड को अपनाया है।

(ख) परिसम्पत्तियां जिनका मूल लागत के 95% तक मूल्यह्रास हो गया है, ₹ 5000 तक की प्रत्येक मद को छोड़कर, जो उसके अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित किया गया है।

NOTE - 28

STATEMENT OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2026

(A) SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(i) Basis of Preparation

The Financial Statements are prepared on accrual basis under the historical cost convention in accordance with the generally accepted accounting principles in India, the Accounting Standards Prescribed by ICAI and the relevant provisions of Multi-State Co-operative Societies Act, 2002.

Financial Statements are presented in Indian Rupees (₹) and rounded to nearest lakh (upto two decimals), except when indicated otherwise.

(ii) Recognition of Income / expenditure

(a) Revenue from the sale of goods is recognized when significant risks and rewards of the ownership of goods have passed to the buyer, usually on delivery of the goods. Revenue from the sale of goods is measured net of returns, allowances, trade discounts, and volume rebates.

(b) The income and expenditure in the case of rural development projects run on behalf of the Government or other agencies are recognized as income to the extent of expenses incurred thereon. The amount which is incurred but not realized is shown as Grant Recoverable. The balance amount, if any is transferred to Unutilized Grant Account and the same is booked as income against expenses in the subsequent years.

(c) All other income is recognized on accrual basis except dividend income, quantity rebate and service charges on revolving fund, which are recognised on receipt basis.

(d) The salary and allowances paid to the employees deputed on particular Social & Rural Development Programs are included in the expenses of the respective Social & Rural Development Programs.

(e) The sale of Carbon Credit is recognised during the year in which Carbon Credit sales has taken place.

(iii) Subsidy or Rebate on Seed and Fertiliser

(a) The Marketing Subsidy claimed from the State Government under various scheme on sale of certified seeds is accounted for on accrual basis.

(b) The Production Subsidy claimed from the Central Government under various scheme on sale of certified/foundation seeds is accounted for on receipt basis.

(c) The Plant Subsidy claimed from the Government under various scheme is accounted for on receipt basis.

(d) The additional rebate, quantity rebate on fertiliser is accounted for on receipt basis.

(iv) Government Grant

Grants of Capital nature and related to specific Property, Plant & Equipment are deducted from gross value of assets. Other grants of Capital nature, not directly attributable to Property, Plant and Equipment are credited to Capital Reserve. Grant related to revenue are recognized in the Statement of Profit and Loss on a systematic basis to match them with related costs.

(v) Property, Plant and Equipments

Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation. Assets transferred to the society as gift are accounted for at ₹ 1/- each.

All direct expenses incurred for acquiring, erecting and commissioning of Property Plant and Equipments, which are not ready for put into use, are shown under the head "Capital Work-in-Progress". Subsequent expenditures relating to Property, Plant and Equipment is capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these will flow to the Society and the cost of the item can be measured reliably. Advances paid towards the acquisition of Property, Plant and Equipment outstanding at each Balance Sheet date is classified as "Capital Advances" under Long Term Loans and Advances.

(vi) Depreciation

(a) The Depreciation is charged on the basis of useful life of the Property, Plant & Equipment. The Society has adopted useful life of Property, Plant & Equipment as given in Part "C" of Schedule II of Companies Act, 2013 in respect of all Property, Plant & Equipment. The Society has adopted Straight Line Method for computation of depreciation charged.

(b) Assets are depreciated to the extent of 95% of the original cost except items individually costing upto ₹ 5,000/-, which are fully depreciated in the year of acquisition..

(vii) माल सूचियाँ

(क) माल सूचियों का मूल्य कम या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य होता है। लागत एफआईएफओ आधार का उपयोग करके निर्धारित की जाती है।

(ख) जहां भी आवश्यक हो, अप्रचलन के लिए प्रावधान किया जाता है।

(viii) निवेश

(क) गैर मौजूदा निवेश का हिसाब लागत पर लगाया गया है। ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी का प्रावधान केवल उस अवस्था में किया गया है जब वह कमी निवेश की लागत में अस्थायी तौर से भिन्न हो।

(ख) चालू निवेशों का मूल्य लागत के न्यून पर अथवा प्रत्येक निवेश के आधार पर समुचित मूल्य पर निर्धारित किया गया है।

(ix) सेवा निवृत्ति लाभ

(क) कर्मचारियों के अल्पकालिक लाभों को उस वर्ष के लाभ व हानि खातों में अनडिस्काउंटिड आधार पर व्यय के रूप में दिया जाता है, जिस वर्ष में सेवा प्राप्त की जाती है।

(ख) प्रोविडेंट फंड और फैमिली पेंशन फंड में योगदान मासिक और लाभ और हानि के खाते में डेबिट किया जाता है। कर्मचारियों को देय ग्रैच्युइटी के संबंध में उत्तरदायित्व लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की समूह ग्रैच्युइटी स्कीम की नीति योजना के तहत वित्त पोषित है। व्यय को वास्तविक मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित देय राशि के वर्तमान मूल्य पर किया जाता है और ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान बनाया जाता है। निधि में चुकाए गए वार्षिक योगदान को लाभ और हानि के खाते में डेबिट किया जाता है।

(x) पूर्व अवधि आय/व्यय

प्रत्येक मामले में ₹ 2,00,000/ – से अधिक नहीं होने वाली पूर्व अवधि (ओं) से संबंधित आय/व्यय आइटम प्रत्येक वर्ष/इकाई को चालू वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में माना जाता है।

(xi) कराधान

(क) वर्तमान कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत लाभ स्वीकार्य पर विचार करने के बाद किया जाता है।

(ख) समय अंतरालों पर आस्थगित कर को विवेकपूर्ण विचार माना जाता है। आस्थगित परिसंपत्तियों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती है जब तक कि 'आभासी निश्चितता' नहीं होती है, भविष्य में जब कर योग्य लाभ होगा तब इस प्रकार की आस्थगित कर सम्पत्तियों को वसूल किया जा सकेगा।

(xii) प्रासंगिक देयताएं

प्रकृति में प्रासंगिक देयताओं के लिए कोई प्रावधान नहीं बनता, लेकिन अगर यह प्रभावित करता है तो लेखों को अलग टिप्पणियों द्वारा बताया गया है।

(xiii) ऑपरेटिंग लीज

समिति की महत्वपूर्ण लीजिंग व्यवस्थाएं समिति के कार्यालयों के लिए परिसर के ऑपरेटिंग लीज और समिति के कर्मचारियों के आवासीय उपयोग के संबंध में हैं। ये लीजिंग समझौते आमतौर पर आपसी सहमति से तय शर्तों पर नवीनीकृत किए जा सकते हैं, लेकिन रद्द किए जा सकते हैं। ये भुगतान नोट 27 में 'प्रत्यक्ष व्यय' शीर्षक के अंतर्गत दिखाए गए हैं।

28(ख) लेखाओं पर अतिरिक्त टिप्पणियां:

(I) संविदा पर प्रस्तावित मूल्य (शुद्ध अग्रिम) जोकि पूंजीगत खातों राशि शून्य प्रदत्त नहीं किये गये हैं (पूर्व वर्ष में राशि ₹ शून्य)

(ii) प्रासंगिक देयतायें प्रदान नहीं करने के लिए –

(vii) Inventories:

(a) Inventories are valued at lower of cost or net realisable value. The cost is determined using FIFO basis.

(b) Provision for obsolescence is made, wherever necessary.

(viii) Investments

(a) Non-current investments are carried at cost. Provision for diminution in the value of such investment is made to recognise a decline, other than temporary in the value of the investments.

(b) Current investments are valued at lower of cost or fair value determined on individual investment basis.

(ix) Retirement benefits

(a) Short Term Employees Benefits are recognised as an expenses in the Statement of Profit and Loss for the year in which the related services is rendered.

(b) Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund is made monthly and debited to the Statement of Profit and Loss. Liability in respect of gratuity payable to employees is funded under Group Gratuity Scheme issued by Life Insurance Corporation of India Limited (LIC). The expense is recognised at the present value of the amount payable that is determined by LIC using actuarial valuation techniques and a provision for gratuity is created. Yearly contribution made to the fund is debited to the Statement of Profit and Loss.

(x) Prior Period Income / Expenditure

Income/expenditure items relating to prior period(s) not exceeding ₹ 2,00,000/- in each case at each project/unit is treated as income/expenditure for the current year.

(xi) Taxation

(a) Provision for Current Tax is made after considering benefits admissible under the provisions of the Income Tax Act, 1961.

(b) Deferred tax is recognized subject to consideration of prudence, on timing differences. Deferred tax assets are not recognized unless there is 'virtual certainty' that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets will be realized.

(xii) Contingent Liabilities

No provision is made for liabilities, which are contingent in nature, but if material the same are disclosed by way of notes to the accounts.

(xiii) Operating Leases

The Society's significant leasing arrangements are in respect of Operating Lease of premises for the offices of the Society and residential use of employees of the Society. These leasing agreements are usually renewable on mutually agreed terms but are cancellable. These payments are shown in Note 27 under the head 'Direct Expenses'.

28(B)Additional Notes on Accounts

(I) Estimated value of Contracts (Net of Advances) to be executed on Capital Accounts and not provided for - Rs. Nil (Previous year Rs. Nil).

(ii) Contingent liabilities not provided for -

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	As at 31 March, 2026	As at 31 March, 2025
आयकर विभाग द्वारा जारी माँग सूचना	Demand Notice issued by Income Tax Authorities	46.47	28.52
ऋण की रसीद न देने के रूप में संस्था के खिलाफ दावा	Claim against society not acknowledge as debt	13.69	13.69
योग	**Total**	**60.16**	**42.21**

Note (a) - Note (a) - The Society's pending litigations comprise of claims against the Society and proceedings pending with Tax Authorities. The Society has reviewed all its pending litigations and proceedings and has made adequate provisions, wherever required and disclosed the contingent liabilities, wherever applicable, in its financial statements. The Society does not expect the outcome of these proceedings to have a material impact on its financial position.

Note (b) - Direct tax contingencies : The Society has ongoing disputes with income tax authorities relating to Tax Computation and TDS Credit mismatch. The Society has contingent liability in respect of demands from direct tax authorities for the AY 2017-18 of Rs. 13.01 Lakh, A.Y. 2018-19 of Rs. 19.66 Lakhs, for A.Y 2021-22 of Rs. 2.10 Lakhs and for AY 2022-23 of Rs. 11.70 Lakhs, which are being contested by the Society amounting 46.47 Lakhs as at March 31, 2026.

Note (c) - The amounts assessed as contingent liability do not include interest that could be claimed by counter parties.

Note (d) - The Society is subject to legal proceedings and claims, which have arisen in the ordinary course of business. The Society's management reasonably expects that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will not have a material and adverse effect on the Society's results of operations or financial condition.

Note (e) - The Code on Social Security, 2020 ('Code') relating to employee benefits during employment and post-employment benefits received Presidential assent in September 2020. The Code has been published in the Gazette of India. However, the date on which the Code will come in to effect has not been notified. The Society will assess the impact of the Code when it comes into effect and will record any related impact in the period when the Code becomes effective.

ii(अ) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय / ii(a) Expenditure incurred in foreign currency

विवरण	Particulars	Currency (USD)	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March 2025
कार्बन क्रेडिट डीमैट खाता रखरखाव शुल्क	Carbon credit demat account maintenance charges	USD	5,765	-
सदस्यता शुल्क	Membership Fees	EURO	1,974	1,358
(रुपये लाख के बराबर)		**(Equivalent to INR in lakhs)**	**8.51**	**1.27**

ii(ब)विदेशी मुद्रा में आय / ii(b) Earnings in foreign currency

विवरण	Particulars	Currency (USD)	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March 2025
कार्बन क्रेडिट की बिक्री	Sale of Carbon Credit	USD	-	1,07,558
(रुपये लाख के बराबर)		**(Equivalent to INR in lakhs)**	**-**	**90.05**

(iii) परिसंपत्तियों का वसूली योग्य मूल्य

प्रबंधन की राय में, सामान्य व्यवसाय के दौरान अचल परिसंपत्तियों और गैर–चालू निवेशों के अलावा किसी भी परिसंपत्ति का मूल्य, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर वे बताए गए हैं।

(iii) Realisable Value of Assets

In the opinion of the management, the value of any of the assets other than Fixed Assets and Non-Current Investments on realisation in the ordinary course of business will not be less than the value at which these are stated.

(iv) लेखा परीक्षकों को भुगतान / (iv) Payment to Auditors

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March 2025
ऑडिट शुल्क	Audit Fee	4.28	4.10
टैक्स ऑडिट शुल्क	Tax Audit Fee	0.72	0.72
प्रबंधन/अन्य सेवायें	Management / Other Services	0.20	0.20
योग	**Total**	**5.20**	**5.02**

(v) कर्मचारी लाभ

लेखा मानक–15 (संशोधित), 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार लाभ और हानि विवरण और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त रोजगार के बाद के लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है।

(v) Employee Benefits

The summarised position of post-employment benefits and long-term employee benefits recognised in the Statement of Profit and Loss and Balance Sheet in accordance with Accounting Standard - 15 (Revised), "Employee Benefits" is as under.

(अ) वित्तीय मान्यताएँ / (a) Financial Assumptions

विवरण	Particulars	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March 2025
छूट दर (प्रति वर्ष)	Discount rate (per annum)	7.00%	6.60%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	Salary growth rate (par annum)	1.87%	1.87%
योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल दर (प्रतिवर्ष)	Expected rate of return on plan assets (per annum)		

(ख) जनसांख्यिकीय मान्यताएँ / (b) Demographic Assumptions

विवरण	Particulars	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March 2025
मृत्यु दर	Mortality Rate	100% of IALM 2012-14	100% of IALM 2012-14
सामान्य सेवानिवृत्ति आयु	Normal retirement age	60 Years	60 Years
संघर्षण/निकासी दर (प्रतिवर्ष)	Attrition / Withdrawal rate (per annum)	7%	7%
अवकाश प्राप्ति की दर (प्रति वर्ष)	Rate of Leave Availment (per annum)	0.00%	0.00%
रोजगार के दौरान अवकाश नकदीकरण की दर (प्रति वर्ष)	Rate of Leave Encashment during employment (per annum)	0.00%	0.00%

(ग) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय / (c) Expenses Recognised in the Statement of Profit and Loss

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March 2025
वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	25.72	23.73
ब्याज लागत	Interest Cost	8.87	8.45
अवधि में योजना दायित्वों पर शुद्ध एक्चुरियल (लाभ)/हानि	Net Actuarial (Gain) / Loss on Plan Obligations in the period	7.74	18.10
लाभ हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	**Total Expenses recognised in the Statement of Profit and Loss**	**42.33**	**50.28**

(घ) परिसंपत्तियां और देयताएं (तुलन पत्र स्थिति) / (d) Assets and Liability (Balance Sheet Position)

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March 2025
दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of Obligation	153.71	134.47
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	Fair Value of Plan Assets	-	-
शुद्ध परिसंपत्ति / (देयता)	**Net Asset / (Liability)**	**153.71**	**134.47**

(च) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(e) Changes in the Present Value of Obligation

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March 2025
शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	Present Value of Obligation as at the beginning	134.47	119.09
ब्याज लागत	Interest Cost	8.87	8.45
वर्तमान सेवा लागत	Current Service Cost	25.72	23.73
भुगतान किये गये लाभ	Benefits Paid	(23.09)	(34.89)
दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	Actuarial (Gain) / Loss on the Obligation	7.74	18.09
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**Present Value of Obligation as at the end**	**153.71**	**134.47**

(ई) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन – लागू नहीं

(f) Changes in Fair Value of Plan Assets - Not Applicable

(छ) वर्ष के अंत में दायित्व के वर्तमान मूल्य का विभाजन कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार

(g) Bifurcation of Present Value of Obligation at the end of the year as per revised Schedule III of the Companies Act, 2013

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March 2025
वर्तमान देयता (अल्पावधि)	Current Liability (Short term)	31.02	17.65
गैर–वर्तमान देयता (दीर्घकालिक)	Non-Current Liability (Long term)	122.69	116.82
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**Present Value of Obligation as at the end**	**153.71**	**134.47**

(vi) संबद्ध पार्टियों की सूची (जैसा कि प्रबंधन द्वारा पहचाना गया और लेखा परीक्षकों द्वारा भरोसा किया गया)

(a) उच्च प्रबंधक वर्ग
श्रीमती माधवी एम. विप्रदास, प्रबंध निदेशक
श्री सुकांत शर्मा, मुख्य प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

(b) होल्डिंग इकाई
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको)

(c) अन्य संबंधित संस्थायें

इफको ई–बाजार लिमिटेड – होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी
इफको मित्सुबिशी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड– होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी
इफको–टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड– होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी
सहकारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट– होल्डिंग कंपनी द्वारा गठित ट्रस्ट

(vi) List of Related Parties (as identified by the management and relied upon by auditors)

(a) Key Management Personnel
Smt. Madhavi M. Vipradas, Managing Director
Sh. Sukant Sharma, Chief Manager (F&A)

(b) Holding Entity
Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO)

(c) Other Related Entities

IFFCO e-Bazar Limited- Subsidiary of Holding Company
IFFCO Mitsubishi Crop Science Pvt. Ltd.-Subsidiary of Holding Company
IFFCO-TOKIO General Insurance Company Limited-Subsidiary of Holding Company
Cooperative Rural Development Trust-Trust formed by Holding Company

संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन
क. उच्च प्रबंधन वर्ग

Transactions with Related Parties
a. Key Managerial Personnel

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	For the year ended 31 March, 2026	For the year ended 31 March 2025
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	Managerial Remuneration	124.50	133.58
जमा शेष	Closing Balance	124.50	133.58

ब. होल्डिंग इकाई

b. Holding Entity

(₹ in Lakhs)

	Particulars	Indian Farmers Fertiliser Cooperative For the year ended 31 March 2026	 For the year ended 31 March 2025
क्रय	Purchases	2,68,324.61	278,338.81
तैयार माल की बिक्री	Sale of Finished Goods	1,196.84	1,098.34
परियोजना व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Project Expenses	890.20	794.71
लाभांश आय	Dividend Income	50.70	50.70
अन्य एवं परामर्श आय	Other & Consultancy Income	34.17	82.55
किराया भुगतान	Rent Paid	16.29	5.48
प्राप्त किराया	Rent Received	54.45	0.48
भुगतान किया गया लाभांश	Dividend Paid	62.68	62.68
खर्चों का भुगतान (अन्य)	Expenses paid (others)	237.58	250.27
नैनो और स्कैन योजना पर छूट	Rebate on Nano & Scan Scheme	533.88	354.22
जमा शेष	**Closing Balance**	**9,827.58 (Credit Balance)**	**10,025.39 (Credit Balance)**

स. अन्य संबंध इकाईयाँ — c. Other Related Entities

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	IFFCO e-Bazar Limited		IFFCO Mitsubishi Crop Science Pvt. Ltd.		IFFCO-TOKIO General Insurance Company Ltd.	
		For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
खरीद	Purchase	-	-	131.01	92.12	-	-
तैयार माल की बिक्री	Sale of Finished Goods	1,270.45	1,166.09	-	-	-	-
वर्ष के दौरान भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम	Insurance premium paid during the year	-	-	-	-	125.78	73.14
परियोजना व्यय की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of Project Expenses	-	-	-	-	-	28.54
जमा शेष	**Closing Balance**	**13.42** (Debit Balance)	**19.21** (Debit Balance)	**2.89** (Debit Balance)	**4.32** (Credit Balance)	**-**	**4.58** (Debit Balance)

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	Cooperative Rural Development Trust	
		For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
खरीद	Purchase	13.44	14.33
तैयार माल की बिक्री	Sale of Finished Goods	0.41	0.75
जमा शेष	**Closing Balance**	**-**	**14.31** (Credit Balance)

(vii) सेगमेंट रिर्पोटिंग नीतियां

(अ) सेगमेंट की पहचान

(i) प्राथमिक सेगमेंट

व्यापारिक सेगमेंटः समिति प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी समितियों (पीएफएफसी) के सदस्यों के लाभ हेतु सामाजिक ग्रामीण विकास की गतिविधियों एवं भूमिहीन, सीमांत, छोटे किसान, आदिवासी और विशेषतर महिलाओं के निरंतर आजीविका विकास हेतु उर्वरक और बीज इत्यादि के प्रसंस्करण एवं व्यापार में संलग्न हैं।

(ii) द्वितीय सेगमेंट

जियोग्राफिक सेगमेंटः चूँकि प्राथमिक तौर पर समिति द्वारा गतिविधियाँ देश में सम्पन्न की गई हैं। प्रतिवेदन सेंगमेंट के एएस–17 की परिभाषा के आधार पर अलग से जियोग्राफिक सेगमेंन्ट उजागर करने की आवश्यकता नहीं है।

(ब) आवंटन अयोग्य मद

संयुक्त/विभाग की आय, व्यय, सम्पत्ति, देनदारियाँ, पूँजी, और संचय को आवंटन आयोग मद का हिस्सा माना जाता है, जो कि किसी भी व्यवसाय के लिए पहचान योग्य है।

(स) सेगमेंट सूचना

(vii) Segment Reporting Policies

(a) Identification of Segments

(i) Primary Segments

Business Segment: The Society is primary engaged in Social & Rural Development activities for the benefits of members including Primary Farm Forestry Cooperative Societies (PFFCS) and for sustainable livelihood of the landless, marginal and small farmers, tribal and women in particular. To achieve its objectives, the Society also deals in fertilizers distribution and processing & multiplication of Seeds.

(ii) Secondary Segment:

Geographical Segment: Since the activities of Society are primarily carried within the country, hence separate geographical segment disclosure is not required.

(b) Unallocable Items

Common / Corporate income, expenses, assets, liabilities, capital and reserves are considered part of unallocable items which are not identifiable to any business segment..

(c) Segment Information

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	Social & Rural Development Programmes		Fertiliser Trading	
		For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
आय	**Income**				
बिक्री	Sales	6.00	92.08	2,69,394.00	279,437.32
परियोजना योगदान/अनुदान	Project Contribution/Grant	1,551.22	1,038.83	-	-
अन्य आय	Other Income	-	-	-	-
योग आय (अ)	**Total Income (A)**	**1,557.22**	**1,130.91**	**2,69,394.00**	**279,437.32**
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	Purchase of Stock-in-Trade	-	-	2,67,986.86	278,214.32
प्रत्यक्ष व्यय	Direct Expenses	1,585.11	1,316.18	621.60	623.89
योग प्रचालन व्यय (ब)	**Total Operating Expenses (B)**	**1,585.11**	**1,316.18**	**2,68,608.46**	**278,838.21**
सेगमेंट प्रचालन आय (अ–ब)	**Segmental Operating Income (A-B)**	**(27.89)**	**(185.27)**	**785.54**	**599.11**
गैर आबन्टित आय	Unallocated Income				
गैर आबन्टित व्यय	Unallocated Expenses				
कर	Taxes				
आस्थगित कर	Deferred Tax				
निवल लाभ कर के बाद	**Net Profit After Tax**				
		As at 31 March, 2026	**As at 31 March, 2025**	**As at 31 March, 2026**	**As at 31 March, 2025**
रोजगार पूँजी	**Capital Employed**				
सेगमेंट परिसम्पत्तियां	Segment Assets	814.73	383.07	13,895.33	13,447.40
गैर आबन्टित परिसम्पत्तियां	Unallocated Assets				
सकल परिसम्पत्तियां	**Total Assets:**	**814.73**	**383.07**	**13,895.33**	**13,447.40**
सेगमेंट देनदारियां	Segment Liabilities	300.84	282.42	20,132.93	18,950.85
गैर आबंटित देनदारियां	Unallocated Liabilities				
सकल देनदारियां	**Total Liabilities:**	**300.84**	**282.42**	**20,132.93**	**18,950.85**

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	Seed Multiplication Programmes		Total	
		For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025	For the year ended 31 March 2026	For the year ended 31 March 2025
आय	**Income**				
बिक्री	Sales	16,928.27	16,093.92	2,86,328.27	2,95,623.32
परियोजना योगदान/अनुदान	Project Contribution/Grant	-	-	1,551.22	1,038.83
अन्य आय	Other Income	-	-	-	-
योग आय (अ)	**Total Income (A)**	**16,928.27**	**16,093.92**	**2,87,879.49**	**2,96,662.15**
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	Purchase of Stock-in-Trade	12,731.10	12,167.99	2,80,717.96	2,90,382.31
प्रत्यक्ष व्यय	Direct Expenses	2,641.81	2,386.52	4,848.52	4,326.58
योग प्रचालन व्यय (ब)	**Total Operating Expenses (B)**	**15,372.91**	**14,554.51**	**2,85,566.48**	**2,94,708.90**
सेगमेंट प्रचालन आय (अ–ब)	**Segmental Operating Income (A-B)**	**1,555.36**	**1,539.41**	**2,313.01**	**1,953.26**
गैर आबन्टित आय	Unallocated Income			923.79	826.34
गैर आबन्टित व्यय	Unallocated Expenses			1,125.49	1,025.13
कर	Taxes			580.77	483.56
आस्थगित कर	Deferred Tax			(33.59)	(28.59)
निवल लाभ कर के बाद	**Net Profit After Tax**			**1,564.13**	**1,299.50**
		As at		**As at**	
		31 March 2026	**31 March 2025**	**31.03.2026**	**31.03.2025**
रोजगार पूँजी	**Capital Employed**				
सेगमेंट परिसम्पत्तियां	Segment Assets	5,496.87	3,451.44	20,206.93	17,281.91
गैर आबन्टित परिसम्पत्तियां	Unallocated Assets			12,759.04	12,566.11
सकल परिसम्पत्तियां	**Total Assets:**	**5,496.87**	**3,451.44**	**32,965.97**	**29,848.02**
सेगमेंट देनदारियां	Segment Liabilities	921.38	353.14	21,355.15	19,586.41
गैर आबंटित देनदारियां	Unallocated Liabilities			745.57	862.36
सकल देनदारियां	**Total Liabilities:**	**921.38**	**353.14**	**22,100.72**	**20,448.77**

(viii) प्रति शेयर अर्जन / Earning Per Share

(₹ in Lakhs)

विवरण	Particulars	Year ended 31 March 2026	Year ended 31 March 2025
खातों के अनुसार कर के बाद लाभ (लाख रुपये में)	**Profit after tax as per accounts (Rs. in Lakh)**	**1,564.13**	**1,299.50**
वर्ग ए के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 1000/-)	Weighted average number of equity shares Class A (face value Rs.1000/-)	7,930	7,930
लाभ/(हानि) वर्ग ए इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार	Profit/(Loss) attributable to Class A Equity Shares	92.77	77.08
वर्ग बी के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 10000/-)	Weighted average number of equity shares Class B (face value Rs.10,000/-)	2	2
लाभ/(हानि) वर्ग बी इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार	Profit/(Loss) attributable to Class B Equity Shares (Rs.)	0.23	0.19
वर्ग सी के इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (अंकित मूल्य 50000/-)	Weighted average number of equity shares Class C (face value Rs.50,000/-)	2,515	2,515
लाभ/(हानि) वर्ग सी इक्विटी शेयरों के लिए जिम्मेदार	Profit/(Loss) attributable to Class C Equity Shares (Rs.)	1,471.13	1,222.23
बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस (रु.)	**Basic & Diluted EPS (Rs.)**		
वर्ग ए – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 1000/–	Class A - Face value per share Rs.1000/-	**1,169.88**	**971.95**
वर्ग बी – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 10000/–	Class B - Face value per share Rs.10,000/-	**11,698.81**	**9,719.51**
वर्ग सी – प्रति शेयर अंकित मूल्य रुपये 50000/–	Class C - Face value per share Rs.50,000/-	**58,494.07**	**48,597.57**

(ix) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है:

(ix) Information in respect of Micro and Small Enterprises as required under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (MSMED Act) is as under:

विवरण	Particulars	As at 31 March 2026	As at 31 March 2025
1. प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त मूल राशि और उस पर देय ब्याजः (क) अप्रदत्त मूल राशि जो बकाया नहीं है (ख) उस पर देय ब्याज	1. The principal amount and the interest due thereon remaining unpaid to any Supplier as at the end of each accounting Year: (a) Principal amount remaining unpaid being not due (b) Interest due thereon	474.88	43.60
2. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि तथा प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के बाद किए गए भुगतान की राशि।	2. The amount of interest paid by the buyer in terms of Section 16 of MSMED Act along with the amounts of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.	Nil	Nil
3. भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान की गई है) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	3. The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointedday during the year) but without adding the interest specified underthis Act.	Nil	Nil
4. प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित और अप्रदत्त ब्याज की राशि; तथा	4. The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each Accounting Year; and	Nil	Nil
5. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, आगामी वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की शेष राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त ब्याज देय राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दी जाती।	5. The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance as a deductible expenditure under Section 23 of MSMED Act.	Nil	Nil

The above information has been provided to the extent such parties have been identified on the basis of information available with the Society.

(x) ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान सोसायटी ने 500 कार्बन क्रेडिट 6.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 92.08 लाख) में बेचे हैं।

(xi) रिवोल्विंग फंड धन का एक ऐसा साधन है जिससे कई प्रकार की लघु एवं सूक्ष्म व्यावसायिक इकाइयों के विकास के लिए व्यवसाय आरम्भ करने तथा आय अर्जन हेतु ऋण की व्यवस्था की जाती है। रिवोल्विंग फंड ऐसे सूक्ष्म ऋण, सूक्ष्म प्रतिष्ठान व ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित संस्थाओं या व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाने में विशिष्ट रूप से उपयोगी है जिन्हें जोखिम की अधिकता को देखते हुये अन्य पारम्परिक स्त्रोतों से ऋण प्राप्त करने में सफलता नहीं मिलती है। इसमें ऋण लेने वाले विशेष रूप से वस्तुओं व सेवाओं के छोटे उत्पादक जैसे दस्तकार, कृषक व महिलाऐं होते हैं जिनके द्वारा पूर्व में कभी ऋण नहीं लिया होता है अथवा किसी ऋण देने वाली संस्था तक जिनकी पहुँच नहीं होती है। रिवोल्विंग फंड से ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्थाओं का उद्देश्य गरीब किसानों, स्वयं सहायता समूहों विशेष रूप से महिलाओं को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना होता है। वर्ष के दौरान रिवोल्विंग फंड की वसूली का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

(xi) कुछ ठेकेदारों/ग्राहकों/आपूर्तिकर्ताओं/प्राप्य/देय और अन्य के साथ जमा राशि की पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है, जो प्रबंधन की राय में महत्वपूर्ण नहीं होगा।

(xiii) वित्त अधिनियम, 2020, ("अधिनियम"), जो 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी है, के अनुसार समितियों के पास धारा 115बीएडी प्लस लागू अधिभार और उपकर ("नई कर व्यवस्था") पर आयकर की कुछ शर्तों के अधीन 22% भुगतान करने का विकल्प है।

(xiv) बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 की धारा 63 (2)(ए) के अनुसार वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन, समिति की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 5% की दर से लाभांश का भुगतान करने का प्रस्ताव है। वर्ष के लिए प्रस्तावित लाभांश ₹ 66.85 लाख (पिछले वर्ष ₹ 66.85 लाख) है।

(xv) पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप बनाने के लिए जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत /पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

(x) The Society, during the year under audit has sold 500 nos. of carbon credit for Rs. 6.00 lakhs (PY - Rs. 92.08 lakh).

(xi) A Revolving Loan Fund (RLF) is a source of money from which loans are made for various micro small business development initiatives or income generation through Societies. Revolving loan funds has many characteristics with microcredit, micro-enterprise, and village banking, providing loans to persons or groups of people that do not qualify for traditional financial services or are otherwise viewed as being high risk. Borrowers tend to be small producers of goods and services - typically artisans, poor farmers, and women who have no credit history or access to other types of loans from financial institutions. Organizations that offer revolving loan fund lending aim to help Poor farmers and member of the self help group particularly women become financially independent. No provision has been made during the year as there is recovery in revolving fund.

(xii) Balances of some of the contractors/ customers/suppliers /receivable/ payable and deposits with others are subject to confirmation/ reconciliation and consequential adjustments, if any, which in the opinion of the management would not be material.

(xiii) Pursuant to the enactment of the Finance Act, 2020, ('Act') which is effective from 1st April 2021, societies have the option to pay income tax at 22% u/s 115BAD plus applicable surcharge and cess ('new tax regime') subject to certain conditions.

(xiv) As per Multi State Cooperative Society Act 2002 Section 63 (2) (a) Dividend is proposed to be paid @ 5% on the paid-up Equity Share Capital of the Society, Subject to the approval at the Annual General Meeting. The proposed dividend for the year work out to ₹ 66.85 lakh (Previous year ₹ 66.85 lakh).

(xv) Previous year's figures have been regrouped/ rearranged wherever considered necessary to correspond with the current year's figures.

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached
कृते धवन एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 002864एन
For Dhawan & Co.
Chartered Accountants
FRN: 002864N

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सी.ए. अनुष्क कपूर)
साझेदार
(CA Anushk Kapoor)
(Partner)
M.No. 543825

(सुकांत शर्मा)
मुख्य प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Chief Manager (F&A)

(माधवी एम. विप्रदास)
प्रबंध निदेशक
(Madhavi M. Vipradas)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 26.05.2026

31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण

Cash Flow Statement for the year ended 31 March, 2026

(₹ in Lakhs)

			For the year ended 31 March 2026		For the year ended 31 March 2025
(अ) प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाहः	**(A) CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:**				
कर–पूर्व निवल लाभ / (हानि)	Net Profit/(Loss) before tax		**2,111.31**		**1,754.47**
के लिये समायोजन	**Adjustment for:**				
मूल्यह्रास से	Depreciation	118.75		114.10	
ब्याज आय	Interest Income	(734.14)		(646.63)	
लाभांश की आय	Dividend Income	(50.70)		(50.70)	
संदिग्ध ऋण	Bad Debts	0.20		3.49	
संदिग्ध ऋण एवं निवेश के लिए प्रावधान व्यय	Provision for Doubtful Debts & Investment	150.00		151.16	
निवल ब्याज व्यय	Net Interest Expenses	192.62		187.62	
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री से लाभ / (हानि)	Profit/(Loss) on sale of Property, Plant and Equipment	(0.25)	(323.52)	(0.05)	(241.01)
कार्यशील पूंजी में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**Operating Profit before Working Capital Changes**		**1,787.79**		**1,513.46**
कार्यशील पूंजी में परिर्वतनों के लिए समायोजन	**Adjustment for Working Capital Changes :**				
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in Trade Receivables	(1,876.70)		2,756.92	
इन्वेंटरी में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in Inventories	(410.51)		149.90	
अल्पावधिक अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in Short-Term Advances	(428.21)		(18.14)	
दीर्घावधिक अग्रिम में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in Long-Term Advances	(6.06)		(5.80)	
व्यापार देयताओं में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in Trade Payable	483.28		(2,605.73)	
अन्य चालू देनदारियों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in Other Current Liabilities	1,244.24		726.30	
अल्पावधिक प्रावधानों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in Short-Term Provision	7.49		64.52	
दीर्घावधिक प्रावधानों में (वृद्धि) / कमी	(Increase)/Decrease in Long-Term Provision	11.58	(974.89)	15.39	1,083.36
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह	**Cash flow from operating activities**		**812.90**		**2,596.82**
घटाएं: आयकर (धन वापसी का निवल)	Less: Income Tax (Net of Refund)	580.77		500.73	
घटाएं: सहकारी शिक्षा निधि	Less: Cooperative Education Fund	15.65	(596.42)	12.99	(513.72)
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त निवल नकदी	**NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES**		**216.48**		**2,083.10**
(ब) निवेश गतिविधियों से नकदी का प्रवाहः	**(B) CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**				
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की खरीद / सीडब्ल्यूआईपी	Purchase of Property, Plant and Equipments/CWIP	(100.51)		(54.54)	
शेयरों की खरीद	Purchase of Shares	-		-	
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण की बिक्री	Sale of Property, Plant and Equipments	4.05		3.18	
संपत्ति, संयंत्र व उपकरण पर पूँजीगत अनुदान	Capital Subsidy on Property, Plant and Equipments	-		-	
मालसूची की बिक्री	Sale of Investment	-		(5.00)	
सावधि जमा में निवेश	Investments in Fixed Deposits	(2,000.00)		(2,152.00)	
वर्ष के दौरान सावधि जमा की परिपक्वता	Fixed Deposits matured during the period	-		-	
सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	Interest Received from Fixed Deposits	554.32	(1,542.14))	730.66	(1,477.70)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी का प्रवाह	**NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES**		**(1,542.14)**		**(1,477.70)**
(स) वित्तीय गतिविधियों से नकदी का प्रवाहः	**(C) CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:**				
शेयर पूँजी / शेयर आवेदन से प्राप्त राशि	Proceeds from Share Capital/Share Application Money	-		0.01	
शेयर पूँजी / शेयर आवेदन का निर्गम	Redemption of Share Capital/Share Application Money	-		(0.06)	
दीर्घावधिक के ऋण से वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) from Long-Term Borrowings	(61.05)		(80.38)	
अल्पावधिक के ऋण से वृद्धि / (कमी)	Increase/(Decrease) from Short-Term Borrowings	-		-	
भुगतान किया गया लाभांश	Dividend Paid	(66.85)		(66.85)	
सी.आर.आर.डी. फण्ड का भुगतान	CRRD Fund Paid	(15.65)		(11.68)	
प्राप्त लाभांश	Dividend Received	50.70		50.70	
ब्याज पर व्यय	Interest Expenses	(192.62)		(187.62)	
वित्तीय गतिविधियों में उपयोग की गई निवल नकदी	**NET CASH USED IN FINANCING ACTIVITIES**		**(285.47)**		**(295.88)**
नकदी एवं नकदी के समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**		**(1,611.13)**		**309.52**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINING OF THE YEAR		10,347.12		10,037.60
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी के समतुल्य	**CASH AND EQUIVALENTS AT THE CLOSE OF THE YEAR**		8,735.99		**10,347.12**
नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणीः	**Notes to the cash flow statement:**				
1. नकदी और नकदी समतुल्य में, हाथ में नकदी, बैंकों में जमा राशियां शामिल हैं।	1. Cash and cash equivalents consists of cash in hand and Balances with Banks.				
2. नकदी प्रवाह विवरण में जो प्रस्तुत नकदी व नकदी समतुल्य तुलन पत्र में दर्शाए गए हैं शेष हैं।	2. Cash and cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet amounts.				
पास में नकदी	Cash in Hand		3.53		1.62
अनुसूचित बैंकों में शेषः	Balance with Scheduled Banks:				
– चालू खाते एवं बचत खाते	- Current accounts and saving accounts		1,480.45		769.50
– सावधिक जमा	- Fixed Deposits		7,252.01		9,576.00
			8,735.99		**10,347.12**

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते धवन एंड कं., सनदी लेखाकार
एफ.आर.एन.: 002864 एन
As per our report of even date attached
For Dhawan & Co., Chartered Accountants
FRN: 002864N

कृते इंडियन फार्म फोरेस्ट्री डवलपमेंट कोआपरेटिव लिमिटेड
For Indian Farm Forestry Development Cooperative Ltd.

(सी.ए. अनुष्क कपूर)
साझेदार
(CA Anushk Kapoor)
(Partner)
M.No. 543825

(सुकांत शर्मा)
मुख्य प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)
(Sukant Sharma)
Chief Manager (F&A)

(माधवी एम. विप्रदास)
प्रबंध निदेशक
(Madhavi M. Vipradas)
Managing Director

Place : New Delhi
Date : 26.05.2026

श्री दिलीप संघाणी, अध्यक्ष, इफको द्वारा ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना, कटक (ओडिशा) अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित हस्तकला उत्पादों का अवलोकन

श्री के.जे. पटेल, प्रबंध निदेशक, इफको द्वारा ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना, कटक (ओडिशा) अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों द्वारा आय अर्जन हेतु निर्मित उत्पादों का अवलोकन

धान बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, हिसार (हरियाणा)

IFFDC
Preserving Nature . Nurturing Lives

इंडियन फार्म फारेस्ट्री डवलपमेन्ट कोआपरेटिव लिमिटेड

INDIAN FARM FORESTRY DEVELOPMENT COOPERATIVE LIMITED

मुख्यालय

एफ.एम.डी.आई., इफको कॉलोनी, सेक्टर–17बी, गुड़गांव–122001 (हरियाणा)

Head Office

FMDI, IFFCO Colony, Sector-17B, Gurgaon-122001 (Haryana)

दूरभाष / Telephone: 0124-2340148, फैक्स / Fax: 0124-2340149

ई–मेल / E-mail: headoffice@iffdc.in, वेबसाईट / Website: http://www.iffdc.in

Concept & Design: Publicity Deptt., IFFDC